उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई-सितंबर, 2016

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उम्मेद सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य और अन्य	77
के. सी. राजेश **बनाम** टी. के. सांताकुमार और एक अन्य	20
घीसा नाथ **बनाम** राजस्थान राज्य	63
देशराज **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	83
नमीता दास (श्रीमती) **बनाम** केन्द्रीय जांच ब्यूरो मार्फत झारखण्ड राज्य	39
पदम चंद जैन **बनाम** गोपाल लाल जैन और एक अन्य	73
प्रशांत कुमार रे मुखर्जी **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	10
राजेश त्यागी और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	1
विजय कुमार गुप्ता **बनाम** पंकज शर्मा	46
वेंकटेश सदानंद पाई **बनाम** श्रीमती कंचन ए. काकोडकर	52
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** किशोरी लाल	129
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** लेक राम और अन्य	122

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	67 – 110

जुलाई-सितंबर, 2016 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चंद्र पांडेय

संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 118 और 139 – परक्राम्य लिखत के धारक के पक्ष में उपधारणा – जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के प्रयोजनार्थ प्राप्त किया है ।

वेंकटेश सदानंद पाई बनाम **श्रीमती कंचन ए. काकोडकर** 52

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (67) – (110) क्रमशः....

पृष्ठ संख्या 1 – 149 **(2016) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जुलाई-सितंबर, 2016 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 149)

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. एन. आर. बट्टू, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री अविनाश शुक्ला, असलम खान और पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2016 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

– धारा 269(धध) – नकद में केवल बीस हजार रुपए तक रकम का संदाय किसी संव्यवहार के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है – बीस हजार रुपए से अधिक की रकम का संव्यवहार चैक द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।

वेंकटेश सदानंद पाई बनाम **श्रीमती कंचन ए. काकोडकर** 52

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 190 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138] – न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाना – याची द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि उससे चैक बलपूर्वक लिया गया और तत्पश्चात् उसमें रकम लिखी गई – यह विवाद्यक साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है और अपराध का संज्ञान लिए जाते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

पदम चंद जैन बनाम **गोपाल लाल जैन और एक अन्य** 73

– धारा 205 – अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी – अभिमुक्ति – धारा 205 के उपबंध का सभी मामलों में अवलंब नहीं लिया जा सकता – इसका अवलंब छोटे मामलों में लिया जा सकता है न कि गंभीर प्रकृति के मामलों में ।

नमीता दास (श्रीमती) बनाम **केन्द्रीय जांच ब्यूरो मार्फत झारखण्ड राज्य** 39

– धारा 205, 253 और 206 – उपबंधों की प्रयोज्यता – धारा 253 और 206 के उपबंधों का समन मामलों के विचारण में अवलंब लिया जा सकता है न कि

पृष्ठ संख्या

वारंट या सेशन मामलों में – अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोषिता का अभिवाक् करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है – अतः, ऐसा मामला जिसमें संहिता की धारा 253 के उपबंधों का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसे संहिता की धारा 205 की परिधि के बाहर माना जाएगा ।

नमीता दास (श्रीमती) बनाम **केन्द्रीय जांच ब्यूरो मार्फत झारखण्ड राज्य** 39

– धारा 239 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138] – अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाना – यदि अभियुक्त की परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मुक्त कर देगा ।

पदम चंद जैन बनाम **गोपाल लाल जैन और एक अन्य** 73

– धारा 378(3) – अपील की इजाजत की मंजूरी – दोषमुक्ति के विरुद्ध याचिका – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 29 के अधीन अभियुक्तों को आरोपित किया जाना – दो दृष्टिकोण के सिद्धांत की उपधारणा पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इस स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में नहीं फंसाया गया है, इसलिए अपील की इजाजत की मंजूरी से इनकार किया जाना न्यायसंगत है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **लेक राम और अन्य** 122

पृष्ठ संख्या

– धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 29] – जमानत आवेदन – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन अभिकथन – सह-अभियुक्त को जमानत देना – दोनों अभियुक्तों के संबंध में एक जैसे साक्ष्य होना – जब अभियुक्तों पर एक जैसे आरोपों के साक्ष्य होते हैं तो एक जैसा निर्णय किया जाना उचित है, इसलिए दोनों अभियुक्त में से एक को जमानत पर रिहा किए जाने पर दूसरे अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है ।

घीसा नाथ बनाम **राजस्थान राज्य** 63

– धारा 482, 161 और 207 – दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति – दांडिक कार्यवाही का विचारण न्यायालय में दो दशकों तक लंबित रहना – अभियोजन द्वारा उन कथनों और दस्तावेजों, जिनका अवलंब अभियोजन द्वारा लिया जाना अपेक्षित है, की प्रतियां अभियुक्त को उपलब्ध न कराया जाना – दांडिक कार्रवाई अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

प्रशांत कुमार रे मुखर्जी बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 10

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 341, 511 और 376 – सदोष अवरोध – बलात्संग का प्रयत्न किया जाना जहां अप्राप्तवय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसका सदोष अवरोध करके उससे बलात्संग किए जाने का प्रयत्न किया वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 341, 511 और 376 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

देशराज बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 83

पृष्ठ संख्या

– धारा 354 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – अभियुक्त द्वारा लज्जा भंग किया जाना, यात्रियों को बिना टिकट बस में यात्रा कराया जाना और साक्ष्य को साबित न किया जाना – याचिका अपास्त किया जाना यदि अभियुक्त की भूमिका संदेह पर आधारित हो तो अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

उम्मेद सिंह बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 77

– धारा 354, 376 और 201 – बलात्संग – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अप्राप्तवय अभियोक्त्री से बलात्संग किया जाना – यदि चिकित्सा अधिकारी के परिसाक्ष्य के अनुसार बलात्संग किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन संदेह का फायदा देकर उन्मुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

देशराज बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 83

– धारा 376, 342, 498 और 323 – बलात्संग – विवाहित स्त्री को निरुद्ध किया जाना – यदि अभियोजन पक्ष स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभियुक्त ने बिना अभियोक्त्री की सहमति से उसके साथ बलात्संग किया या उसे सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **किशोरी लाल** 129

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 118 और 139 – परक्राम्य लिखत के धारक के पक्ष में उपधारणा – जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य

पृष्ठ संख्या

दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के प्रयोजनार्थ प्राप्त किया है ।

वेंकटेश सदानंद पाई बनाम **श्रीमती कंचन ए. काकोडकर** 52

– धारा 118 और 139 – परक्राम्य लिखत के धारक के पक्ष में उपधारणा – यह कहा जाना घिसा-पिटा है कि धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणा तभी उत्पन्न होगी जब चैक पर किए गए हस्ताक्षर स्वीकृत हों ।

वेंकटेश सदानंद पाई बनाम **श्रीमती कंचन ए. काकोडकर** 52

– धारा 138(क) और (ग), 142(ख) [सपठित साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9] – खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चैक का अनादरण – चैक के धारक द्वारा लेखीवाल को असंदत्त चैक लौटाए जाने के बाबत बैंक से सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित में सूचना देकर चैक की धनराशि की मांग किया जाना – 15 दिनों की संगणना बैंक से सूचना प्राप्ति वाले दिन को अपवर्जित करते हुए की जाएगी – यदि धारक द्वारा लेखीवाल को लिखित सूचना बैंक से सूचना प्राप्ति वाले दिन को छोड़कर 15वें दिन दी गई है तो उसको धारा 138(क) और (ग), 142(ख) के प्रयोजनार्थ समयावधि के भीतर माना जाएगा ।

के. सी. राजेश बनाम **टी. के. सांताकुमार और एक अन्य** 20

– धारा 138(ख) – आदेशक के खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चैक का अनादरण – चैक के धारक द्वारा अनादरित चैक के बाबत बैंक से सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित नोटिस देकर चैक की रकम की मांग किया जाना – यदि नोटिस इस पृष्ठांकन के साथ वापस लौटा दिया गया कि आदेशक ने मकान छोड़ दिया है और

पृष्ठ संख्या

परिवाद का नोटिस भी भिन्न पृष्ठांकन के साथ वापस लौटाया गया कि याची बाहर गया है, किन्तु जमानती वारंट तामील हो गया और याची न्यायालय में उपस्थित हो गया तो परिवादी/धारक को केवल यह साबित करना है कि उसने अपने अभिलेखों में उपलब्ध पते पर आदेशक को मांग का नोटिस भेजा था – यदि आदेशक द्वारा मांग का नोटिस प्राप्त नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी कि आदेशक ने अपने दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर नोटिस प्राप्त नहीं की ।

विजय कुमार गुप्ता बनाम **पंकज शर्मा** 46

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 21 – दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण – दांडिक मामलों का शीघ्र विचारण हमारी दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के प्रशासन को अर्थपूर्ण आकार प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है ।

प्रशांत कुमार रे मुखर्जी बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 10

– अनुच्छेद 226 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडन किया जाना – जहां अभियुक्त की कंपनी से निम्न स्तर और गलत मुद्रित दवाइयों के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप संज्ञेय अपराध का प्रकटन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से होता है वहां संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और तद्नुसार अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षित करने का कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता ।

राजेश त्यागी और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 1

राजेश त्यागी और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 16 जुलाई, 2015

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडन किया जाना – जहां अभियुक्त की कंपनी से निम्न स्तर और गलत मुद्रित दवाइयों के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप संज्ञेय अपराध का प्रकटन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से होता है वहां संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और तद्नुसार अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षित करने का कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ओषधि निरीक्षक, जिला हापुड़ द्वारा याचियों के विरुद्ध इस कारण से दर्ज कराई गई है कि तारीख 17 मार्च, 2015 को याचियों की कंपनी अर्थात् मैसर्स युनिमैक्स फार्मास्युटिकल पर छापा मारा गया था और उक्त फर्म में आयुर्वेदिक ओषधियों के अतिरिक्त 10 एलोपैथिक ओषधियां (अंग्रेजी दवाएं) भी मैसर्स पर्फेक्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ रोड, असौड़ा के निकट भीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, हापुड़, लाइसेंस सं. 2/2010 और 3 एस.सी./पी./2010 के नाम से भंडार की हुई थी, किंतु याची सं. 2 द्वारा, जो याची सं. 1 का भाई है और इस कंपनी का निर्माता और वितरक है, कोई भी दस्तावेज क्रय-विक्रय से संबंधित प्रस्तुत नहीं किया । वे सभी दवाएं ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 21(1)(ग) के अधीन फार्म सं. 15 पर अभिगृहीत की गईं और ये ओषधियां याची सं. 2 को सुपुर्द कर दी गईं । फार्म सं. 17 और 17(क) पर सभी दसों ओषधियों के कुल मिलाकर 11 नमूने लिए गए और उनकी रसीदें भी याची सं. 2 को दी गईं । यह दांडिक मामला भारतीय दंड संहिता, 1860

(जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 419, 420, 274, 275, 276 तथा ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18/27 के अधीन पुलिस थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ के अधीन दर्ज कराया गया था । याचियों ने वर्तमान रिट याचिका द्वारा, 2015 के अपराध सं. 206 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत तारीख 27 जून, 2015 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की है । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने और उसमें किए गए अभिकथनों को सत्य मानने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है । बार-बार पूछे जाने पर भी याचियों के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित नहीं कर सके कि उपर्युक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अपराध नहीं बनता है । अतः भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश सीमित होने के कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिखंडित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है । न्यायालय की राय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन ऐसा कोई भी अंतरिम अनुतोष एकमात्र और अंतिम अनुतोष के रूप में नहीं दिया जा सकता जैसाकि उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना तात्पर्यित था । यहां पर जो निदेश दिए गए हैं उनका उद्देश्य सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के उपबंधों को परिसीमित करना है और न्यायालय की राय में ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 226 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है । अंतरिम अनुतोष, ऐसे मुख्य अनुतोष के अधीन अनुषंगी अनुतोष के रूप में ही मंजूर किया जा सकता है जो किसी वाद या कार्यवाहियों में पक्षकार के अधिकारों को अंतिम रूप से विनिश्चित करने पर उपलब्ध हो सकता है । यदि न्यायालय का यह मत है कि याचियों को अन्य कोई भी समुचित या युक्तियुक्त उपचार उपलब्ध नहीं है, तब न्यायालय मामले के गुणागुणों पर विचार कर सकता है और यह तय कर सकता है कि याची यह सिद्ध कर सके हैं या नहीं कि उनके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है जिनके आधार पर उन्हें परमादेश या अन्य इसी प्रकार का कोई निदेश जारी कराए जाने का अधिकार प्राप्त है ; और ऐसा विनिश्चय लंबित रहने के दौरान न्यायालय यथास्थिति बनाए रखने के लिए समुचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है । किंतु जब न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों को विनिश्चित करने से इनकार कर देता है और स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करता है कि उन्हें

सिविल वाद में कार्यवाही किए जाने के लिए आवेदन करना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में सिविल वाद की कार्यवाही किए जाने के लिए न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन स्थायी व्यादेश की प्रकृति के अधीन निदेश जारी नहीं कर सकता । न्यायालय की राय में, संविधान के अनुच्छेद 226 की भाषा के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । न्यायालय को यह मत व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है कि यदि इस आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना नामंजूर की जाती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अभिकथनों से संज्ञेय अपराध प्रकट होता, इसलिए इस प्रक्रम पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में यह न्यायोचित नहीं होगा कि यह न्यायालय गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश के रूप में अनुतोष मंजूर करे क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकारों को विनिश्चित किए बिना याचियों को अनुतोष प्रदान किए जाने की कोटि में आएगा और इस प्रकार किया गया अंतरिम आदेश उपर्युक्त विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विधि के विरुद्ध होगा । इस प्रक्रम पर, अन्यथा भी यह न्यायालय विधिकता पर विचार नहीं कर रहा है और न ही पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारी पर कोई कार्यवाही कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही फाइल की गई इस रिट याचिका में ऐसी कोई शिकायत की गई है कि पुलिस या किसी अन्वेषण अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति या स्वयं याचियों की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी उपबंध का कोई अतिक्रमण किया है । इस रिट याचिका में मुख्य अनुतोष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित कराए जाने के संबंध में है और स्वीकृत रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, इसलिए इस प्रक्रम पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । (पैरा 4क, 6, 8 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 4 एस. सी. सी. 453 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1066 : **कुमारी हेमा मिश्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	7
[2006]	(2006) क्रिमिनल ला जर्नल 3014 : **मंजू कुमार और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	4ख, 5

[1983] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1272 :
काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बनाम
यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड और अन्य ; 7

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1305 :
अमरसरजीत सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 7

[1952] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 12 :
उड़ीसा राज्य बनाम **मदन गोपाल रोंगटा** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 16965.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित कराए जाने के लिए रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. याचियों ने वर्तमान रिट याचिका द्वारा, 2015 के अपराध सं. 206 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत तारीख 27 जून, 2015 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की है और यह दांडिक मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 419, 420, 274, 275, 276 और ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18/27 के अधीन पुलिस थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ के अधीन दर्ज कराया गया था ।

3. उपर्युक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ओषधि निरीक्षक, जिला हापुड़ द्वारा याचियों के विरुद्ध इस कारण से दर्ज कराई गई है कि तारीख 17 मार्च, 2015 को याचियों की कंपनी अर्थात् मैसर्स युनिमैक्स फार्मास्युटिकल पर छापा मारा गया था और उक्त फर्म में आयुर्वेदिक ओषधियों के अतिरिक्त 10 एलोपैथिक ओषधियां (अंग्रेजी दवाएं) भी मैसर्स पर्फेक्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ रोड, असौड़ा के निकट भीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, हापुड़, लाइसेंस सं. 2/2010 और 3 एस.सी./पी./2010 के नाम से भंडार की हुई

थी, किंतु याची सं. 2 द्वारा, जो याची सं. 1 का भाई है और इस कंपनी का निर्माता और वितरक है, कोई भी दस्तावेज क्रय-विक्रय से संबंधित प्रस्तुत नहीं किया गया । वे सभी दवाएं ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 21(1)(ग) के अधीन फार्म सं. 15 पर अभिगृहीत की गईं और ये ओषधियां याची सं. 2 को सुपुर्द कर दी गईं । फार्म सं. 17 और 17(क) पर सभी दसों ओषधियों के कुल मिलाकर 11 नमूने लिए गए और उनकी रसीदें भी याची सं. 2 को दी गईं ।

4. तारीख 26 जून, 2015 को सहायक आयुक्त, ओषधि, मेरठ उपखंड, मेरठ के आदेश के अनुसरण में, अन्य प्राधिकारियों सहित प्रत्यर्थी सं. 3 याचियों की फर्म अर्थात् युनिमैक्स फार्मास्युटिकल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे किंतु सूचना दिए जाने के बावजूद वहां पर कोई भी नहीं मिला, इसके पश्चात् फर्म का ताला तोड़ा गया और सभी दसों ओषधियां जो तारीख 17 मार्च, 2015 को अभिगृहीत की गई थीं वहां पर लापता पाई गईं और वह अहाता रिक्त पाया गया । अतः, उपरोक्त सभी ओषधियां निम्न स्तर की और उन पर गलत छपाई होने के कारण याचियों के विरुद्ध प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

4क. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने और उसमें किए गए अभिकथनों को सत्य मानने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है । बार-बार पूछे जाने पर भी याचियों के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित नहीं कर सके कि उपर्युक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अपराध नहीं बनता है । अतः भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश सीमित होने के कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिखंडित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

4ख. इस प्रक्रम पर, याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित नहीं की जाती है और यदि रिट याचिका खारिज नहीं की जाती है तब भी यह न्यायालय याची को गिरफ्तार होने से संरक्षित करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकता है । विद्वान् काउंसेल ने **मंजू कुमार और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का

---

[1] (2006) क्रिमिनल ला जर्नल, 3014.

अवलंब लिया है जोकि ऐसा मामला है जिसमें याची का पक्षकथन मंजूर किया गया था और अभियोजन पक्ष का संपूर्ण पक्षकथन अभिखंडित कर दिया गया । उक्त निर्णय के पैरा 10, 11 और 12 में निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां दी गई थीं :–

> "10. इस मामले में ओषधि निरीक्षक की ओर से इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी शपथपत्र फाइल नहीं किया गया है कि उन्होंने छापा मारने में तथा तलाशी लेने में वास्तविक रूप से भाग लिया था और अभिगृहीत की गई सामग्री, जैसाकि ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22(2) के अधीन उपबंधित है, उनकी मौजूदगी में कब्जे में ली गई थी । स्वीकृततः, ओषधि और प्रसाधन अधिनियम की धारा 32 के अधीन भी एक पुलिस प्रभारी द्वारा मामला संस्थित किया गया है जबकि उस पुलिस अधिकारी को ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन कोई भी मामला संस्थित करने की कोई अधिकारिता नहीं है ।
>
> 11. चूंकि वर्तमान मामले में प्रत्येक कार्यवाही इत्तिलाकर्ता द्वारा, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32 के प्रतिकूल की गई है जोकि इस अधिनियम की धारा 22(2) के भी विरुद्ध है, इसलिए राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल की यह दलील स्वीकार करना उचित नहीं है कि इस मामले में कोई भी अविधिकता नहीं है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए कोई कारण नहीं है ।
>
> 12. याची के काउंसेल ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड **बनाम** बिहार राज्य और अन्य, [(1997) 1 बी. एल. जे. 899] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ओषधि निरीक्षक द्वारा, मेरी राय में, शिकायत दर्ज कराए जाने पर अभियोजन संस्थित किया जा सकता है और पुलिस को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने और इस अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने की कोई अधिकारिता नहीं है । अतः, पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण अधिकारातीत है और यह अभिखंडित किए जाने योग्य है ।"

5. दी गई दलील पूर्णतया निराधार है । जिस निर्णय का अवलंब लिया गया है वह वर्तमान मामले के तथ्यों को किसी भी प्रकार लागू नहीं

होता है और यह पूर्णतया भिन्न है । उक्त मामले में, ओषधि निरीक्षक ने छापा मारने की प्रक्रिया में भाग लिया है और यह कार्यवाही पुलिस पदधारियों द्वारा की गई थी । तथापि, यह मामला उद्धृत किए गए मामले से भिन्न है । याचियों के विद्वान् काउंसेल यह अभिवाक् नहीं कर सके कि इस मामले में ऐसी ही अविधिकता और शिथिलता प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा कारित की गई है जैसे कि **मंजू कुमार और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में कारित की गई थी ।

6. जब एक बार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, तब इस न्यायालय को अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश जैसा कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होती है । उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कार्यवाही पर खेद व्यक्त किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अंतिम अनुतोष दिए जाने से इनकार कर दिया गया है, तब किसी भी प्रकार का कोई अंतरिम अनुतोष/अंतरिम आदेश याचियों के पक्ष में मंजूर नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार का पहला मामला **उड़ीसा राज्य** बनाम **मदन गोपाल रोंगटा**[2] वाला मामला है । इस मामले में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अंतिम अनुतोष प्रदान करने से इनकार कर दिया कि याची को एक आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध था, अतः आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण रिट याचिका खारिज कर दी किंतु इसके पश्चात् यह देखते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अधीन 16 दिन का नोटिस वाद फाइल करने के पूर्व देना पड़ेगा, जिसके लिए समय दिया जाना आवश्यक है, इसलिए अंतरिम अनुतोष मंजूर किया गया । उच्चतम न्यायालय ने इस कार्यवाही को गलत बताते हुए यह मत व्यक्त किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन जो अनुतोष मंजूर किया जाता है वह केवल न्यायालय के विनिश्चय पर आधारित होता है और इस विनिश्चय से आहत पक्षकार के अधिकार का अतिक्रमण होता है । अतः, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार, अधिकारिता का प्रयोग किए जाने पर आधारित होता है । क्योंकि न्यायालय ने पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कुछ भी विनिश्चित नहीं किया है इसलिए अंतिम या अंतरिम, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा और वैसे भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन ऐसी अधिकारिता प्रदत्त नहीं की गई है । इस निर्णय के पैरा 6 में न्यायालय द्वारा

---

[1] (2006) क्रिमिनल ला जर्नल 3014.

[2] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 12.

यह मत व्यक्त किया गया है :–

> "हमारी राय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन ऐसा कोई भी अंतरिम अनुतोष एकमात्र और अंतिम अनुतोष के रूप में नहीं दिया जा सकता जैसाकि उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना तात्पर्यित था । यहां पर जो निदेश दिए गए हैं उनका उद्देश्य सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के उपबंधों को परिसीमित करना है और हमारी राय में ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 226 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है । अंतरिम अनुतोष, ऐसे मुख्य अनुतोष के अधीन अनुषंगी अनुतोष के रूप में ही मंजूर किया जा सकता है जो किसी वाद या कार्यवाहियों में पक्षकार के अधिकारों को अंतिम रूप से विनिश्चित करने पर उपलब्ध हो सकता है । यदि न्यायालय का यह मत है कि याचियों को अन्य कोई भी समुचित या युक्तियुक्त उपचार उपलब्ध नहीं है, तब न्यायालय मामले के गुणागुणों पर विचार कर सकता है और यह तय कर सकता है कि याची यह सिद्ध कर सके हैं या नहीं कि उनके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है जिनके आधार पर उन्हें परमादेश या अन्य इसी प्रकार का कोई निदेश जारी कराए जाने का अधिकार प्राप्त है ; और ऐसा विनिश्चय लंबित रहने के दौरान न्यायालय यथास्थिति बनाए रखने के लिए समुचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है । किंतु जब न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों को विनिश्चित करने से इनकार कर देता है और स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करता है कि उन्हें सिविल वाद में कार्यवाही किए जाने के लिए आवेदन करना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में सिविल वाद की कार्यवाही किए जाने के लिए न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन स्थायी व्यादेश की प्रकृति के निदेश जारी नहीं कर सकता । हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 226 की भाषा के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । ऐसे तुच्छ आधार पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है ।"

7. उपर्युक्त विनिश्चय का अनुसरण इन मामलों में किया गया है – **अमरसरजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड** बनाम **यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड और अन्य**[2] और हाल

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1305.

[2] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1272.

ही में दिया गया निर्णय अर्थात् **कुमारी हेमा मिश्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] ।

8. उपर्युक्त बातों को दृष्टिगत करते हुए, हमें यह मत व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है कि यदि इस आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना नामंजूर की जाती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अभिकथनों से संज्ञेय अपराध प्रकट होता, इसलिए इस प्रक्रम पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में यह न्यायोचित नहीं होगा कि यह न्यायालय गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के रूप में, अनुतोष मंजूर करे क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकारों को विनिश्चित किए बिना याचियों को अनुतोष प्रदान किए जाने की कोटि में आएगा और इस प्रकार किया गया अंतरिम आदेश उपर्युक्त विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विधि के विरुद्ध होगा ।

9. इस प्रक्रम पर, अन्यथा भी यह न्यायालय विधिकता पर विचार नहीं कर रहा है और न ही पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारी पर कोई कार्यवाही कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही फाइल की गई इस रिट याचिका में ऐसी कोई शिकायत की गई है कि पुलिस या किसी अन्वेषण अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति या स्वयं याचियों की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी उपबंध का कोई अतिक्रमण किया है । इस रिट याचिका में मुख्य अनुतोष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित कराए जाने के संबंध में है और स्वीकृत रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, इसलिए इस प्रक्रम पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

10. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

11. रिट याचिका खारिज की जाती है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

अस./पा.

---

[1] (2014) 4 एस. सी. सी. 453 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1066.

प्रशांत कुमार रे मुखर्जी

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 7 अक्तूबर, 2015

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482, 161 और 207 – दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति – दांडिक कार्यवाही का विचारण न्यायालय में दो दशकों तक लंबित रहना – अभियोजन द्वारा उन कथनों और दस्तावेजों, जिनका अवलंब अभियोजन द्वारा लिया जाना अपेक्षित है, की प्रतियां अभियुक्त को उपलब्ध न कराया जाना – दांडिक कार्रवाई अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 21 – दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण – दांडिक मामलों का शीघ्र विचारण हमारी दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के प्रशासन को अर्थपूर्ण आकार प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि तथाकथित अपराध वर्ष 1985 में घटित हुआ था । मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के लगभग छह वर्ष पश्चात् अर्थात् वर्ष 1991 में दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में अन्वेषण आरंभ हुआ । तत्पश्चात् तारीख 12 सितंबर, 1996 को आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के निबंधनों के अनुसार याची उस समय तक अभिलिखित कथनों और दस्तावेजों जिनका अवलंब अभियोजन द्वारा लिया जाना था, की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार था । ऐसी परिस्थितियों में यह पता चला कि केस डायरी खो गई है । तथापि, अभियोजन ने 47 पन्नों के दस्तावेज की प्रतियां याची को उपलब्ध करा दी । उन पन्नों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कोई कथन समाविष्ट नहीं था । जब इस बाबत निचले विद्वान् न्यायालय के समक्ष ध्यानाकर्षण किया गया तो उक्त न्यायालय बचने का प्रयास करते हुए और ऐसी रीति में जिससे हम सहमत नहीं हैं इस विनिश्चय पर पहुंचा कि याची को ये अभिवाक् बैरकपुर के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष न्यायालय) के समक्ष करना चाहिए । विद्वान् विशेष न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य का उल्लेख

नहीं किया कि याची केस डायरी में समाविष्ट सामग्री को अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दो बार इस माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आ चुका है और इस माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को प्रतियां उपलब्ध कराने और अनुध्यात समय अवधि के भीतर विचारण समाप्त करने के लिए निदेशित भी कर दिया है । इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में न तो अभियोजन को और न ही निचले न्यायालयों को प्रेरित किया । मामला विशेष न्यायालय के सुपुर्द किया गया और जब उक्त न्यायालय ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विचारण आरंभ करने का निर्णय लिया तो अभियुक्त-याची ने उन्मोचित किए जाने के लिए प्रार्थना की । उक्त आवेदन का आक्षेपित आदेश द्वारा निस्तारण करते हुए बारासर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि इस बात का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बारंबार उपस्थित हुए किंतु अभी तक किसी निचले न्यायालय को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है कि वह निर्णीत करे कि क्या वह अभियुक्तों को उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए या नहीं । आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याची-अभियुक्त ने प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिकथित अपराध वर्ष 1985 में घटित हुआ था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वर्ष 1991 में अर्थात् लगभग छह वर्ष पश्चात् दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने और अन्वेषण की समाप्ति में कारित विलंब के लिए कोई विधिपूर्ण कारण दर्शित नहीं किया गया है । स्वीकृततः, मामला डायरी खो गई थी । अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त-याची इस प्रकार के विलंब का उत्तरदायी है । मामला विगत दो दशकों से लंबित है । इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निरंतर दो आदेशों के बावजूद मामले में कुछ भी प्रगति नहीं हुई । अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया कि इसी दौरान कुछ अभियुक्त-याची सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं किंतु इस मामले के लंबित रहने के कारण उनको उनके सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन नहीं दिए गए थे और इस बात को राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा स्वीकार किया गया । अभियोजन साक्ष्य कैसे पेश करेगा और अभियुक्त-याची अपनी प्रतिरक्षा कैसे करेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मामला दो दशकों से लंबित है और 2011 का दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1385 और 2007 की

दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2680 के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया । संविधान के निर्माता नागरिक के जीवन और स्वातंत्र्य के अधिकार के प्रति उदासीन नहीं थे । तद्नुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शीघ्र विचारण की आवश्यकता को स्वीकार किया और उसको मान्यता प्रदान की । हमारी दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के प्रशासन को अर्थपूर्ण आकार प्रदान करना हम सभी, जो इस प्रणाली से संबद्ध हैं, की विधिक बाध्यता है । यदि अभियोजन रावण के द्वितीय दावानल भाई, जो पुस्तकों के अनुसार निरंतर छह माह तक निद्रा में रहने के पश्चात् एक दिन के लिए जागता है, की भूमिका अपना लेगा तो उच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्य को पूर्ण करने और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए विचार करना होगा । न्याय की देवी की तलवार को अनिश्चित अवधि तक अभियुक्त के गले पर लटके रहने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए । (पैरा 7, 8 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 3 एस. सी. सी. 355 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1822 : **वोकिल प्रसाद सिंह** बनाम **बिहार राज्य ;**	5
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 117 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 3077 : **पंकज कुमार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	5
[2002]	(2002) 3 सी. एच. एन. 670 : **अश्विनी कुमार भट्टाचार्या** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;**	5
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 149 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2989 : **महेन्द्र लाल दास** बनाम **बिहार राज्य और अन्य ।**	5

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1098.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से	सर्वश्री मिलन मुखर्जी (वरिष्ठ अधिवक्ता), विश्वजीत मन्ना, (सुश्री) सुमन डे, संदीपन गांगुली, जयदीप बिश्वास और सौम्यदीप दास
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आनंद केशरी

आदेश

मेरे समक्ष उपस्थित श्रमशील याची ने विगत दो दशकों के दौरान "निष्पक्ष विचारण" का सामना करने के प्रयोजनार्थ अपनी अत्यधिक सहनशक्ति को दर्शित कर दिया है जिसके लिए वह प्रथम पायदान से अंतिम पायदान तक दौड़ा और जब उसको यह अनुभव हुआ कि "निष्पक्ष विचारण" बिल्कुल भी संभव नहीं है तो वह इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए उपस्थित हुआ कि तारीख 31 अगस्त, 2019 के बैरकपुर पुलिस थाना मामला सं. 92 से उत्पन्न 1991 का मामला सं. 5329 की कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया जाए ।

2. प्रभावी न्यायनिर्णय के हित में तथ्यात्मक पहलुओं को पुनः वर्णित किया जाना अपेक्षित है । अभियुक्त-याची के अनुसार तथाकथित अपराध वर्ष 1985 में घटित हुआ था । मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के लगभग छह वर्ष पश्चात् अर्थात् वर्ष 1991 में दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में अन्वेषण आरंभ हुआ । तत्पश्चात् तारीख 12 सितंबर, 1996 को आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के निबंधनों के अनुसार याची उस समय तक अभिलिखित कथनों और दस्तावेजों जिनका अवलंब अभियोजन द्वारा लिया जाना था, की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार था । ऐसी परिस्थितियों में यह पता चला कि केस डायरी खो गई है । तथापि, अभियोजन ने 47 पन्नों के दस्तावेज की प्रतियां याची को उपलब्ध करा दी । उन पन्नों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कोई कथन समाविष्ट नहीं था । जब इस बाबत निचले विद्वान् न्यायालय के समक्ष ध्यानाकर्षण किया गया तो उस न्यायालय ने बचने का प्रयास करते हुए ऐसी रीति में, जिससे हम सहमत नहीं हैं, यह निष्कर्ष निकाला कि याची को ये अभिवाक् बैरकपुर के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष न्यायालय) के समक्ष करना चाहिए । विद्वान् विशेष न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि याची केस डायरी में समाविष्ट सामग्री को अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दो बार इस माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आ

चुका है और इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को प्रतियां उपलब्ध कराने और अनुध्यात समय अवधि के भीतर विचारण समाप्त करने के लिए निदेशित भी कर दिया है । इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश ने न तो अभियोजन को और न ही निचले न्यायालयों को प्रेरित किया । मामला विशेष न्यायालय के सुपुर्द किया गया और जब उक्त न्यायालय ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विचारण आरंभ करने का निर्णय लिया तो अभियुक्त-याची ने उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना की । उक्त आवेदन का निस्तारण करते हुए बारासर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि "इस बात का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बारंबार उपस्थित हुए किंतु अभी तक किसी निचले न्यायालय को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है कि वह निर्णीत करे कि क्या अभियुक्तों को उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए या नहीं ।" याची के अनुसार उक्त विशेष न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष बिल्कुल आधारहीन है क्योंकि अभियुक्त-याची ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों, जिनका अवलंब अभियोजन द्वारा लिया गया, की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थना की थी ।

3. हमारे समक्ष प्रस्तुत याचिका के संलग्नक, जो वर्ष 2007 की सिविल पुनरीक्षण याचिका सं. 2680 के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश है, के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि न्यायमूर्ति पी. एस. दत्ता ने यह निदेश दिया था, "मैं आवेदक का निस्तारण विद्वान् निचले न्यायालय को यह निर्देश देते हुए करता हूं कि वह मामले में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ाने, यदि ऐसा किया जाना बिल्कुल ही असंभव न हो, के लिए प्रत्येक प्रयास करें और विशेष पहल करें ताकि मामले में आगे और अधिक विलंब न हो और इस आदेश की सूचना की तारीख से अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर मामले का निस्तारण करें ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश तारीख 20 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था । अभियुक्त-याची निचले विद्वान् न्यायालय द्वारा निकाले गए उक्त निष्कर्ष को चुनौती देते हुए और अन्य बातों के साथ यह दलील देते हुए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ कि विद्वान् निचले न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर शब्दशः विचार नहीं किया ।

कारणों सहित विनिश्चय :

4. विद्वान् काउंसेल श्री मिलन मुखर्जी ने उत्साहहीन अन्वेषण, अन्वेषण अभिकरण के आचरण, अभियोजन अभिकरण के विलंबकारी उपायों और आक्षेपित आदेशों की आलोचना की । उन्होंने दलील दी कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा ऐसा कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिकथित अपराध की तारीख से छह वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात् क्यों दर्ज कराई गई । विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घातक नहीं है । किंतु ऐसे विलंब के संबंध में, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, निश्चित रूप से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । उन्होंने अन्वेषण के तरीके के संबंध में विरोध जताया । अन्वेषण लंबे विलंब के पश्चात्, अर्थात् वर्ष 1996 में समाप्त किया गया था और केस डायरी भी खो गई थी । दस्तावेजों की जिरोक्स प्रतियों से प्रतीत होता है कि आलोक नंदा बसु नामक अधिवक्ता ने केस डायरी तारीख 24 नवंबर, 1999 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के लोक अभियोजन कार्यालय की मुहर लगाकर प्राप्त की थी । उन्होंने निवेदन किया कि उक्त आलोक नंदा बसु अब जीवित नहीं हैं । अभियोजन के अनुसार उसने (आलोक नंदा बसु ने) केस डायरी, जिसमें 444 पृष्ठ समाविष्ट थे जैसाकि राज्य पैनल अधिवक्ता आलोक नंदा बसु द्वारा किए गए पृष्ठांकन से स्पष्ट है, हस्तगत कर दी थी । यह जिज्ञासा का विषय है कि आरोप विरचित किए जाते समय अभियुक्त-याची को केवल 47 पृष्ठ हस्तगत किए गए थे और बारासर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है । यह आश्चर्य का विषय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया है । विद्वान् निचले न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया है कि 47 पन्नों में से बड़ी संख्या में दस्तावेज बिल्कुल भी सुसंगत नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने स्पष्टतया अभिकथित किया कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा कैसे करेगा जब तक कि उसको यह पता न हो कि कौन सा साक्षी अभियोजन के वृत्तांत के कौन से भाग का शपथपूर्वक कथन करेगा । उसी समय विद्वान् भारसाधक लोक अभियोजक उन अभियोजन साक्षियों जिनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं का साक्ष्य कैसे लेगा जब तक कि उसको यह पता न हो कि साक्षी ने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष कौन सा कथन किया था । इसके अतिरिक्त साक्षियों की स्मरण शक्ति को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयोजनार्थ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन भी अपेक्षित है ।

5. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने अन्य बातों के

साथ यह दलील देते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश परस्पर-विरोधाभासी हैं । उन्होंने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को निर्दिष्ट किया जो इस प्रकार हैं, "अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त-याची तारीख 11 मार्च, 2011 के आदेश के बाबत पूर्णतया शांत क्यों है जिसमें सभी अभियुक्तों और उनके विद्वान् अधिवक्ताओं की उपस्थिति में यह मताभिव्यक्ति की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 का पालन किया गया है । यह भी महत्वपूर्ण है कि सिवाय उक्त अभियुक्त-याची के अन्य अभियुक्तों ने बैरकपुर के विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 11 मार्च, 2011 के आदेश के पश्चात् प्रतियों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई शिकायत दर्शित नहीं की है ।" विद्वान् काउंसेल श्री मिलन मुखर्जी ने दलील दी कि विद्वान् निचले न्यायालय ने इस तथ्य का अनदेखा किया कि अभियुक्त-याची ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक अन्य पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया था जो वर्ष 2011 का दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1385 है और इस विवाद्यक का विरोध किया था । याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभियोजन ने दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति कर दी है, जैसाकि हमारे समक्ष उपस्थित आवेदन के पैरा 30 में उल्लिखित है । उन्होंने यह दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियों की आपूर्ति नहीं की गई है । याची के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि आरोप विरचित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई सामग्री नहीं है और इसलिए कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए । उन्होंने आगे दलील दी कि उक्त पुनरीक्षण-आवेदन का निस्तारण करते समय विद्वान् न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, "2007 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2680 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित तारीख 20 अगस्त, 2009 के पूर्ववर्ती निदेश को दृष्टि में रखते हुए मैं विद्वान् निचले न्यायालय को ये निदेश देते हुए इस आवेदन को निस्तारित करता हूं कि पक्षों को सुने जाने के प्रयोजनार्थ तारीख निर्धारित की जाए । इसमें के याची को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों को सम्मिलित करते हुए पुलिस दस्तावेज के समस्त विवरण उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में सभी बिंदुओं पर दलील दें । इसमें के याची को स्वतंत्रता होगी कि वह विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष विधि के बिंदुओं पर दलीलें दें ।" उन्होंने विद्वान् विशेष न्यायाधीश के आदेश को निर्दिष्ट

करते हुए दलील दी कि अभियुक्त-याची 11 मार्च, 2011 के आदेश के बारे में पूर्णतया शांत था, का यह अर्थ नहीं है कि वह असत्य कथन नहीं करता । उनके अनुसार विद्वान् विशेष न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष आधारहीन है । विद्वान् विशेष न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा कि अभियुक्तों ने लगातार दो अवसरों पर अपनी शिकायतों को प्रदर्शित किया था । विद्वान् निचला न्यायालय इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निदेश का अक्षरशः मूल्यांकन नहीं कर सका । अभियुक्त-याची ही था जिसने शीघ्र निस्तारण और निष्पक्ष विचारण के लिए प्रार्थना की थी । माननीय न्यायालय ने लगातार दोनों अवसरों पर समुचित आदेश पारित किए थे किंतु इसका अभियोजन अभिकरण द्वारा स्वागत नहीं किया गया, वे मामला डायरी के अनुसार दस्तावेज हस्तगत नहीं कर सके । अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त-याची की इस प्रकार के असामान्य विलंब में कोई भूमिका नहीं थी । वह विलंब का कारक नहीं है । अभियोजन अभिकरण विनिर्दिष्ट निदेश के बावजूद निष्पक्ष बना रहता है । उन्होंने आगे दलील दी कि विद्वान् निचला न्यायालय विधि की स्थिति का मूल्यांकन कर पाने में विफल रहा । उन्होंने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों, जिसमें विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने दलील दी थी कि चूंकि उच्च न्यायालय ने उनको उन्मोचित नहीं किया, इसलिए आरोप विरचित किया जाएगा, को निर्दिष्ट किया । विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि विद्वान् निचला न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 और 227 की परिधि को पूर्णतया भूल गया था । उन्होंने ऐसी शिकायतों को दर्शित करते हुए निवेदन किया कि यह उचित मामला है जहां इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग किया जाए । उन्होंने **अश्विनी कुमार भट्टाचार्या** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया । इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फरवरी, 1981 में दर्ज कराई गई थी । 1985 में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और तत्पश्चात् लगभग 21 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं किंतु इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है । इस कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया और **महेन्द्र लाल दास** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया । श्री मुखर्जी ने **पंकज कुमार** बनाम

---

[1] (2002) 3 सी. एच. एन. 670.

[2] (2002) 1 एस. सी. सी. 149 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2989.

महाराष्ट्र राज्य[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का भी अवलंब लिया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार तीव्रगति के साथ विचारण एक अधिकार है और इस अधिकार को हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है । अभियुक्त-याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने **वोकिल प्रसाद सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का भी अवलंब लिया । विद्वान् काउंसेल ने इस निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया कि जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना का अतिलंघन हुआ है, तो उच्च न्यायालय को याची की सहायता के लिए आगे आना चाहिए ।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने तथ्यात्मक पहलुओं पर कोई विवाद नहीं किया । उन्होंने निवेदन किया कि अभियोजन उन दस्तावेजों की आपूर्ति अभियुक्तों को करता है जिनका वह अवलंब लेता है । इसलिए उनके अनुसार अभियुक्त-याची को किसी भी प्रकार से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है ।

7. दोनों पक्षों द्वारा किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभिकथित अपराध वर्ष 1985 में घटित हुआ था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वर्ष 1991 में अर्थात् लगभग छह वर्ष पश्चात् दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने और अन्वेषण की समाप्ति में कारित विलंब के लिए कोई विधिपूर्ण कारण दर्शित नहीं किया गया है । स्वीकृततः, मामला डायरी खो गई थी । अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त-याची इस प्रकार के विलंब का उत्तरदायी है ।

8. इससे मेरे अंतःकरण को चोट पहुंचती है कि मामला विगत दो दशकों से लंबित है । इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निरंतर दो आदेशों के बावजूद मामले में कुछ भी प्रगति नहीं हुई । अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया कि इसी दौरान कुछ अभियुक्त-याची सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं किंतु इस मामले के लंबित रहने के कारण उनको उनके सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन नहीं दिए गए थे और इस बात को राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा स्वीकार किया गया । अभियोजन साक्ष्य कैसे पेश करेगा और अभियुक्त-याची अपनी प्रतिरक्षा कैसे करेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर

---

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 117 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 3077.

[2] (2009) 3 एस. सी. सी. 355 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1822.

विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मामला दो दशकों से लंबित है और 2011 का दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1385 और 2007 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2680 के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया ।

9. संविधान के निर्माता नागरिक के जीवन और स्वातंत्र्य के अधिकार के प्रति उदासीन नहीं थे । तद्नुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शीघ्र विचारण की आवश्यकता को स्वीकार किया और उसको मान्यता प्रदान की । हमारी दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के प्रशासन को अर्थपूर्ण आकार प्रदान करना हम सभी, जो इस प्रणाली से संबद्ध हैं, की विधिक बाध्यता है । यदि अभियोजन रावण के द्वितीय दावानल भाई, जो पुस्तकों के अनुसार निरंतर छह माह तक निद्रा में रहने के पश्चात् एक दिन के लिए जागता है, की भूमिका अपना लेगा तो उच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्य को पूर्ण करने और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए विचार करना होगा । न्याय की देवी की तलवार को अनिश्चित अवधि तक अभियुक्त के गले पर लटके रहने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए ।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अन्वेषण के तरीके और मामले की कछुए की गति को दृष्टि में रखते हुए मेरा विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लिया जाना चाहिए ।

11. इसलिए मेरे पास इसके सिवाय अन्य कोई विचार नहीं है कि बारासर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाए । बैरकपुर पुलिस थाना मामला सं. 1992 से उत्पन्न 2011 का विशेष मामला सं. 3 जो 1991 के जी. आर. मामला सं. 5329 से संबद्ध है, में पारित तारीख 31 अगस्त, 1991 के आदेश और कार्यवाही को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है ।

12. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाता है । 2011 का विशेष मामला सं. 3 जो 1991 के जी. आर. मामला सं. 5329 से संबद्ध है, याची प्रशांत कुमार रे मुखर्जी के संबंध में अभिखंडित किया जाता है ।

2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2773 :

13. 2014 के 1098 में पारित निर्णय को दृष्टि में रखते हुए यह पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है ।

14. 2011 के विशेष मामला सं. 3 जो बैरकपुर पुलिस थाना मामला सं. 1992 से उद्भूत 1991 के जी. आर. मामला सं. 5329 से संबद्ध है, याची गोपी प्रसाद मुखर्जी के संबंध में अभिखंडित किया जाता है ।

15. इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ विद्वान् निचले न्यायालय को भेजी जाए ।

16. यदि इस निर्णय और आदेश की त्वरित सत्यापित प्रति के लिए आवेदन किया जाता है तो पक्षों को अपेक्षित औपचारिकताओं के अनुपालन के पश्चात् उपलब्ध करा दी जाएं ।

तद्नुसार याचिका का निपटारा किया गया ।

शु.

(2016) 2 दा. नि. प. 20 **केरल**

के. सी. राजेश

बनाम

टी. के. सांताकुमार और एक अन्य

तारीख 2 नवम्बर, 2015

न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन्

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138(क) और (ग), 142(ख) [सपठित साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9] – खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चैक का अनादरण – चैक के धारक द्वारा लेखीवाल को असंदत्त चैक लौटाए जाने के बाबत बैंक से सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित में सूचना देकर चैक की धनराशि की मांग किया जाना – 15 दिनों की संगणना बैंक से सूचना प्राप्ति वाले दिन को अपवर्जित करते हुए की जाएगी – यदि धारक द्वारा लेखीवाल को लिखित सूचना बैंक से सूचना प्राप्ति वाले दिन को छोड़कर 15वें दिन दी गई है तो उसको धारा 138(क) और (ग), 142(ख) के प्रयोजनार्थ समयावधि के भीतर माना जाएगा ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि अभियुक्त ने उससे 55,000/- रुपए की राशि उधार ली थी और उस दायित्व के निर्वहन में चैक जारी किया गया था जो जिला कोऑपरेटिव बैंक, वादानपल्ली शाखा पर आहरित थी । चैक को अभियुक्त के खाते में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया परंतु "अपर्याप्त निधि" के कारणवश अनादरित हो गई और अनादरण ज्ञापन के साथ वापस लौट आई और परिवादी को इस बाबत सूचना उसके बैंकर से पत्र द्वारा प्राप्त हुई । परिवादी ने नोटिस डाक प्राप्ति सहित भेजा और वह अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जिसकी साक्ष्य डाक स्वीकारोक्ति है । उसने रकम का संदाय नहीं किया, इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया । अतः परिवाद फाइल किया गया । जब अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपराध के विवरण उसको पढ़कर सुनाए और समझाए गए और उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । परिवादी ने अपना पक्षकथन साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अपना स्वयं का परीक्षण कराया । परिवादी के साक्ष्य के समापन के पश्चात् अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछताछ की गई और उसने उन समस्त फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया जो उसके विरुद्ध परिवादी के साक्ष्य द्वारा अभिलेख पर लाई गई थीं । उसने आगे अभिकथित किया कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य कोई संव्यवहार नहीं हुआ था और वह मैसर्स लक्ष्मी चिट्स और फाइनेंस द्वारा संचालित किटी का अंशदाता था और जब उसने किटी में बोली लगाई, तो एक हस्ताक्षरित रिक्त चैक दिया था और परिवादी उस चैक का दुरुपयोग कर रहा है, और इसी कारणवश वर्तमान परिवाद फाइल किया गया है । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचारोपरांत निष्कर्ष निकाला कि नोटिस समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् जारी की गई थी और इसलिए परिवाद पोषणीय नहीं है और अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है और उसको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(1) के अधीन दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर दांडिक अनुमति याचिका के साथ वर्तमान अपील फाइल की है और आवेदन मंजूर कर लिया गया और अनुमति प्रदान की गई और तत्पश्चात् अपील को विचारणार्थ ग्रहण किया गया । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – धाराओं में उल्लिखित शब्दों ''का'' और ''से'' के मध्य कोई अन्तर नहीं है और इन शब्दों को परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ कोई भिन्न अर्थ और भिन्न निर्वचन दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन पर इस प्रकार से विचार किया जाएगा जैसे कि उनका एक ही अर्थ हो और आगे अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 लागू होगी और वाद कारण के आरंभ बिन्दु का प्रथम दिवस अपवर्जित कर दिया जाएगा और परिसीमा की संगणना धारा के अधीन उल्लिखित कतिपय कार्रवाई किए जाने हेतु वाद कारण के आरंभ बिन्दु के अगले दिवस से की जाएगी । अधिनियम की धारा 138 के खंड (क) और परंतुक (ग) और धारा 142(ख) में उल्लिखित अवधि के प्रयोजनार्थ प्रश्न पर विचार किए जाने के लिए इसी सिद्धांत को अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (ख) में उल्लिखित अवधि तक और साथ ही नोटिस जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ भी विस्तारित किया जा सकता है । बैंक से प्राप्त सूचना की तारीख अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन नोटिस भेजे जाने तक अपवर्जित की जानी चाहिए । यदि ये सिद्धांत लागू किए जाते हैं, तो नोटिस भेजे जाने के लिए वाद कारण बैंक से सूचना की प्राप्ति के अगले दिन से आरंभ होगा अर्थात् तारीख 13 जुलाई, 1999 से चूंकि सूचना तारीख 12 जुलाई, 1999 को प्राप्त हुई थी और नोटिस तारीख 27 जुलाई, 1999 को अर्थात् सूचना की प्राप्ति के 15वें दिन भेजी गई थी जोकि समयावधि के भीतर है । इसलिए निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि जारी किया गया नोटिस समयावधि द्वारा बाधित है, ऊपर की गई चर्चा को दृष्टि में रखते हुए विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और इस आधार पर निचले न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त की दोषसिद्धि का आदेश भी मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नोटिस समयावधि के भीतर भेजी गई थी । अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपलब्ध उपधारणा को अभिखंडित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, को दृष्टि में रखते हुए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि मामले को पुनः निस्तारण के लिए प्रतिप्रेक्षित किया जाए चूंकि साक्ष्य पहले से ही अभिलेख पर उपलब्ध है । आगे, निचले न्यायालय ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त उपधारणा का खंडन कर पाने में विफल रहा है और परिवादी ने चैक के निष्पादन को साबित कर दिया

है और यह चैक परिवाद को अभियुक्त से विधितः प्रवर्तनीय देय ऋण के उन्मोचन में जारी किया गया था । अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं था कि उसने नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् रकम का संदाय किया था । जब एक बार परिवादी ने साबित कर दिया है कि अभियुक्त ने सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रकम का संदाय नहीं किया, तो अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है । इसलिए निचले न्यायालय का निष्कर्ष कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, ऊपर की गई चर्चा को दृष्टि में रखते हुए विधि अनुसार मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । इसलिए निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाया जाता है और उसको तद्नुसार दोषसिद्ध किया जाता है । (पैरा 16, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	2015 (3) के. एल. टी. (एस. एन.) 42 : **इशाक** बनाम **रघुनाथन चेतियार** ;	17
[2014]	ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 771 = 2013 (4) के. एल. टी. 350 (एस. सी.) : **सोमनाथ सरकार** बनाम **उत्पल बसु मलिक** ;	19
[2014]	(2014) 11 एस. सी. सी. 759 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1554 : **रमेश चन्द्र अम्बालाल जोशी** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य** ;	14
[2014]	(2014) 11 एस. सी. सी. 769 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3283 : **ईकोन अंत्री लिमिटेड** बनाम **रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य** ;	15,16
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1907 = जे. टी. 2010 (4) (एस. सी.) 457 : **दामोदर ए. प्रभू** बनाम **सैय्यद बाबा लाल एच.** ;	19

[2009]	(2009) 13 एस. सी. सी. 623 : **शिवा कुमार** बनाम **नटराजन** ;	13,16
[2008]	2008 क्रिमिनल ला जर्नल 1246 (छत्तीसगढ़) = 2008 (2) के. एल. टी. (एस. एन.) 18 : **प्रेमीश वर्मा** बनाम **लोकेश वर्मा** ;	13
[2007]	ए. आई. आर. 2007 (एन. ओ. सी.) 1955 (केरल) = 2007 (3) के. एल. टी. 31 : **रवि** बनाम **कुटप्पन** ;	13
[2005]	2005 क्रिमिनल ला जर्नल 1905 (केरल) = 2005 (1) के. एल. टी. 537 : **कृष्णाकुट्टी नायर** बनाम **अशोकन्** ;	13
[2000]	(2000) 8 एस. सी. सी. 649 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 36 : **तरुण प्रसाद चटर्जी** ;	15
[1999]	(1999) 3 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1090 : **साकेथ इंडिया लिमिटेड** ;	15
[1999]	(1999) 4 एस. सी. सी. 567 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1609 : **एस आई एल इंपोर्ट, यू. एस. ए.** ;	15
[1994]	1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3439 (केरल) = 1994 (1) के. एल. टी. 441 : **मधु** बनाम **ओमेगा पाइप्स लिमिटेड** ;	6,10
[1963]	ए. आई. आर. 1963 पंजाब 378 : **आई. एम. लाल** बनाम **गोपाल सिंह** ;	12
[1950]	ए. आई. आर. 1950 मध्य भारत 119 : **मुन्ना लाल** बनाम **माणिक चंद** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 2107.

अपीलार्थी/परिवादी ने अभियुक्त के दोषमुक्त होने के कारण तथा

दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री दिलीप जे. अक्कारा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एन. सुब्रमण्यम् और एम. एस. नारायणन्

निर्णय

त्रिचुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 2 के समक्ष फाइल किए गए 2000 के सेशन विचारण सं. 1502 का परिवादी मेरे समक्ष उपस्थित इस अपील में अपीलार्थी है । इस मामले पर मजिस्ट्रेट द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 138 के अंतर्गत परिवादी द्वारा फाइल किए गए निजी परिवाद के आधार पर विचार किया गया ।

2. निजी परिवाद में परिवादी का पक्षकथन यह था कि अभियुक्त ने उससे 55,000/- रुपए की राशि उधार ली थी और उसने उस दायित्व के निर्वहन में प्रदर्श पी-1 चैक जारी किया था जो जिला कोऑपरेटिव बैंक, वादानपल्ली शाखा पर आहरित था । चैक अभियुक्त के खाते में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया परंतु "अपर्याप्त निधि" के कारणवश अनादरित हो गया और अनादरण ज्ञापन प्रदर्श पी-2 द्वारा वापस लौट आया और परिवादी को इस बाबत सूचना उसके बैंकर द्वारा पत्र प्रदर्श पी-3 द्वारा दी गई । परिवादी ने नोटिस प्रदर्श पी-4 डाक प्राप्ति प्रदर्श पी-5 द्वारा भेजी जो अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जिसका साक्ष्य डाक स्वीकारोक्ति प्रदर्श पी-6 है । उसने रकम का संदाय नहीं किया । इसलिए उसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है । अतः यह परिवाद फाइल किया गया ।

3. जब अभियुक्त निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपराध के विवरण उसको पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया और उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । परिवादी ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए अपना स्वयं का परीक्षण अभि. सा. 1 के रूप में कराया और उसकी तरफ से प्रदर्श पी-1 से पी-6 चिह्नांकित किए गए । परिवादी के साक्ष्य के समापन के पश्चात् अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछताछ की गई और उसने उस समस्त फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया जो उसके विरुद्ध परिवादी के साक्ष्य

द्वारा अभिलेख पर लाई गई थीं । उसने आगे अभिकथित किया कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य कोई संव्यवहार नहीं हुआ था और वह मैसर्स लक्ष्मी चिट्स और फाइनेंस द्वारा संचालित किटी का अंशदाता था और जब उसने किटी में बोली लगाई, तो एक हस्ताक्षरित रिक्त चैक दिया था और परिवादी उस चैक का दुरुपयोग कर रहा है, और इसी कारणवश वर्तमान परिवाद फाइल किया गया है । अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियुक्त ने स्वयं का परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में कराया और उसकी तरफ से प्रदर्श डी-1 से डी-3 चिह्नांकित किए गए । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचारोपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि नोटिस समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् जारी की गई थी और इसलिए परिवाद पोषणीय नहीं है और अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है और उसको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(1) के अधीन दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर 2005 की दांडिक अनुमति याचिका सं. 694 के साथ वर्तमान अपील फाइल की है और आवेदन मंजूर कर लिया गया और अनुमति प्रदान की गई और तत्पश्चात् अपील को विचारणार्थ ग्रहण किया गया ।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री दिलीप जे. अक्कारा और प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री एन. सुब्रमण्यम् और द्वितीय प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक श्री जीबु पी. थॉमस को सुना ।

5. अपीलार्थी के काउंसेल ने निवेदन किया कि निचला न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायानुमत नहीं था कि जारी किया गया नोटिस अनुचित है और वास्तव में सूचना तारीख 12 जुलाई, 1999 की थी । नोटिस तारीख 27 जुलाई, 1999 को जारी किया गया था और यदि नोटिस की प्राप्ति की तारीख को अपवर्जित कर दिया जाए, तो नोटिस समय के भीतर तामील की गई थी । समय व्यतीत हो जाने की अंतिम तारीख पर नोटिस भेजा जाना उचित था और यही उपधारणा की जाएगी कि उसको समय के भीतर भेजा गया था । इसलिए उस आधार पर पारित किया गया दोषमुक्ति का आदेश सही नहीं है । पुनः, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने उस उपधारणा का खंडन नहीं किया और उसका साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं है कि चैक परिवादी को नहीं दिया गया था बल्कि किसी किटी कंपनी

को दिया गया था और वर्तमान परिवाद उस चैक का दुरुपयोग करते हुए फाइल किया गया है । इसलिए निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश उचित नहीं है और निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना चाहिए था ।

6. इसके विपरीत प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि निचला न्यायालय **मधु** बनाम **ओमेगा पाइप्स लिमिटेड**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायानुमत था कि जारी किया गया नोटिस समयावधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् का था और इसलिए अभियुक्त को उचित रीति में दोषमुक्त किया गया । उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसने उपधारणा का खंडन किया था और दोषमुक्ति का आदेश पूर्णतः न्यायानुसार है और इसमें किसी भी प्रकार की मध्यक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. लोक अभियोजक को भी सुना गया ।

8. परिवाद में परिवादी का पक्षकथन यह था कि अभियुक्त ने 55,000/- रुपए की राशि उधार स्वरूप अभियुक्त को दी थी और अभियुक्त ने चैक प्रदर्श पी-1 उस दायित्व के निर्वहन में जारी किया था । अभियुक्त का पक्षकथन पूर्णतः इनकारी का था । उसका पक्षकथन यह था कि वह एक किटी का अंशदाता था जिसका संचालन मैसर्स लक्ष्मी चिट और फाइनेंसियर्स द्वारा किया जाता था और जब उसने किटी में बोली लगाई तो उससे खाली हस्ताक्षरित चैक प्रतिभूति के रूप में अभिप्राप्त कर ली गई और जब किटी कंपनी बंद हुई, तो प्रतिभूति में दिए गए चैक का दुरुपयोग करते हुए वर्तमान परिवाद परिवादी द्वारा फाइल किया गया । जब एक बार चैक जारी किए जाने से इनकार कर दिया गया है तो चैक के निष्पादन और संव्यवहार को साबित करने का भार परिवादी पर है । परिवादी ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए स्वयं का परीक्षण अभि. सा. 1 के रूप में कराया और उसने परिवाद में किए गए अपने पक्षकथन का शपथपूर्वक समर्थन किया । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि मैसर्स लक्ष्मी फाइनेंसर्स को दिए गए खाली हस्ताक्षरित चैक का

---

[1] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3439 (केरल) = 1994 (1) के. एल. टी. 441.

दुरुपयोग किया गया था और वर्तमान परिवाद फाइल किया गया था ।

9. यह सत्य है कि अभियुक्त स्वयं साक्षी कठघरे में गया था और साक्ष्य प्रस्तुत किया था और अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए प्रदर्श डी-1 से डी-3 प्रस्तुत किए थे । परंतु यह सभी बातें यह दर्शित करती हैं कि वह मैसर्स लक्ष्मी चिट एंड फाइनेंसियर्स द्वारा संचालित किटी का अंशदाता था और इससे अधिक कुछ नहीं । अभियुक्त की तरफ से परिवादी का किटी संचालित करने वाले व्यक्तियों के साथ किसी संबंध को साबित किए जाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि उसने चैक के अनादरण के पश्चात् परिवादी द्वारा जारी किए गए नोटिस का कोई उत्तर नहीं भेजा था । इसलिए इन परिस्थितियों के अधीन सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है और अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा कि यदि एक बार चैक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन परिस्थितियों को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा जिनके अधीन उसका चैक परिवादी के हाथों तक पहुंचा, का खंडन नहीं किया गया है । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य उस भार को उन्मोचित किए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं है । इसलिए इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि प्रदर्श पी-1 चैक अभियुक्त को उससे परिवादी को देय रकम के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन में दिया गया था ।

10. इस तथ्य के बाबत विवाद नहीं कि चैक का अनादरण "अपर्याप्त निधि" के कारणवश हुआ था और परिवादी ने इस बाबत नोटिस भेजी थी जिसको अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था, इत्यादि, । न्यायालय ने **मधु** बनाम **ओमेगा पाइप्स लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया और यह निष्कर्ष निकाला कि नोटिस चैक के अनादरण की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए और इस मामले में नोटिस चैक के अनादरण की सूचना की पाप्ति के 15वें दिन भेजी गई इसलिए यह नोटिस समय के भीतर भेजी गई ।

11. प्रस्तुत मामले में, इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि क्या चैक के अनादरण के संबंध में बैंक से प्राप्त सूचना की तारीख को नोटिस भेजे जाने की 15 दिनों की अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित किया जाना चाहिए । इस प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि अधिनियम की

धारा 138 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 पर विचार किया जाए जो इस प्रकार है :–

"**138. खाते में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चैक का अनादरण** – जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक –

(क) वह चैक उसके लिखे जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो ;

(ख) चैक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चैक के लेखीवाल को, असंदत्त चैक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है ; और

(ग) ऐसे चैक का लेखीवाल, चैक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'ऋण या अन्य दायित्व' से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है ।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 :

> 9. इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् बनाए गए किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम में दिनों की किसी शृंखला में प्रथम (दिवस) या किसी अन्य समयावधि को अपवर्जित करने के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि शब्द 'से' का प्रयोग किया जाए और दिनों की किसी शृंखला में अंतिम (दिवसों) या किसी अन्य समयावधि को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनार्थ शब्द 'का' का प्रयोग किया जाए ।"

12. साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 में यह अभिकथित किया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम में दिनों की किसी शृंखला के प्रथम दिन या किसी अन्य अवधि को अपवर्जित करने के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि दिनों की शृंखला में अंतिम (दिन) या समय की किसी अन्य अवधि को अपवर्जित किए जाने के प्रयोजनार्थ शब्द "से" का प्रयोग किया जाए और दिनों की शृंखला में अंतिम (दिन) को या समय की किसी अन्य अवधि को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनार्थ शब्द "को" का प्रयोग किया जाए । यह धारा 1868 के जनवरी के तृतीय दिवस के पश्चात् बनाए गए समस्त केन्द्रीय अधिनियमों और 1887 के जनवरी के चौदहवें दिवस के पश्चात् बनाए गए सभी विनियमों पर लागू होगी । टीकाओं में यह मताभिव्यक्ति की गई है कि जहां कोई कानून केवल किसी विषयवस्तु के आरंभ बिन्दु, जिसको अनिश्चितता का अंत किए जाने के प्रयोजनार्थ परिकल्पित किया गया है को, निश्चित करता है तो सामान्य विधि नियम दिवस के उस अंश को अभिप्राप्त कर लेता है जिसका अनदेखा किया जाना अपेक्षित था और ऐसे मामलों में कानून या विनियम या आदेश उस दिवस के प्रथम क्षण से प्रभावी हो जाता है जिसको वह अधिनियमित पारित किया गया था, अर्थात् उस दिवस की पश्चात्वर्ती दिवस की मध्य रात्रि से जिस पर वह प्रख्यापित हुआ ; इसके विपरीत जहां कोई कानून उस अवधि की सीमा निर्धारित करता है जिसको आरंभ बिन्दु और समापन बिन्दु, दोनों के द्वारा चिह्नांकित किया गया है, तो वहां पर गणना में पूर्ववर्ती को अपवर्जित किया जाना होता है और पश्चात्वर्ती को सम्मिलित किया जाना होता है (देखें **मुन्ना लाल** बनाम **माणिक चंद**[1] और **आई. एम. लाल** बनाम **गोपाल सिंह**[2] वाले मामले) ।

---

[1] ए. आई. आर. 1950 मध्य भारत 119.

[2] ए. आई. आर. 1963 पंजाब 378.

13. **कृष्णाकुट्टी नायर** बनाम **अशोकन्**[1] वाले मामले में इस पर विचार किया जा चुका है और यह मताभिव्यक्ति की गई है कि वह तारीख जिस पर कोई विशिष्ट कार्य को किए जाने के लिए वाद कारण आरंभ होता है, को अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए और उस वाद कारण के विरुद्ध अग्रसर होने का अधिकार उस तारीख के पश्चात् अगली तारीख से आरंभ होगा । पुनः **रवि** बनाम **कुटप्पन**[2] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में यह मताभिव्यक्ति की गई कि नोटिस सूचना प्राप्ति के पश्चात् 15वें दिन भी जारी की जा सकती है । यदि ऐसा नोटिस 15वें दिन जारी किया जाता है, तो भी नोटिस उचित और विधिमान्य होगा । पुनः, **प्रेमीश वर्मा** बनाम **लोकेश वर्मा**[3] वाले मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने समान प्रश्न पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वह तारीख जिस पर (चैक के) अदाता या सम्यक् अनुक्रम धारक को बैंक से चैक के अनादरण के संबंध में सूचना प्राप्त हो चुकी है, को 30 दिनों की अवधि के भीतर अदाता से लिखित में नोटिस दिया जाना अपेक्षित है । किन्तु **शिवा कुमार** बनाम **नटराजन**[4] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन नोटिस जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ समय की गणना कैसे की जाएगी और मताभिव्यक्ति की कि "सूचना की प्राप्ति" शब्दों के पूर्व शब्द "से" और खंड (ख) में शब्द "का" का प्रयोग न किया जाना साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 से विचलन दर्शित करता है और यह महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों में सूचना प्राप्ति की तारीख अपवर्जित नहीं की जा सकती और समय की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को नोटिस भेजी गई और प्रस्तुत मामले में नोटिस 31वें दिवस को भेजी गई थी जो कि समय बाधित है । इस मामले में अनादरण के संबंध में सूचना तारीख 3 दिसम्बर, 2003 को प्राप्त हुई थी और नोटिस तारीख 2 जनवरी, 2004 को जारी हुई थी जो अभिकथित रूप से समय बाधित थी ।

14. किन्तु **रमेश चन्द्र अम्बालाल जोशी** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**[5] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार

---

[1] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 1905 (केरल) = 2005 (1) के. एल. टी. 537.

[2] ए. आई. आर. 2007 (एन ओ सी) 1955 (केरल) = 2007 (3) के. एल. टी. 31.

[3] 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 1246 (छत्तीसगढ़) = 2008 (2) के. एल. टी. (एस. एन.) 18.

[4] (2009) 13 एस. सी. सी. 623.

[5] (2014) 11 एस. सी. सी. 759 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1554.

करते हुए कि परिवाद फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ 30 दिनों की अवधि किस प्रकार की जानी चाहिए पर विचार करते हुए दिए गए पश्चात्वर्ती विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 ऐसे मामलों में लागू होगी और प्रथम दिन को अपवर्जित किया जाना चाहिए और इस धारा के अधीन उल्लिखित विशिष्ट कार्य किए जाने के लिए वाद कारण पक्ष को अधिकार उद्भूत होने की तारीख के अगले दिन से आरंभ होगा ।

15. किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **ईकोन अंत्री लिमिटेड** बनाम **रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए एक पश्चात्वर्ती विनिश्चय में इस प्रश्न पर विचार किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(क), (ग) और 142(ख) में उद्भूत शब्दों अर्थात् "का", "से", "पश्चात्", "भीतर" पर कैसे विचार किया और परिसीमा की संगणना के प्रयोजनार्थ प्रथम दिवस को अपवर्जित किया जाना चाहिए या नहीं और अभिनिर्धारित किया :–

> यद्यपि 1963 का परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1897 का साधारण खंड अधिनियम 1887 के अधिनियम की धारा 9(2) के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम पर लागू होता है – यह दलील कि धारा 138(ग) और 142(ख) में उद्भूत शब्द 'का' का निर्वचन धारा 138 के परंतुक (क) में उद्भूत शब्द 'से' के विरुद्ध भिन्न प्रकार से किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाता है चूंकि किसी विशिष्ट मामले में शब्द 'का', 'से', और "पश्चात्" का सामान्य आशय होगा – अतः अभिनिर्धारित किया कि **साकेथ इंडिया लिमिटेड** (1999) 3 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1090 वाले मामले में सही विधि अधिकथित की गई है – देखें **एस. आई. एल. इंपोर्ट, यू. एस. ए.** (1999) 4 एस. सी. सी. 567 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1609 वाला मामला – उलटा गया – संदर्भ का उत्तर तद्नुसार दिया गया – 1887 का साधारण खंड अधिनियम – धारा 9 – 1963 का परिसीमा अधिनियम – धारा 12(1) और (2) – अभिनिर्धारित किया गया कि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबंधों पर लागू नहीं होता ।

---

[1] (2014) 11 एस. सी. सी. 769 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3283.

वर्तमान मामले में विवाद्यक **साकेथ इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचारण के लिए निदेश के बाबत था जिसमें विधि का यह प्रश्न विचारणार्थ उद्भूत हुआ कि क्या एक माह की अवधि, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(ख) के अधीन विहित है, की संगणना किए जाने के प्रयोजनार्थ अवधि की संगणना उस तारीख को अपवर्जित करते हुए की जाएगी जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ ? यह विवाद्यक **साकेथ इंडिया लिमिटेड** और **एस. आई. एल. इंपोर्ट, यू. एस. ए.** (उपरोक्त) वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के मध्य मतभेद को दृष्टि में रखते हुए निर्दिष्ट किया गया था ।

यह निवेदन कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(ग) और 142(ख) में उल्लिखित शब्द 'का' का निर्वचन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(क) में उल्लिखित शब्द 'से' के विरुद्ध भिन्न तरीके से किया जाना चाहिए और इसलिए धारा 142(ख), जो विहित करती है कि परिवाद उस तारीख के 30 दिनों के भीतर फाइल किया जाना चाहिए जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ, के प्रयोजनार्थ आरंभिक तारीख जिस पर वाद कारण उत्पन्न होता है 30 दिनों की अवधि की संगणना किए जाने के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जाना चाहिए, को अस्वीकार कर दिया गया । **तरुण प्रसाद चटर्जी** (2000) 8 एस. सी. सी. 649 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 36 वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होगा चूंकि उस मामले में भी परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता था । उच्चतम न्यायालय ने 1897 के सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9(1) को निर्दिष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि दिनों या समय की किसी अन्य अवधि की शृंखला में प्रथम (दिवस) को अपवर्जित किए जाने के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि शब्द 'से' का प्रयोग किया जाए और दिनों या समय की किसी अन्य अवधि की शृंखला में अंतिम 'दिन' को अपवर्जित किए जाने के प्रयोजनार्थ शब्द 'को' का प्रयोग किया जाए । उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि उक्त धारा 9 उस सुस्थापित सिद्धांत को कानूनी मान्यता प्रदान करती है जो कानून के अर्थान्वयन में लागू होता है कि सामान्यतया विहित समयावधि की

संगणना में जिस नियम का पालन किया जाना है, वह यह है कि प्रथम दिवस को अपवर्जित कर दिया और अंतिम दिवस को सम्मिलित किया जाए ।

तरुण प्रसाद चटर्जी (उपरोक्त) वाले मामले में यह मताभिव्यक्ति की गई कि 1857 के साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 को लागू किए जाने के प्रयोजनार्थ जिस प्रथम शर्त को पूरा किया जाना है वह यह है कि क्या कोई विहित अवधि किसी विशिष्ट बिन्दु 'से' निर्धारित है । जब अवधि आरंभिक बिन्दु और समापन बिन्दु द्वारा चिह्नांकित होती है, तो 1887 के साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 में परिकल्पित निर्वचन का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि प्रथम दिवस अपवर्जित किया जाए । शब्दों 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (जो उस मामले में प्रश्नगत था) की धारा 81(1) में प्रयुक्त शब्दों 'से' और 'भीतर' कोई विपरीत आशय अभिव्यक्त नहीं करते । इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81(1) और 1897 के साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 को सम्मिलित रूप से पढ़े जाने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि परिसीमा की अवधि का प्रथम दिवस पक्षों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है । क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबंधों पर लागू नहीं होता, **तरुण प्रसाद चटर्जी** (उपरोक्त), वाला मामला जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता, से समतुल्यता करते हुए 1897 के साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 की सहायता से वर्तमान मामले में सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक माह की अवधि, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(ख) के अधीन विहित है, की संगणना करते हुए अवधि की संगणना उस तारीख को अपवर्जित करते हुए की जानी चाहिए जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ । इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(ग) और 142(ख) में उल्लिखित शब्द 'का' का निर्वचन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(क) में उल्लिखित शब्द 'से' के विरुद्ध भिन्न तरीके से किया जाना चाहिए और धारा 142(ख), जो विहित करती है कि परिवाद उस तारीख से

30 दिनों के भीतर फाइल किया जाना चाहिए जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ, के प्रयोजनार्थ आरंभिक तारीख जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ को 30 दिनों की अवधि की संगणना किए जाने के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जाना चाहिए । शब्दों 'का', 'से' और 'पश्चात्' का किसी विनिर्दिष्ट मामले में अर्थ एक ही हो सकता है । कभी-कभी शब्द 'का' शब्द 'पश्चात्' के समतुल्य भी होता है ।

अतः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि **साकेथ इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में विधि की सही प्रतिपादना अधिकथित की गई है । एक माह की अवधि, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(ख) के अधीन विहित है, की संगणना किए जाने के प्रयोजनार्थ अवधि की संगणना उस तारीख को अपवर्जित करते हुए की जानी चाहिए जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ । आगे, **एस. आई. एल. इंपोर्ट, यू. एस. ए.** (उपरोक्त) वाले मामले में सही विधि अधिकथित नहीं की गई है । यह कहना व्यर्थ होगा कि उच्चतम न्यायालय का कोई निष्कर्ष जो उच्चतम न्यायालय द्वारा **साकेथ इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में व्यक्त किए गए विचार के विपरीत है, जिसकी अब अभिपुष्टि की जा चुकी है, इस निर्देश में अन्तर्वलित प्रश्न पर सही विधि अधिकथित नहीं करते । निर्देश का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है ।

16. उपरोक्त विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धाराओं में उल्लिखित शब्दों "का" और "से" के मध्य कोई अन्तर नहीं है और इन शब्दों को परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ कोई भिन्न अर्थ और भिन्न निर्वचन दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन पर इस प्रकार से विचार किया जाएगा जैसे कि उनका एक ही अर्थ हो और आगे अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 लागू होगी और वाद कारण के आरंभ बिन्दु का प्रथम दिवस अपवर्जित कर दिया जाएगा और परिसीमा की संगणना धारा के अधीन उल्लिखित कतिपय कार्रवाई किए जाने हेतु वाद कारण के आरंभ बिन्दु के अगले दिवस से की जाएगी । यद्यपि अधिनियम की धारा 138 के खंड (क) और परंतुक (ग) और धारा 142(ख) में उल्लिखित अवधि के प्रयोजनार्थ प्रश्न पर विचार किए जाने के लिए इसी सिद्धांत को अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (ख) में उल्लिखित अवधि तक और साथ ही नोटिस जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ भी विस्तारित किया जा सकता

है । क्योंकि **शिवा कुमार** बनाम **नटराजन** (उपरोक्त) वाले मामले में इस बिन्दु पर भिन्न तरीके से विचार किया गया, किन्तु इसी बिन्दु पर **इकोन अंत्री लिमिटेड** बनाम **रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा भिन्न तरीके से विचार किया गया, **शिवा कुमार** बनाम **नटराजन** (उपरोक्त) वाला मामला ही अभिभावी होगा चूंकि यह परिसीमा अवधि की संगणना के प्रश्न पर पश्चात्वर्ती बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया विनिश्चय है जिसमें शब्दों "का" और "से" का प्रयोग एक ही धारा में किया गया और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई भिन्न निर्वचन अपेक्षित है और क्या ऐसे मामलों में साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 लागू होगी और अभिनिर्धारित किया कि धारा 9 लागू होगी और इसका निर्वचन उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हो ।

17. इसी प्रश्न पर **इशाक** बनाम **रघुनाथन चेतियार**[1] वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि बैंक से प्राप्त सूचना की तारीख अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन नोटिस भेजे जाने तक अपवर्जित की जानी चाहिए । यदि ये सिद्धांत लागू किए जाते हैं, तो नोटिस भेजे जाने के लिए वाद कारण बैंक से सूचना की प्राप्ति के अगले दिन से आरंभ होगा अर्थात् तारीख 13 जुलाई, 1999 से चूंकि सूचना तारीख 12 जुलाई, 1999 को प्राप्त हुई थी और नोटिस तारीख 27 जुलाई, 1999 को अर्थात् सूचना की प्राप्ति के 15वें दिन भेजी गई थी जो कि समयावधि के भीतर है । इसलिए निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि जारी किया गया नोटिस समयावधि द्वारा बाधित है, ऊपर की गई चर्चा को दृष्टि में रखते हुए विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और इस आधार पर निचले न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त की दोषसिद्धि का आदेश भी मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नोटिस समयावधि के भीतर भेजी गई थी ।

18. इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपलब्ध उपधारणा को अभिखंडित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, को दृष्टि में रखते हुए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि मामले को पुनः निस्तारण के लिए प्रतिप्रेक्षित किया जाए चूंकि साक्ष्य पहले से ही अभिलेख

---

[1] 2015 (3) के. एल. टी. (एस. एन.) 42.

पर उपलब्ध है । आगे, निचले न्यायालय ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त उपधारणा का खंडन कर पाने में विफल रहा है और परिवादी ने चैक के निष्पादन को साबित कर दिया है और यह चैक परिवाद को अभियुक्त से विधितः प्रवर्तनीय देय ऋण के उन्मोचन में जारी किया गया था । अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं था कि उसने नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् रकम का संदाय किया था । जब एक बार परिवादी ने साबित कर दिया है कि अभियुक्त ने सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रकम का संदाय नहीं किया, तो अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है । इसलिए निचले न्यायालय का निष्कर्ष कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, ऊपर की गई चर्चा को दृष्टि में रखते हुए विधि अनुसार मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । इसलिए निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाया जाता है और उसको तद्नुसार दोषसिद्ध किया जाता है ।

19. जहां तक दंडादेश के प्रश्न का संबंध है, मामला वर्ष 2000 का है और चैक 50,000/- रुपए के रकम का है । **दामोदर ए. प्रभू** बनाम **सैय्यद बाबा लाल एच**[1]. वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामले सिविल प्रकृति के मामले होते हैं किन्तु परक्राम्य लिखत अधिनियम में धारा 138 को प्रस्तावित किए जाने के द्वारा इन मामलों को दांडिक मामलों का रंग दे दिया गया है । विधान-मंडल का आशय यह है कि चैक जारी करने वाला चैक के आदाता को उसमें लिखी हुई रकम का संदाय करे । आगे, **सोमनाथ सरकार** बनाम **उत्पल बसु मलिक**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों में प्रतिकर के संदाय का कोई उपबंध नहीं होता किन्तु न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि वह चैक की रकम की दोगुना रकम जुर्माना के रूप में अधिरोपित करे और उस जुर्माने में से संदेय प्रतिकर की मात्रा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1)(ख) का अवलंब लेते हुए निर्धारित करे । इस तथ्य

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1907 = जे. टी. 2010 (4) (एस. सी.) 457.
[2] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 771 = 2013 (4) के. एल. टी. 350 (एस. सी.).

पर विचार करते हुए कि मामला वर्ष 2000 का है, यह न्यायालय प्रतीत करता है कि 60,000/- रुपए की रकम जुर्माने के रूप में निर्धारित की जाए और तीन माह का साधारण कारावास व्यतिक्रम दंडादेश के रूप में अधिरोपित किया जाए और न्यायालय के उठने तक अभियुक्त को सारवान् कारावास के अधीन रखा जाए और उसके द्वारा संपूर्ण जुर्माने की रकम का संदाय होने पर परिवादी को प्रतिकर के रूप में संदाय कर दी जाए और यह पर्याप्त होगा और इससे न्याय के उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे । इसलिए अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है और वह 60,000/- रुपए के जुर्माने का भी संदाय करेगा और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का साधारण कारावास भोगेगा । यदि जुर्माने की रकम वसूल हो जाती है तो निचले न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1)(ख) के अधीन जुर्माने का संपूर्ण रकम का संदाय परिवादी को प्रतिकर के रूप में कर दे । अभियुक्त को तीन माह का समय रकम के संदाय के लिए प्रदान किया जाता है, और तब तक दंडादेश का निष्पादन स्थगित रखे जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

20. अतः अपील मंजूर की जाती है और निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को दोषी पाया जाता है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और न्यायालय के उठने तक कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया जाता है और 60,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसमें चूक होने पर वह तीन माह का साधारण कारावास भोगेगा । यदि जुर्माने की रकम वसूल हो जाती है, तो उसका संदाय परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1)(ख) के अधीन प्रतिकर के रूप में किया जाएगा । अभियुक्त को तारीख 12 जनवरी, 2016 तक का समय रकम के संदाय के लिए प्रदान किया जाता है और तब तक दंडादेश का निष्पादन स्थगित रखे जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

21. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की सूचना संबद्ध न्यायालय को तुरंत दें ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

नमीता दास (श्रीमती)

बनाम

केन्द्रीय जांच ब्यूरो मार्फत झारखण्ड राज्य

तारीख 27 नवंबर, 2015

न्यायमूर्ति आर. आर. प्रसाद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 205 – अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी – अभिमुक्ति – धारा 205 के उपबंध का सभी मामलों में अवलंब नहीं लिया जा सकता – इसका अवलंब छोटे मामलों में लिया जा सकता है न कि गंभीर प्रकृति के मामलों में ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 205, 253 और 206 – उपबंधों की प्रयोज्यता – धारा 253 और 206 के उपबंधों का समन मामलों के विचारण में अवलंब लिया जा सकता है न कि वारंट या सेशन मामलों में – अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोषिता का अभिवाक् करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है – अतः, ऐसा मामला जिसमें संहिता की धारा 253 के उपबंधों का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसे संहिता की धारा 205 की परिधि के बाहर माना जाएगा ।

आवेदक की ओर से किए गए निवेदनों का उल्लेख करने से पूर्व प्रकट तथ्य, जो दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 420, 468, 471, 477-क तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) (घ) के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि सुमन कुमार, ज्येष्ठ अपर मुख्य लेखाधिकारी (डीवीसी), बोकारो, थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो ने आवेदक की फर्म मैसर्स शंभु ट्रेडिंग कंपनी सहित भिन्न-भिन्न मालिकाना फर्म को चैक जारी किए थे, स्वत्वधारियों ने षड्यंत्र करके उन्हें भुना लिया था और ये सभी कार्य एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक किए गए थे । मामले में अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पर आवेदक की सदोषिता, जो आवेदक के अनुसार मैसर्स शंभु ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ज्ञात नामित उधारदाता था । तदुपरि, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । आरोप पत्र पेश करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया जिसे आरोप की गंभीरता पर विचार करते हुए अस्वीकार कर दिया गया ।

उक्त आदेश से व्यथित होकर यह आवेदन फाइल किया गया है । आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन परिस्थितियों के अधीन जो कुछ भी प्रकट हुआ है यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के उपबंध का सभी मामलों में अवलंब नहीं लिया जा सकता है बल्कि इसका छोटे मामलों में अवलंब लिया जाना चाहिए और ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं । यहां पर आवेदक के विरुद्ध अभिकथित अपराधों के बारे में आसानी से गंभीर प्रकृति का होना कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के उपबंध का अवलंब ले लिया जाता है और यह निवेदन जो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को कारित करने में निभाई गई भूमिका के बारे में किया गया है, इस उपबंध का अवलंब लेकर इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 में अन्तर्विष्ट है । संहिता की इस स्कीम के अधीन धारा 253 और 206 के इन दो उपबंधों का समन मामलों के विचारण के मामलों में आश्रय लिया जा सकता है जबकि वारंट या सेशन मामलों में विचारण के लिए इस संहिता के अधीन ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सुस्पष्टतया अपने अभिवक्ता के माध्यम से दोषी होने का अभिवाक् करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । अतः, मेरे विचार से ऐसा मामला जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 253 के उपबंध का आश्रय नहीं लिया जा सकता है और ऐसा मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 की परिधि से बाहर होगा । (पैरा 11, 12 और 13)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1194.

2012घ के आर. सी. सं. 9 (क) में अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, धनबाद द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2015 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

आवेदक की ओर से श्रीमती रीतू कुमार,

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. पी. देव

न्यायमूर्ति आर. आर. प्रसाद – 2012घ के आर. सी. सं. 9 (क) में अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, धनबाद द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2015 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध यह

पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अधीन वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति के लिए आवेदन फाइल किया गया है जिसे अस्वीकार कर दिया गया था ।

2. आवेदक की ओर से किए गए निवेदनों का उल्लेख करने से पूर्व प्रकट तथ्य, जो दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 420, 468, 471, 477क तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) (घ) के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि सुमन कुमार, ज्येष्ठ अपर मुख्य लेखाधिकारी (डीवीसी), बोकारो, थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो ने आवेदक की फर्म मैसर्स शंभु ट्रेडिंग कंपनी सहित भिन्न-भिन्न मालिकाना फर्म को चैक जारी किए थे, स्वत्वधारियों ने षड्यंत्र करके उन्हें भुना लिया था और ये सभी कार्य एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक किए गए थे । मामले में अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पर आवेदक की सदोषिता, जो आवेदक के अनुसार मैसर्स शंभु ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ज्ञात नामित उधारदाता था । तदुपरि, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । आरोप पत्र पेश करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया जिसे आरोप की गंभीरता पर विचार करते हुए अस्वीकार कर दिया गया ।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर यह आवेदन फाइल किया गया है ।

4. आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्रीमती रीतू कुमार ने यह निवेदन किया है कि अधिकथित अपराध के बारे में गंभीर होना कहा जा सकता है परन्तु निभाई गई भूमिका को देखते हुए, जिसे याची द्वारा निभाया गया था और यह तथ्य कि धनराशि, जिसके बारे में दुर्विनियोग किए जाने का अभिकथन किया गया था, उसे वापस लौटा दिया गया । न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए था क्योंकि आवेदक के बारे में महिला होना बताया गया है, जो फर्म के कारोबार के क्रियाकलापों का प्रबंध नहीं करती थी बल्कि वह नामित उधारदाता थी ।

5. यह आधार जिस पर धारा 205 के अधीन संरक्षण की बात कही जाने की ईप्सा की गई है, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धारा 205, जिसका छोटे मामलों में स्मरण किया गया हो जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के किए जाने में निभाई गई भूमिका वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति के संबंध में जारी किए गए न्याय-निर्णयन के मामले

में संज्ञान में लिया जाना कभी भी आवश्यक नहीं है जो बात धारा 205 में उपबंधों से परिलक्षित होती है जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> 205. मजिस्ट्रेट अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है –
>
> (1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।
>
> (2) किन्तु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है ।

6. पूर्वोक्त उपबंध का परिशीलन करने पर प्रथम दृष्टांत में हम यह पाते हैं कि इस बारे में उपदर्शित करने के लिए उक्त उपबंध में कुछ भी नहीं है कि मजिस्ट्रेट को कौन से मामलों के प्रवर्ग में अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने के लिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए परन्तु इस धारा में प्रयुक्त खंड में उसके अभिवक्ता को हाजिर होने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाए । दंड प्रक्रिया संहिता की स्कीम के अन्तर्गत मामलों की प्रकृति के बारे में उपदर्शित नहीं किया गया है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के उपबंधों का अवलंब लिया जा सके । इस उपबंध के अधीन यदि मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष निकालता है कि वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति के लिए कोई कारण प्रकट है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और उसके अभिवक्ता को हाजिर होने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा । उस दशा में अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में भी दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा सकता है जबकि वकील के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व हो, यह बात उपबंध से प्रकट है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 253 में अन्तर्विष्ट है जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "253. छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि – (1) जहां धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना

आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिवाक् अन्तर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(2) तब मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक् के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त द्वारा जमा की गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी या जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसे दोषी होने का अभिवचन करता है वहां मजिस्ट्रेट यथासंभव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेकानुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिवाक् पर दोषसिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वोक्त दंडादेश दे सकेगा ।"

7. धारा 253 के उपखंड (2) में यह अनुबंधित है कि अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध तथा उसके दोषी होने के अभिवाक् पर विनिर्दिष्ट समन में जुर्माने की रकम का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता है और अन्य मामलों में जहां अभियुक्त वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति के कारण किसी मामले में दोषी होने के अभिवाक् करने के लिए अभिवक्ता को प्राधिकृत करता है जो समन मामला विचारणीय है, उस पर मजिस्ट्रेट अभिवक्ता द्वारा किए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर सकता है ।

8. धारा 253 के उपखंड (1) में भी यह अनुबंधित किया गया है कि यदि धारा 206 के अधीन कोई समन जारी किया गया है, तब अभियुक्त समन को प्राप्त करने पर यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप पर दोषी होने के अभिवाक् की वांछा करता है तो वह पत्र के माध्यम से ऐसा कर सकता है और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम को प्रेषित भी कर सकता है ।

9. इस संदर्भ में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 पूर्णतया आवश्यक होगी । उक्त उपबंध का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"206. छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन – (1) यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 206 के अधीन संक्षेपतः निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए

जाएंगे, उसकी प्रतिकूल राय है अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक् और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज देगा यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे :

परन्तु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम एक सौ रुपए से अधिक न होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिवाक् पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में, उसको दोषसिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है ।

(3) राज्य सरकार, किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए, जो धारा 320 के अधीन शमनीय है, या जो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे ।"

10. प्रक्रिया के बारे में यह प्रकट है कि जिसे अभियुक्त द्वारा छोटे अपराधों में समन प्राप्त करने पर उसका पालन किया जाता है । यदि ऐसे समन धारा 206 के अधीन जारी किए जाते हैं और उसमें अभियुक्त बिना हाजिर हुए लिखित में दोषिता का अभिवाक् कर सकता है और जुर्माने की रकम को प्रतिप्रेषित कर सकता है या यदि अभियुक्त अभिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने की वांछा रखता है तो वह अपनी ओर से आरोप पर दोषी होने

का अभिवाक् करते हुए अपने अभिवक्ता को प्राधिकृत करके ऐसा कर सकता है और ऐसे अभिवक्ता के माध्यम से जुर्माने का संदाय कर सकता है ।

11. संहिता की इस स्कीम के अधीन धारा 253 और 206 के इन दो उपबंधों का समन मामलों के विचारण के मामलों में आश्रय लिया जा सकता है जबकि वारंट या सेशन मामलों में विचारण के लिए इस संहिता के अधीन ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सुस्पष्टतया अपने अभिवक्ता के माध्यम से दोषी होने का अभिवाक् करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । अतः, मेरे विचार से ऐसा मामला जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 253 के उपबंध का आश्रय नहीं लिया जा सकता है और ऐसा मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 की परिधि से बाहर होगा ।

12. इन परिस्थितियों के अधीन जो कुछ भी प्रकट हुआ है यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के उपबंध का सभी मामलों में अवलंब नहीं लिया जा सकता है बल्कि इसका छोटे मामलों में अवलंब लिया जाना चाहिए और ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं । यहां पर आवेदक के विरुद्ध अभिकथित अपराधों के बारे में आसानी से गंभीर प्रकृति का होना कहा जा सकता है ।

13. ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के उपबंध का अवलंब ले लिया जाता है और यह निवेदन जो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को कारित करने में निभाई गई भूमिका के बारे में किया गया है, इस उपबंध का अवलंब लेकर इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 में अन्तर्विष्ट है ।

14. इस प्रकार, इस आवेदन को खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

विजय कुमार गुप्ता

बनाम

पंकज शर्मा

तारीख 8 अप्रैल, 2015

न्यायमूर्ति बी. डी. राठी

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138(ख) – आदेशक के खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चैक का अनादरण – चैक के धारक द्वारा अनादरित चैक के बाबत बैंक से सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित नोटिस देकर चैक की रकम की मांग किया जाना – यदि नोटिस इस पृष्ठांकन के साथ वापस लौटा दिया गया कि आदेशक ने मकान छोड़ दिया है और परिवाद का नोटिस भी भिन्न पृष्ठांकन के साथ वापस लौटाया गया कि याची बाहर गया है, किन्तु जमानती वारंट तामील हो गया और याची न्यायालय में उपस्थित हो गया तो परिवादी/धारक को केवल यह साबित करना है कि उसने अपने अभिलेखों में उपलब्ध पते पर आदेशक को मांग का नोटिस भेजा था – यदि आदेशक द्वारा मांग का नोटिस प्राप्त नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी कि आदेशक ने अपने दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर नोटिस प्राप्त नहीं की ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी ने याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया । याची ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन यह अभिकथित करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा उसको परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन मांग का नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए मांग के नोटिस की तामीली न होने के कारण परिवाद पोषणीय नहीं है । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया । आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत दांडिक प्रकीर्ण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई । याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – एकमात्र लघु प्रश्न जो विचारणार्थ इस मामले में उत्पन्न

होता है, यह है कि क्या अभियुक्त पर विधिक मांग का नोटिस तामील किए जाने के पूर्व परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है । मामले के तथ्यों पर विचारोपरांत और रजिस्ट्रीकृत मांग के नोटिस के परिशीलन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि नोटिस प्रथमतः पृष्ठांकन "प्रेक्षती ने मकान छोड़ दिया है" के साथ वापस लौट आया था । जब निजी परिवादी का नोटिस विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया, तो भिन्न पृष्ठांकन "याची बाहर गया है" के साथ वापस लौट आया । किंतु जब जमानती वारंट जारी हुआ, तो याची न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया । परिवाद के पैरा 5 में यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त ने जानबूझकर रजिस्ट्रीकृत मांग का नोटिस प्राप्त नहीं किया । इसलिए यह अभियुक्त द्वारा अपने दायित्व से बचने के लिए नोटिस को जानबूझकर प्राप्त करने से टालना था जिस पर विचार नहीं किया जा सकता । तथ्य अत्यधिक स्पष्ट है और निचले न्यायालयों ने विधिमान्य नोटिस के प्रयोजन को समझने में कोई अवैधता कारित नहीं की है, जैसाकि अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन अनुध्यात है । याची के आचरण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रथमतः नोटिस किसी प्रकार से इस बाबत पृष्ठांकन की व्यवस्था किए जाने के द्वारा कि "प्रेक्षती ने मकान छोड़ दिया है" बिना तामील हुए वापस किया गया था । तत्पश्चात्, जब निजी परिवाद के रजिस्ट्रीकरण पर विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस भेजी गई, तो वह अन्य रीति में पृष्ठांकन का उल्लेख करते हुए "अभियुक्त बाहर चला गया" वापस लौट आई । यह पृष्ठांकन याची के पिता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया था । तत्पश्चात्, जब जमानती वारंट जारी किया गया, तो अभियुक्त-याची विचारण न्यायलय के समक्ष उपस्थित हो गया । अतः एक ही दृष्टि में दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष नोटिस तामील हो गई थी । इसके अतिरिक्त अधिनियम का आत्यंतिक प्रयोजन मात्र नोटिस को प्राप्त करने से इनकार किए जाने के द्वारा असफल नहीं किया जा सकता । विधि की स्थिरीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह स्पष्ट विचार है कि रजिस्ट्रीकृत नोटिस की प्राप्ति को जानबूझकर टालना नोटिस की तामीली के समान होगा । (पैरा 8, 9 और 10)

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 1079.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री आर. के. शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आशीष द्विवेदी

आदेश

याची द्वारा यह याचिका 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 467 में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2015 को पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 482 के अधीन याचिका फाइल की गई है जिसके द्वारा ग्वालियर के फास्ट ट्रैक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 2014 के दांडिक मामला सं. 5059 में पारित तारीख 15 दिसम्बर, 2014 के आदेश की पुष्टि की गई ।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी पंकज शर्मा द्वारा याची विजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध एक निजी परिवाद यह अभिकथित करते हुए फाइल किया गया कि प्रत्यर्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 138 के अधीन अपराध कारित किया है । याची के उपस्थित होने के पश्चात् उसने विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख 3 नवम्बर, 2014 को यह दलील देते हुए आवेदन फाइल किया कि इस मामले में मांग का नोटिस याची-अभियुक्त के ऊपर तामील नहीं किया गया और इसलिए नोटिस की तामीली न हो पाने के कारण परिवाद पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता और अभिकथित अपराध के लिए अधिनियम के अधीन मामले का संज्ञान नहीं लिया जा सकता । उक्त आवेदन विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा तारीख 15 दिसम्बर, 2014 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त अस्वीकरण आदेश के विरुद्ध याची ने ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश के समक्ष 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 467 फाइल की जिसको आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए यह याचिका फाइल की गई ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोनों आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विरुद्ध हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में समाविष्ट उपबंधों की परिधि की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह दलील दी गई कि अपराध के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह तब घटित होता है जब चैक का आदेशक नोटिस की प्राप्ति की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करने में विफल हो जाता है ।

इसलिए अनादरित चैक की रकम का संदाय करने के लिए लिखित में नोटिस का दिया जाना आज्ञापक है । जहां संदाय की मांग करते हुए इस प्रकार का कोई नोटिस आदेशक पर तामील नहीं किया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 138(ख) के उपबंधों के अधीन अनुध्यात है, तो उक्त धारा के खंड (ग) में दिए गए आगे के उपबंध को ध्यान में रखते हुए उक्त चैक का आदेशक संदाय करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता । काउंसेल के अनुसार नोटिस का अर्थ है लिखित में नोटिस । उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस मामले में याची को कोई नोटिस नहीं दिया गया और इसलिए अभियुक्त-याची को संदाय के लिए या रजिस्ट्रीकृत मांग के नोटिस का उत्तर फाइल करने के द्वारा आक्षेप करने के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया । इसलिए मामले के तथ्यों की इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया परिवाद निचले न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था । तद्नुसार उन्होंने प्रार्थना की कि याचिका को याचित अनुतोष प्रदान किए जाने के द्वारा मंजूर किया जाए ।

4. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के काउंसेल द्वारा निवेदन किया गया कि वास्तव में रजिस्ट्रीकृत मांग का नोटिस तारीख 13 फरवरी, 2014 को रजिस्ट्रीकृत पावती डाक द्वारा याची के सही आवासीय पते, जो कि मकान सं. 30, विनय नगर, सेक्टर-2, बहोदापुर, लश्कर, ग्वालियर है, उल्लिखित किए जाने के द्वारा दिया गया था, यद्यपि यह रजिस्ट्रीकृत पावती डाक तारीख 16 अप्रैल, 2014 को इस पृष्ठांकन के साथ, कि "प्रेक्षती ने यह निवास-स्थान छोड़ दिया है", वापस लौट आई । काउंसेल द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि जब परिवाद फाइल किया गया था तो न्यायालय द्वारा इसी पते पर नोटिस भेजा गया था और इस बार भी नोटिस पृष्ठांकन के साथ वापस लौट आया था किन्तु इस पृष्ठांकन के भिन्न शब्द थे कि "याची-अभियुक्त बाहर गया हुआ है" । तत्पश्चात्, इसी पते पर जमानती वारंट जारी किए गए और उनके अनुपालन में याची तारीख 20 अगस्त, 2014 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ । याची जानबूझकर नोटिस की तामीली से बच रहा था । इसलिए प्रत्यर्थी के काउंसेल ने निवेदन किया कि ऐसी परिस्थितियों में याची के विरुद्ध नोटिस की तामीली की उपधारणा की जानी चाहिए चूंकि विधिक नोटिस रजिस्ट्रीकृत पावती डाक द्वारा चैक के आदेशक को परिवादी के अभिलेखों में उपलब्ध पते पर भेजे गए थे । सारतः, प्रत्यर्थी का यह कहना है कि चूंकि विधिक नोटिस

आदेशक को उचित रीति में उपलब्ध पते पर संबोधित करते हुए भेजी गई थी, परिवादी ने अधिनियम की धारा 138(ख) के निबंधनों के अनुसार अपनी भूमिका का भलीभांति निर्वाह कर दिया है । इसलिए, उन्होंने निवेदन किया कि निचले न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचार पूर्णतः गुणागुण पर आधारित हैं और याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है ।

5. पक्षों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों का मूल्यांकन करते हुए विधि के उपबंधों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

6. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(ख) असंदिग्ध रूप से अपेक्षा करती है कि अदाता द्वारा "इस सूचना कि चैक का अनादरण हो गया है, की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर चैक के आदेशक को लिखित में नोटिस देते हुए" मांग की जाए । उक्त उपबंधों के निबंधनों के अनुसार जब कभी भी कोई कानून शब्दों "तामील किया जाए" या "दिया जाए" या "भेजा जाए" का प्रयोग करता है, जब तक कि कोई भिन्न अर्थ उत्पन्न नहीं होता, नोटिस के संबंध में यह उपधारणा की जाएगी कि वह "उचित रीति में" तामील हो गई है, यदि उसको उचित/सही पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है ।

7. ऐसे मामलों में घटनाओं की निरंतर चलने वाली शृंखला होती है । सर्वप्रथम चैक का अनादरण होता है । तत्पश्चात् चैक के अनादरण की बैंक से अदाता द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने पर 30 दिनों के भीतर आदेशक को विधिक नोटिस भेजा जाता है । यह लिखित विधिक नोटिस आदेशक को उसके पते, जो परिवादी के पास उपलब्ध हो, पर भेजा जाता है । यह नोटिस आदेशक द्वारा प्राप्त किया जाना होता है और उसको नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर संदाय करने में विफल होना चाहिए । तत्पश्चात् शृंखला संदाय में विफलता के कारण अगले प्रक्रम में पहुंच जाती है । तत्पश्चात् परिवादी या आदेशक दांडिक न्यायालय की शरण में जाता है और परिवाद फाइल करता है ।

8. पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जो एकमात्र लघु प्रश्न विचारणार्थ इस मामले में उत्पन्न होता है, यह है कि क्या अभियुक्त पर विधिक मांग का नोटिस तामील किए जाने के पूर्व परक्राम्य लिखत

अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

9. मामले के तथ्यों पर विचारोपरांत और रजिस्ट्रीकृत मांग के नोटिस के परिशीलन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि नोटिस प्रथमतः पृष्ठांकन "प्रेक्षती ने मकान छोड़ दिया है" के साथ वापस लौट आया था किन्तु अंततः निजी परिवादी का नोटिस विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया, तो भिन्न पृष्ठांकन "याची बाहर गया है" के साथ वापस लौट आया । जब जमानती वारंट जारी हुआ, तो याची न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया । परिवाद के पैरा 5 में यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त ने जानबूझकर रजिस्ट्रीकृत मांग का नोटिस प्राप्त नहीं किया । इसलिए यह अभियुक्त द्वारा अपने दायित्व से बचने के लिए नोटिस को जानबूझकर प्राप्त करने से टालना था जिस पर विचार नहीं किया जा सकता । इसलिए, तथ्य अत्यधिक स्पष्ट है और निचले न्यायालयों ने विधिमान्य नोटिस के प्रयोजन को समझने में कोई अवैधता कारित नहीं की है, जैसाकि अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन अनुध्यात है ।

10. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है याची के आचरण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रथमतः नोटिस किसी प्रकार से इस बाबत पृष्ठांकन की व्यवस्था किए जाने के द्वारा कि "प्रेक्षती ने मकान छोड़ दिया है" बिना तामील हुए वापस प्राप्त की गई थी । तत्पश्चात्, जब निजी परिवाद के रजिस्ट्रीकरण पर विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस भेजी गई, तो वह अन्य रीति में पृष्ठांकन का उल्लेख करते हुए "अभियुक्त बाहर चला गया" वापस लौट आई । यह पृष्ठांकन याची के पिता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया था । तत्पश्चात्, जब जमानती वारंट जारी किया गया, तो अभियुक्त-याची विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया । अतः एक ही दृष्टि में दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष नोटिस तामील हो गई थी । इसके अतिरिक्त अधिनियम का आत्यंतिक प्रयोजन मात्र नोटिस को प्राप्त करने से इनकार किए जाने के द्वारा असफल नहीं किया जा सकता । विधि की स्थिरीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह स्पष्ट विचार है कि रजिस्ट्रीकृत नोटिस की प्राप्ति को जानबूझकर टालना नोटिस की तामीली के समान होगा ।

11. पूर्वोक्त चर्चा से मांग के नोटिस का जारी किया जाना, जैसाकि अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन अनुध्यात है, प्रथमदृष्ट्या साबित हो जाता है । इसलिए वर्तमान याचिका पर विचार किए जाने का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, इस आरंभिक प्रक्रम पर दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना निजी परिवाद की समस्त कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती । इसलिए, याची को अवसर प्रदान किया जाता है कि वह नोटिस प्राप्त न होने के संबंध में या सही पते के संबंध में या अन्यथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने आक्षेप समुचित प्रक्रम पर फाइल करे और विचारण न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने और दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् गुणागुण पर मामले का अंतिम निपटारा करते समय उक्त आक्षेप पर विचार करे ।

12. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है । इस आदेश की प्रति संबद्ध न्यायालय को अनुपालनार्थ भेजी जाए ।

याचिका का निपटारा किया गया ।

शु.

(2016) 2 दा. नि. प. 52 **बाम्बे**

वेंकटेश सदानंद पाई

बनाम

श्रीमती कंचन ए. काकोडकर

तारीख 3 जुलाई, 2015

न्यायमूर्ति सी. वी. भडांग

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 118 और 139 – परक्राम्य लिखत के धारक के पक्ष में उपधारणा – जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के प्रयोजनार्थ प्राप्त किया है ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 – धारा 118 और 139 – परक्राम्य लिखत के धारक के पक्ष में उपधारणा – यह कहा जाना घिसा-पिटा है कि धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणा तभी उत्पन्न होगी जब चैक पर किए गए हस्ताक्षर स्वीकृत हों ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) – धारा 269(धध) – नकद में केवल बीस हजार रुपए तक रकम का संदाय किसी संव्यवहार के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है – बीस हजार रुपए से अधिक की रकम का संव्यवहार चैक द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी चारकोरम स्थित न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां प्रथम प्रत्यर्थी/अभियुक्त का पति प्रधानाध्यापक था, में शिक्षक के रूप में कार्यरत थी । अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी से "आकस्मिक आवश्यकताओं" को पूरा करने के लिए कुछ ऋण प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क किया था । अपीलार्थी के अनुसार, जून, 2006 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के मध्य अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 30,000/- रुपए से 80,000/- रुपए के मध्य विभिन्न रकमें, जिनका कुल योग 7,00,000/- रुपए है, उधार स्वरूप दी थीं । प्रथम प्रत्यर्थी ने तारीख 5 दिसम्बर, 2007 को 75,000/- रुपए के अंतिम संदाय की तारीख से एक माह के भीतर उक्त रकम के पुनर्संदाय का वायदा किया था । तथापि, वह अपने वायदे को पूरा कर पाने में विफल रही । अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी के पति अवधूथ काकोडकर के मध्यक्षेप से दो उत्तर दिनांकित चैक प्राप्त कर लिए जो तीन लाख और चार लाख रुपयों के थे । वर्तमान अपील तीन लाख रुपए के तारीख 9 मई, 2008 की चैक से संबंधित है । जब उक्त चैक वसूली के लिए प्रस्तुत की गई, तो अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गई । अपीलार्थी ने ऐसी परिस्थितियों में विधिक नोटिस जारी करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी यह साबित कर पाने में विफल रहा है कि चैक विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के संदाय के निर्वहन में जारी किया गया था और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए प्रथम प्रत्यर्थी को आक्षेपित आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया, इससे व्यथित होकर परिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दांडिक अपील फाइल की । दांडिक अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह कहा जाना घिसा-पिटा है कि अधिनियम की धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणा तभी उत्पन्न हो सकती है जब (चैक

पर किए गए) हस्ताक्षर स्वीकृत हों । वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 के प्रतिपरीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने चैक पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद किया था । यहां पर इस बात को कहे जाने से कोई लाभ नहीं हो सकता कि प्रथम प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों का परीक्षण कराए जाने का कोई प्रयास नहीं किया । अब यह तथ्य शेष रह जाता है कि अपीलार्थी ने स्वयं दस्तावेजों को न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजे जाने के लिए आवेदन किया था । तथापि, इस कार्य को भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता । यह कहा जाना घिसा-पिटा होगा कि जहां अधिनियम की धारा 118/139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध होती है, उसका खंडन परिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तात्विक साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है । अतः, अभियुक्त के लिए यह आज्ञापक नहीं होगा कि वह उक्त उपधारणा के खंडन के प्रयोजनार्थ साक्षी कठघरे में उपस्थित हो । इस मामले में एक और परिस्थिति भी है जो आयकर अधिनियम की धारा 269धध की प्रयोज्यता की ओर संकेत करती है । यह तथ्य कि सभी संव्यवहार नकद में किए गए थे और जिनको किसी भी आय कर विवरणी में दर्शित नहीं किया गया, के बाबत ये अभिनिर्धारित किया जाना पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी साबित कर पाने में विफल रहा है कि चैक विधिक रूप से प्रवर्तनीय किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था । मैंने सतर्कतापूर्वक विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है और मैं यह अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनार्थ स्वयं को आनत कर पाने में असमर्थ हूं कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किया गया विचार या तो तर्कविरुद्ध या असंभव विचार है जिसमें मध्यक्षेप अपेक्षित है । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 5 एस. सी. सी. 154 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 901 : **बासप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	5
[2011]	2011 क्रिमिनल ला जर्नल 343 : **वी. विजय कुमार** बनाम **एम. टी. विजयन** ;	7
[2008]	(2008) 4 एस. सी. सी. 54 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1325 : **कृष्णा जनार्दन भट्ट** बनाम **दत्तात्रेय जी. हेगड़े** ;	12

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111 :
चंद्रप्पा बनाम **कर्नाटक राज्य** । 9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 26.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सी. पडगांवकर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रेयान मैनजेस

निर्णय

अपीलार्थी/परिवादी ने इस अपील द्वारा कैपेम के विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा पारित तारीख 16 दिसम्बर, 2011 के निर्णय और आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 138 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया, को चुनौती दी है ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी चारकोरम स्थित न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां प्रथम प्रत्यर्थी/अभियुक्त का पति प्रधानाध्यापक था, में शिक्षक के रूप में कार्यरत थी । अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के मध्य जान-पहचान का यही कारण दर्शित किया गया है । अपीलार्थी ने यह कहते हुए मामला फाइल किया है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने "आकस्मिक आवश्यकताओं" को पूरा करने के लिए उससे कुछ ऋण प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था । अपीलार्थी के अनुसार, जून, 2006 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के मध्य अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 30,000/- रुपए से 80,000/- रुपए के मध्य विभिन्न रकमें, जिनका कुल योग 7,00,000/- रुपए है, उधार स्वरूप दी थीं । प्रथम प्रत्यर्थी ने तारीख 5 दिसम्बर, 2007 को 75,000/- रुपए के अंतिम संदाय की तारीख से एक माह के भीतर उक्त रकम के पुनर्संदाय का वायदा किया था । तथापि, वह अपने वायदे को पूरा कर पाने में विफल रही । अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी के पति अवधूथ काकोडकर के मध्यक्षेप से दो उत्तर दिनांकित चैक प्रथम प्रत्यर्थी से प्राप्त कर लिए जो तीन लाख और चार लाख रुपयों के थे । वर्तमान अपील तीन लाख रुपए के तारीख 9 मई, 2008 की चैक से संबंधित है । जब उक्त चैक वसूली के लिए प्रस्तुत की गई, तो वह अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गई । अपीलार्थी ने ऐसी परिस्थितियों में विधिक नोटिस जारी

करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया ।

3. विचारण के समय अपीलार्थी ने बैंक मैनेजर श्री मिराजकर (अभि. सा. 2), देवदास काकोडकर (अभि. सा. 3), तारीख 20 अगस्त, 2007 के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले साक्षी और एक अन्य व्यक्ति नारायण मिरकर (अभि. सा. 4), जो तथाकथित रूप से उपस्थित था जब प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से वित्तीय समायोजन के लिए संपर्क किया था, के साथ अपना स्वयं का भी परीक्षण कराया । अपीलार्थी ने प्रतिज्ञापत्र, प्रदर्श 40 को सम्मिलित करते हुए कतिपय दस्तावेज भी प्रस्तुत किए । प्रथम प्रत्यर्थी की तात्विक प्रतिरक्षा यह थी कि चैक पर जारी करने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे ।

4. विद्वान् मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी यह साबित कर पाने में विफल रहा है कि चैक विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए प्रथम प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया । इससे व्यथित होकर परिवादकर्ता ने इस न्यायालय की शरण ली ।

5. मैंने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री पडगांवकर और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री मैनजेस को सुना ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अपीलार्थी उस विद्यालय में जहां प्रथम प्रत्यर्थी का पति प्रधानाध्यापक था, सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी इसलिए वे दोनों एक दूसरे को भलीभांति जानते थे । उन्होंने निवेदन किया कि इसी जान-पहचान और प्रथम प्रत्यर्थी की अत्यावश्यक आवश्यकता के कारण उसने प्रथम प्रत्यर्थी को जून, 2007 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के मध्य विभिन्न रकमें उधार स्वरूप दी थीं । उन्होंने निवेदन किया कि जब प्रथम प्रत्यर्थी उधार दी गई रकम वापस कर पाने में विफल रहा तो अपीलार्थी ने उसके पति अवधूथ काकोडकर से मध्यक्षेप की ईप्सा की, जिस पर प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत चैकें दीं जो अनादरित हो गईं । विद्वान् काउंसेल ने एक प्रतिज्ञापत्र प्रदर्श 40 भी निर्दिष्ट किया जिसका उन्होंने यह निवेदन करते हुए दृढ़तापूर्वक अवलंब लिया कि यह दस्तावेज इस बात को साबित कर देगा कि प्रथम प्रत्यर्थी के ऊपर अपीलार्थी के सात लाख रुपए की रकम बकाया थी । उन्होंने निवेदन किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य का उचित रीति में मूल्यांकन

नहीं किया और प्रतिज्ञापत्र का भी अवलंब उन कारणोंवश लेने में विफल रहा जिनको मान्य नहीं ठहराया जा सकता । उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि स्टांप पेपर्स जिन पर प्रतिज्ञापत्र लिखा गया था, पर तारीख 31 मार्च, 2003 पड़ी हुई थी और वे स्टांप पेपर अधिवक्ता कुडचाडकर के नाम में थे, प्रतिज्ञापत्र वर्ष 2007 में निष्पादित किया गया था और इसमें कुछ भी अप्रायिक नहीं है ।

7. विद्वान् काउंसेल ने बताया कि प्रथम प्रत्यर्थी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं हुआ या उसने किसी अधिसंभाव्य प्रतिरक्षा को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित चैक अपीलार्थी के कब्जे में कैसे आया । जहां तक हस्ताक्षर के पहलू का संबंध है, यह निवेदन किया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से दस्तावेजों का परीक्षण कराने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए विपरीत अनुमान निकाला जाना पर्याप्त होगा । इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय द्वारा **वी. विजय कुमार** बनाम **एम. टी. विजयन**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया गया । उन्होंने निवेदन किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किया गया विचार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित है और इसलिए आक्षेपित आदेश में मध्यक्षेप अपेक्षित है ।

8. इसके विपरीत प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन किया गया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर उचित रीति में मूल्यांकन किया है कि अपीलार्थी यह साबित कर पाने में विफल रहा है कि प्रथम प्रत्यर्थी के विरुद्ध और अपीलार्थी के पक्ष में कोई विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व था ।

उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण मामला असंभाव्य है और उसके पक्ष में विश्वास किए जाने योग्य नहीं है । उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने स्वयं कहा है कि उसने समय की एक लंबी अवधि के दौरान भिन्न रकमें उधार स्वरूप दी थीं और यह उधार दी गई सभी रकमें नकद में थीं । उन्होंने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 ने उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि यह रकमें उसके आयकर विवरणियों में वर्णित नहीं हैं । विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन

---

[1] 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 343.

किया कि इस प्रकार से बीस हजार रुपए के आधिक्य में नकद में रकम प्रदान किया जाना आयकर अधिनियम की धारा 269धध का उल्लंघन होगा और परिवादकर्ता के साक्ष्य को अस्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त होगा । उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रदर्श डी 74 फाइल किया जिसके मतावलंबन में चैक हैदराबाद की न्यायालयिक प्रयोगशाला को दिया गया चैक भी निर्दिष्ट किया गया था । तथापि, वह चैक इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था कि उसे असली स्वीकृत हस्ताक्षरों के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाए । उन्होंने निवेदन किया कि तत्पश्चात् मामले का अनुसरण नहीं किया । उन्होंने निवेदन किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किया गया विचार विधिविरुद्ध नहीं कहा जा सकता और उसमें किसी प्रकार का मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

9. पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुने जाने और अभिलेख और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किए जाने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि मध्यक्षेप का कोई भी मामला बनता है । दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में इस न्यायालय को प्राप्त शक्तियों की परिधि अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गई । **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 42 में जो अभिनिर्धारित किया वह निम्नलिखित है :–

> "42. हमारी सुविचारित राय में उपरोक्त विनिश्चयों से दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत प्रकट होते हैं –
>
> (1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य के पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है ।
>
> (2) 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी शक्ति पर कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त अधिरोपित नहीं करती और अपील न्यायालय उसके समक्ष उपस्थित साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि, दोनों के प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है ।
>
> (3) विभिन्न अपवाद जैसेकि 'सारवान् और विवशकारी

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111.

कारण', 'उचित और पर्याप्त आधार', 'अत्यधिक सुदृढ़ परिस्थितियां', 'तोड़-मरोड़कर निकाले गए निष्कर्ष', 'सुस्पष्ट भूल', इत्यादि से दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों में कटौती किया जाना आशयित नहीं है । ऐसे शब्द चयन साक्ष्य के पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति में कटौती किए जाने और अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाले जाने के बजाय दोषमुक्ति के लिए अपील न्यायालय की अनिच्छा पर जोर दिए जाने के प्रयोजनार्थ 'भाषा के अलंकरण' की प्रकृति में अधिक हैं ।

(4) फिर भी अपील न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा होती है । प्रथमतः, दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अन्तर्गत उसको निर्दोषिता की अवधारणा उपलब्ध होती कि प्रत्येक व्यक्ति के निर्दोष होने की अवधारणा तब तक की जाएगी जब तक कि उसको किसी विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीयतः, यदि अभियुक्त ने अपनी दोषमुक्ति सुनिश्चित कर ली है, तो उसकी निर्दोषिता की अवधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मजबूत, पुनः पुष्ट और सुदृढ़ कर दिया गया है ।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हों तो, अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में मध्यक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

इसका अवलंब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नवीनतम विनिश्चय में लिया गया जो **बासप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाला मामला है । अतः यह केवल तभी होता है जब या तो निचले न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार तर्कविरुद्ध पाया जाता है या वह एक असंभव विचार होता है जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय न्यायानुमत रूप से मध्यक्षेप कर सकता है । अन्य शब्दों में यदि किसी मामले में दो विचार सामान्य रूप से संभव हों तो अपील न्यायालय अपने मत को इस आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकता कि अधिक युक्तियुक्त विचार संभव है । इस संदर्भ में दोषमुक्ति के विरुद्ध

[1] (2014) 5 एस. सी. सी. 154 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 901.

अपील में उपलब्ध शक्तियां सीमित होती हैं ।

10. अतः हम वर्तमान मामले पर विचार करते हैं जिसमें स्वीकृततः अपीलार्थी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुका था जब प्रथम प्रत्यर्थी को जून, 2006 से विभिन्न रकमों के अग्रिम इस सत्याभाषी आधार पर दिया जाना अभिकथित है कि वह अपीलार्थी को जानती थी चूंकि वह उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की पत्नी थी जहां अपीलार्थी पहले सेवारत था । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के मध्य और इस कारणवश अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के पति अवधूथ काकोडकर के मध्य भी कोई कारबार संबंधी संव्यवहार नहीं हुआ था । हमारे समक्ष उपस्थित मामले में यह विवाद नहीं है कि अवधूथ काकोडकर ने किसी भी समयबिन्दु पर अपीलार्थी से वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया था । अपीलार्थी के अनुसार यह केवल तब हुआ जब प्रथम प्रत्यर्थी ने उस रकम के पुनर्संदाय के मामले में व्यतिक्रम कारित किया और उसने अवधूथ काकोडकर से मध्यक्षेप करने के लिए कहा और जब वह चैक जो मामले की विषयवस्तु है और चार लाख रुपए की एक अन्य चैक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई । यदि हम रकमों, जो उधारस्वरूप प्रदान की गईं, के विवरण पर विचार करें, तो वे तीस हजार रुपए से अस्सी हजार रुपए की मध्य की हैं और लंबी अवधि तक विस्तारित है । अभि. सा. 1 ने स्वीकार किया है कि प्रथम प्रत्यर्थी घरेलू महिला थी । इस बात को समझ पाना कठिन है कि किसी घरेलू महिला की "आकस्मिक आवश्यकताएं" क्या होंगी और वह भी तब जब उसने अपने पति के मध्यक्षेप के बिना अपीलार्थी से रकमों की मांग करते हुए जो कुल सात लाख रुपए तक की थी, संपर्क किया हो । अभि. सा. 1 ने आगे स्वीकार किया है कि उसने तीस हजार और चालीस हजार रुपए की रकमों के बाबत लिखित में कुछ भी नहीं लिया था । तत्पश्चात्, उसने अभिकथित किया है कि उसने प्राप्तियां प्राप्त की थीं तथापि, उसको याद नहीं कि उसने उन प्राप्तियों को कहां पर रख दिया । यद्यपि, वह कहता है कि यदि वह उनको खोज सका तो प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु उसने उनको प्रस्तुत नहीं किया । उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसकी मासिक आय तीस हजार रुपए थी । तत्पश्चात्, उसने अभिकथित किया कि उसने अधिशेष रकम किराए की आय और कृषि आय के अतिरिक्त अपनी पत्नी की आय से दी थी । तत्पश्चात्, उसने अभिकथित किया कि उसने तीस हजार रुपए की रकम का संदाय दूसरी बार किया था यद्यपि पूर्ववर्ती रकम का पुनर्संदाय नहीं किया गया था । उसने अभिकथित किया कि उसने 2004 तक के आय का संदाय

कर दिया है और उसने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई आयकर विवरणी फाइल नहीं की । उसने आगे अभिकथित किया कि द्वितीय प्रत्यर्थी ने किसी ब्याज का संदाय नहीं किया चूंकि इस बाबत उनके मध्य कोई बात नहीं हुई थी । यह स्वीकार किया जा पाना अत्यधिक कठिन है कि अपीलार्थी यह रकमें बिना किसी लिखा-पढ़ी के और ब्याज के संदाय के प्रयोजनार्थ बिना किसी करार के और विशेष रूप से जबकि वह स्वयं कह रहा है कि वह उधार रकमें देता रहा यद्यपि पूर्व में उधार स्वरूप दी गई रकमों का पुनर्संदाय नहीं किया गया था, देगा ।

11. अब हम प्रतिज्ञापत्र प्रदर्श 40 पर विचार करते हैं, उक्त दस्तावेज तारीख 20 दिसम्बर, 2007 का है और तारीख 31 मार्च, 2003 के स्टाम्प पर अधिवक्ता कुडचाडकर के नाम में लिखा गया है । यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने तारीख 22 मई, 2008 के नोटिस प्रदर्श 9 में प्रतिज्ञापत्र निष्पादित किए जाने के बाबत न तो प्रथम प्रत्यर्थी के बारे में कोई उल्लेख किया है और न ही परिवाद में । सामान्यतया, वर्तमान प्रकृति के अभियोजन में कम से कम एक तात्विक परिस्थिति को साबित किया जाना होगा जो यह है कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था । प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार के किसी प्रतिज्ञापत्र की विधिमान्यता एक तात्विक परिस्थिति थी जिसको नोटिस और साथ ही परिवाद में वर्णित किया जाना चाहिए था । किन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

12. यह कहा जाना घिसा-पिटा है कि अधिनियम की धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणा तभी उत्पन्न हो सकती है जब (चैक पर किए गए) हस्ताक्षर स्वीकृत हों । वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 के प्रतिपरीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने चैक पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद किया था । यहां पर इस बात को कहे जाने से कोई लाभ नहीं हो सकता कि प्रथम प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों का परीक्षण कराए जाने का कोई प्रयास नहीं किया । अब यह तथ्य शेष रह जाता है कि अपीलार्थी ने स्वयं दस्तावेजों को न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजे जाने के लिए आवेदन किया था । तथापि, इस कार्य को भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता । यह कहा जाना घिसा-पिटा होगा कि जहां अधिनियम की धारा 118/139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध होती है, उसका खंडन परिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तात्विक साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है । अतः, अभियुक्त के लिए यह आज्ञापक नहीं होगा कि वह उक्त

उपधारणा के खंडन के प्रयोजनार्थ साक्षी कठघरे में उपस्थित हो । इस मामले में एक और परिस्थिति भी है जो आयकर अधिनियम की धारा 269धध की प्रयोज्यता की ओर संकेत करती है । **कृष्णा जनार्दन भट्ट** बनाम **दत्तात्रेय जी. हेगड़े**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया कि आय कर अधिनियम की धारा 269धध के निबंधनों के अनुसार बीस हजार रुपए से अधिक की रकम का ऋण के रूप में किसी भी अग्रिम का संदाय खाता आदाता चैक द्वारा ही किया जाना चाहिए । यह तथ्य कि सभी संव्यवहार नकद में किए गए थे और जिनको किसी भी आय कर विवरणी में दर्शित नहीं किया गया, के बाबत ये अभिनिर्धारित किया जाना पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी साबित कर पाने में विफल रहा है कि चैक विधिक रूप से प्रवर्तनीय किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था । मैंने सतर्कतापूर्वक विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है और मैं यह अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनार्थ स्वयं को आनत कर पाने में असमर्थ हूं कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किया गया विचार या तो तर्कविरुद्ध या असंभव विचार है जिसमें मध्यक्षेप अपेक्षित है ।

13. अंतिम निर्णय आदेश पारित करने के पूर्व यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में की गई मताभिव्यक्तियां अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद और उसके अधीन उत्पन्न विवाद्यकों से संबंधित है । यदि अपीलार्थी ने रकम की वसूली के लिए कोई अन्य विधिक अनुतोष प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसी अन्य न्यायालय की शरण ली है, तो वह मामला अपने गुणागुण के आधार पर और इस मामले में की मताभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित किए बिना निर्णीत किया जाएगा ।

14. इन परिस्थितियों में कोई गुणागुण नहीं पाया जाता । परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है ।

दांडिक अपील खारिज की गई ।

शु.

---

[1] (2008) 4 एस. सी. सी. 54 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1325.

घीसा नाथ

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 18 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति संदीप मेहता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 29] – जमानत आवेदन – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन अभिकथन – सह-अभियुक्त को जमानत देना – दोनों अभियुक्तों के संबंध में एक जैसे साक्ष्य होना – जब अभियुक्तों पर एक जैसे आरोपों के साक्ष्य होते हैं तो एक जैसा निर्णय किया जाना उचित है, इसलिए दोनों अभियुक्त में से एक को जमानत पर रिहा किए जाने पर दूसरे अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है ।

वर्तमान जमानत आवेदन याची की ओर से 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया है, जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 29 के अधीन अपराधों के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला सूचना संख्या 6/2013 के संबंध अभिरक्षा में है । जमानत आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने सुसंगत और तात्विक दस्तावेजों के बल पर याची को इस मामले में अर्थात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन निरीक्षक देवी लाल राठौर द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन और समय के संबंध में गलत प्रविष्टियां करके गिरफ्तारी ज्ञापन में उसे फंसाया गया है । कथन के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि कथन को अभिलिखित करने का कार्य 14.00 बजे पूरा हुआ था । याची के गिरफ्तारी ज्ञापन 14.30 बजे गिरफ्तारी होने के समय को निर्दिष्ट किया है । मेडिकल ज्यूरिस्ट का कार्यालय केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है जैसाकि निरीक्षक देवी लाल राठौर द्वारा तारीख 4 अगस्त, 2014 को अपना स्पष्टीकरण देते हुए

स्वीकार किया है । इस प्रकार, कुछ समय याची को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालय ले जाने में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास लग गया होगा । इस प्रकार, अभियुक्त 1.30 बजे से काफी पहले ही निरीक्षक के कार्यालय से ले जाया गया होगा जो मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष उसको पेश करने का समय है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियुक्त के कथन को निरन्तर 14.00 बजे तक अभिलिखित किया गया होगा जैसा कि निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त, निरीक्षक द्वारा उल्लिखित गिरफ्तारी का समय 14.30 बजे होना अभियुक्त के गिरफ्तारी ज्ञापन में गलत है । स्पष्ट रूप से समय के संबंध में ये प्रविष्टियां योजना के उद्देश्य से की गईं थीं कि घीसा नाथ का कथन उसकी गिरफ्तारी से पहले अभिलिखित किया गया था जबकि तथ्यों से भिन्न बात प्रकट होती है । चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए पेश किया था । इस बारे में विधि सुव्यवस्थित है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के पदधारियों द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन समन किए गए किसी व्यक्ति का कथन और परीक्षा साक्ष्य में तब तक अनुज्ञेय है जब तक कि ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया जाता है और न ही उनकी गिरफ्तारी होती है । तथापि, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो स्पष्ट रूप से उसका कथन साक्ष्य में अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि इससे भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का उल्लंघन होता है । निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से समय की प्रविष्टि गलत की थी जबकि अभियुक्त घीसा नाथ का अभिकथन अभिलिखित करते हुए और योजना के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करते हुए अभिकथन अभिलिखित किया था जबकि घीसा नाथ अभिरक्षा या गिरफ्तारी में नहीं था । निरीक्षक द्वारा अपनाई गई अनैतिक कार्रवाई है क्योंकि मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष अभियुक्त की परीक्षा करने में समय 1.30 बजे अपराह्न उल्लेख किया गया है । परिणामस्वरूप, याची की ओर से दी गई अग्रिम दलीलें यह हैं कि उसका कथन उसकी गिरफ्तारी के बाद बलपूर्वक लिया गया था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने विवाद्यकों पर बारीकी से विचार किया होगा जब साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था । गुणागुणों पर टिप्पणियों के बिना किन्तु संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए उपरोक्त परिस्थितियों पर चर्चा की थी और तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-अभियुक्त राजेश **उर्फ** राजकुमार सोनी जिसके

विरुद्ध एक जैसे साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं, उसे इस न्यायालय ने जमानत दे दी है, याची भी इस मामले में जमानत पर रिहा किए जाने के योग्य है । (पैरा 11 और 12)

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की एस. बी. दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 3621.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन आवेदन ।

याची की ओर से श्री शंभु लाल (याची की ओर से ब्रदर इन ला हाजिर)

राज्य की ओर से सर्वश्री एन. के. राय, विशेष लोक अभियोजक, और डी. एल. राठौर, सी. आई. उदयपुर

न्यायमूर्ति संदीप मेहता – वर्तमान जमानत आवेदन याची की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन फाइल किया गया है, जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 29 के अधीन अपराधों के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 6/2013 के संबंध अभिरक्षा में है ।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं ।

पूर्व सूचना की कार्यवाही के आधार पर, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, उदयपुर से आए पदधारियों की एक संयुक्त टीम ने तारीख 27 अक्तूबर, 2013 को चित्तौड़गढ़ में अभियुक्त मोहनदास के घर की तलाशी ली थी । तलाशी लेने के उपरांत, 2.6 कि. ग्रा. वजन की अवैध अफीम परिसर से बरामद की थी । मोहनदास से पूछताछ करने पर यह सूचना मिली कि अफीम उसके साले मंगूदास ने प्रदाय की थी जिसको वह मारूति वैन में लाया था और कि उससे अधिक अफीम मंगूदास के घर से बरामद की जा सकी । उसी दिन ही उक्त सूचना की कार्यवाही पर, मंगूदास के घर की तलाशी ली थी और उसके कब्जे से अवैध 3.750 कि. ग्रा. अफीम बरामद की थी । मंगूदास ने पदधारियों द्वारा पूछताछ करने पर यह बताया है कि उसने याची घीसा नाथ से अफीम मंगाई थी । अन्वेषण के लिए मामला निरीक्षक देवी लाल राठौर को सौंपा था । उसने तारीख 28 अक्तूबर, 2013

को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन मोहनदास और मंगूदास के कथन अभिलिखित किए थे । दोनों अभियुक्त तारीख 28 अक्तूबर, 2013 की चिकित्सा परीक्षा के अध्यधीन थे और तत्पश्चात् उन्हें वहां से संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था ।

3. मंगूदास द्वारा दी गई सूचना की कार्यवाही पर, टीम के मुखिया जे. एल. मीना, अधीक्षक उप स्वापक आयुक्त कोटा, द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2013 को याची घीसा नाथ के घर, ग्राम चावंडिया, तहसील बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़ में छापा मारा था । याची अपने घर में उस समय नहीं मिला था । अपराध में फंसाने वाला कोई सामान बरामद नहीं हुआ जो भी परिसर से बरामद किया जाना था । यह अभिकथित है कि देवी लाल राठौर, निरीक्षक ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन अभियुक्त को दोबारा समन भेजकर अन्वेषण के लिए उपस्थित रहने के लिए उसे निदेश दिया । इसी बीच में, दूसरा अभियुक्त अर्थात् राजेश **उर्फ** राजकुमार सोनी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए रिमांड पर लिया गया था । एक समन तारीख 24 दिसम्बर, 2013 को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन याची घीसा नाथ को तारीख 8 जनवरी, 2014 को अधीक्षक, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, उदयपुर के कार्यालय में पेश होने के लिए उसे निदेश देते हुए पुनः जारी किया गया था । अभियुक्त अधिकथित रूप से तारीख 24 फरवरी, 2014 को निरीक्षक के समक्ष स्वेच्छा से उपस्थित हुआ था । अभिकथन पर टिप्पणियों के अनुसार, निरीक्षक देवी लाल राठौर ने तात्पर्यित रूप से तारीख 24 फरवरी, 2014 को 10 बजे सुबह चित्तौड़गढ़ में केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालय में याची का अभिकथन अभिलिखित करना शुरू किया था । अभिकथन की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई । निरीक्षक द्वारा अभिलिखित कथन से स्पष्ट किया गया है कि उसने 10 बजे प्रातः कथन अभिलिखित किया था । अभिकथन लगातार एक घंटे बैठकर 14.00 बजे में समाप्त हुआ था । याची को गिरफ्तार करने के बाद 14.30 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया था । अभिलेख पर उपलब्ध दूसरे सामग्री दस्तावेज तारीख 24 फरवरी, 2014 को मेडिकल ज्यूरिस्ट, सरकारी अस्पताल,

चित्तौड़गढ़ को देवी लाल राठौर, निरीक्षक द्वारा आवेदन फाइल किया गया था जिसमें उसकी गिरफ्तारी के बाद में याची की अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा पूरा करने के लिए उनसे अनुरोध किया था । दस्तावेज इस जमानत आवेदन के निपटान के लिए रखे गए हैं और इस प्रकार नीचे दिए गए हैं :–

फा. सं. XV(7)6/सीजर/उरम/2013

प्रति,

श्रीमान् मेडिकल ज्यूरिस्ट
शासकीय चिकित्सालय
चित्तौड़गढ़

महोदय,

विषय : प्र.क. 6/13 में गिरफ्तार आरोपी घीसा नाथ पुत्र श्री दौलनाथ उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चावंडिया थाना पारसोली तह. बेगुन के मेडिकल परीक्षण बाबत ।

संदर्भ : जप्ती अवैध अफीम 6.350 कि. ग्रा. दिनांक 27.10.13 सी. बी. एन. उदयपुर बनाम मोहनदास वगैरह ।

कृपया उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में गिरफ्तार घीसा नाथ पुत्र दौलनाथ निवासी ग्राम चावंडिया की मेडिकल जांच कर मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
डी. एल. राठौर
निरीक्षक

"तारीख 24 फरवरी, 2014 को 1.30 बजे अपराह्न उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई"

4. दस्तावेज का परिशीलन करने पर प्रकट हुए तथ्य से सुस्पष्ट यह दर्शित होता है कि घीसा नाथ को गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात् श्री देवी लाल निरीक्षक द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष पेश किया गया था । चिकित्सक, जो एक लोक सेवक है, ने चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन पर यह उल्लेख किया था कि अभियुक्त को 1.30 बजे दोपहर चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके समक्ष पेश किया था । अभियुक्त व्यक्ति के शरीर पर

कोई भी चोटों के चिह्न नहीं मिले । दस्तावेज पर श्री देवी लाल राठौर, निरीक्षक ने हस्ताक्षर किए थे ।

5. अंततः अन्वेषण पूरा होने के बाद, एक परिवाद देवी लाल राठौर, निरीक्षक ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18बी और 8/29 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त मंगूदास, राजेश **उर्फ** राजकुमार सोनी और घीसा नाथ के विरुद्ध विद्वान् विशेष न्यायाधीश, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के मामलों के न्यायालय में फाइल किया था । याची ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए वर्तमान आवेदन द्वारा इस न्यायालय में भी समावेदन किया है ।

6. जब इस मामले को तारीख 16 जुलाई, 2014 को इस न्यायालय ने ग्रहण किया तो याची के विद्वान् काउंसेल श्री मनीष पीटालिया ने यह दलील दी कि देवी लाल राठौर, निरीक्षक द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज विशिष्ट रूप से याची के अभिकथन और उसका गिरफ्तारी ज्ञापन मिथ्या दस्तावेज हैं चूंकि निरीक्षक ने इन दस्तावेजों पर समय की टिप्पणियां मिथ्या रूप से की गई हैं । उसने यह दलील दी है कि सुव्यवस्थित विधि यह है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की पदधारियों द्वारा अभिलिखित किए गए किसी व्यक्ति के कथन साक्ष्य में अनुज्ञेय है । तथापि, यदि ऐसा कथन अभिसाक्षी की गिरफ्तारी के बाद में अभिलिखित किया गया हो तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन होगा । उसने यह दलील दी है कि निरीक्षक ने जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी का समय 14.30 बजे दर्शाते हुए याची की गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार किया था । जबकि उसे वास्तविक रूप से बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया था । जबकि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन याची का कथन अभिलिखित करते हुए, समाप्ति का समय 2 बजे का उल्लेख किया गया है जो प्रथमदृष्ट्या गलत है क्योंकि याची को बहुत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और उसे 1.30 बजे दोपहर को चिकित्सा परीक्षा के लिए मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष पेश किया गया था । इस प्रकार, उसने यह दलील दी है कि निरीक्षक देवी लाल राठौर मिथ्या दस्तावेज तैयार करने का दोषी है । उसने यह दलील दी है कि याची का कथन उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । ऐसे कथन को उसके विरुद्ध साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता है । उसने यह भी

दलील दी है कि सह-अभियुक्त राजेश **उर्फ** राजकुमार सोनी जिसके विरुद्ध एक समान साक्ष्य उपलब्ध है, जिसकी इस न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर की गई है और इस प्रकार, याची भी इस मामले में जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है ।

7. दस्तावेजों में प्रकट हुई विसंगति को स्पष्ट करने के लिए संबंधित निरीक्षक को एक अवसर दिए जाने के क्रम में, श्री एन. के. राय, विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने निरीक्षक देवी लाल राठौर को न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया । विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने तारीख 16 जुलाई, 2014 को एक पत्र अभिलेख पर रखा था जिसके द्वारा निरीक्षक श्री देवी लाल राठौर को उपरोक्त सभी तथ्यों से संबंधित जानकारी दी गई थी और उससे उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में पूछा था । पत्र की अन्तर्वस्तु वही सामग्री है और उसे सुविधा के प्रयोजन के लिए इसमें इस प्रकार प्रस्तुत किया है :–

"सेवा में

श्रीमान् अधीक्षक (निवा.)
सी. बी. एन. प्रतापगढ़

विषय : एस. बी. दां. प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 3621/2014
तारीख सुनवाई - 16 जुलाई, 2014
घीसा नाथ बनाम भारत सरकार

मान्यवर जी,

अपराध क्रमांक 6/2013 सी. बी. एन. अधीक्षक (निवारण) उदयपुर, सेशन केस संख्या 18/2014 सी. बी. एन. बनाम मोहनदास व अन्य विशेष न्यायाधीश स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामले संख्या 1 चित्तौड़गढ़ विचाराधीन है ।

उक्त प्रकरण में अभि. घीसा नाथ ने जमानत प्रार्थनापत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर में प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई आज नियत थी । उक्त प्रकरण में श्री देवी लाल राठौर, निरीक्षक अनुसंधान अधिकारी है । श्री देवी लाल राठौर ने अभि. घीसा नाथ के बयान स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन तारीख 24 फरवरी, 2014 लेखबद्ध समय 10 बजे प्रारंभ कर समाप्ति का समय 14.00 बजे अंकित किया

है । मेडिकल परीक्षण हेतु दिनांक 24.2.2014 को मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें परीक्षण का समय दिनांक 24 फरवरी, 2014 समय 1.30 बजे दोपहर अंकित है । उक्त तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22 जुलाई, 2014 को श्री देवी लाल राठौर की उपस्थिति अति आवश्यक है अतः श्री देवी लाल राठौर को उपस्थित होने का आदेश प्रदान कराएं ।

एन. के. राय
पी.पी. ।"

8. देवी लाल राठौर, निरीक्षक तारीख 4 अगस्त, 2014 को न्यायालय में पेश हुआ था ।

9. अधिवक्ता हड़ताल पर थे और इस प्रकार, याची का साला न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था और याची के काउंसेल ने पूर्व दी गई दलीलों को दोहराया था । इस न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों का निर्दिष्ट करने के संबंध में निरीक्षक देवी लाल राठौर से एक जांच कराई थी और विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने तारीख 16 जुलाई, 2014 की सूचना में ब्यौरा भी उसको भेजा था । निरीक्षक ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि मामले के तथ्य पर उसने 1.30 बजे दोपहर में चिकित्सा परीक्षा के लिए मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष अभियुक्त को पेश किया था । उसने यह दलील दी है कि यहां दस्तावेजों में समय का उल्लेख करने में अनवधान त्रुटि की गई है और उसे इसके लिए माफ किया जाए ।

10. तथ्य यह है कि अभिलिखित समय का अभियुक्त के कथन पर गलत रूप से उल्लेख किया है और उसका गिरफ्तारी ज्ञापन चिकित्सा परीक्षा के लिए किए गए आवेदन के केवल परिशीलन से सम्यक् रूप से सिद्ध होता है, जिसकी अन्तर्वस्तु इसमें ऊपर दी गई है ।

11. उपरोक्त चर्चा से, यह प्रकट होता है कि दी गई सुसंगत और तात्विक दस्तावेजों के बल पर याची को इस मामले में अर्थात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन निरीक्षक देवी लाल राठौर द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन और समय के संबंध में गलत प्रविष्टियां करके गिरफ्तारी ज्ञापन में उसे फंसाया गया है । कथन के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि कथन को अभिलिखित करने का कार्य 14.00 बजे पूरा हुआ था । याची के गिरफ्तारी

ज्ञापन 14.30 बजे गिरफ्तारी होने के समय को निर्दिष्ट किया है । मेडिकल ज्यूरिस्ट का कार्यालय केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है जैसाकि निरीक्षक देवी लाल राठौर द्वारा तारीख 4 अगस्त, 2014 को अपना स्पष्टीकरण देते हुए स्वीकार किया है । इस प्रकार, कुछ समय याची को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालय ले जाने में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास लग गया होगा । इस प्रकार, अभियुक्त 1.30 बजे से काफी पहले ही निरीक्षक के कार्यालय से ले जाया गया होगा जो मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष उसको पेश करने का समय है ।

12. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियुक्त के कथन को निरन्तर 14.00 बजे तक अभिलिखित किया गया होगा जैसाकि निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त, निरीक्षक द्वारा उल्लिखित गिरफ्तारी का समय 14.30 बजे होना अभियुक्त के गिरफ्तारी ज्ञापन में गलत है । स्पष्ट रूप से समय के संबंध में ये प्रविष्टियां योजना के उद्देश्य से की गईं थीं कि घीसा नाथ का कथन उसकी गिरफ्तारी से पहले अभिलिखित किया गया था जबकि तथ्यों से भिन्न बात प्रकट होती है । चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए पेश किया था । इस बारे में विधि सुव्यवस्थित है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के पदधारियों द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अधीन समन किए गए किसी व्यक्ति का कथन और परीक्षा साक्ष्य में तब तक अनुज्ञेय है जब तक कि ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया जाता है और न ही उनकी गिरफ्तारी होती है । तथापि, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो स्पष्ट रूप से उसका कथन साक्ष्य में अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि इससे भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का उल्लंघन होता है । निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से समय की प्रविष्टि गलत की थी जबकि अभियुक्त घीसा नाथ का अभिकथन अभिलिखित करते हुए और योजना के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करते हुए अभिकथन अभिलिखित किया था जबकि घीसा नाथ अभिरक्षा या गिरफ्तारी में नहीं था । निरीक्षक द्वारा अपनाई गई अनैतिक कार्रवाई है क्योंकि मेडिकल ज्यूरिस्ट के समक्ष अभियुक्त की परीक्षा करने में समय 1.30 बजे अपराह्न का उल्लेख किया गया है । परिणामस्वरूप,

याची की ओर से दी गई अग्रिम दलीलें यह हैं कि उसका कथन उसकी गिरफ्तारी के बाद बलपूर्वक लिया गया था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने विवाद्यकों पर बारीकी से विचार किया होगा जब साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था । गुणागुणों पर टिप्पणियों के बिना किन्तु संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए उपरोक्त परिस्थितियों पर चर्चा की थी और तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-अभियुक्त राजेश **उर्फ** राजकुमार सोनी जिसके विरुद्ध एक जैसे साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं, उसे इस न्यायालय ने जमानत दे दी है, याची भी इस मामले में जमानत पर रिहा किए जाने के योग्य है ।

13. तद्नुसार, जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है । यह आदेश किया जाता है कि अभियुक्त-याची अर्थात् घीसा नाथ जो केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, उदयपुर में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 6/2013 के संबंध में जमानत पर है; परन्तु उसे सुनवाई की सभी तारीखों पर उस न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए अनुबंध के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय के समाधान के लिए 50,000/- रुपए के व्यक्तिगत प्रतिभूति और 25,000/- रुपए के दो प्रतिभूति बंधक देने होंगे और जब बुलाया जाए तब पेश हो ।

जमानत आवेदन मंजूर किया गया ।

मही./आर्य

पदम चंद जैन

बनाम

गोपाल लाल जैन और एक अन्य

तारीख 8 अप्रैल, 2015

न्यायमूर्ति एम. एन. भंडारी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 239 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138] – अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाना – यदि अभियुक्त की परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मुक्त कर देगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 190 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138] – न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाना – याची द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि उससे चैक बलपूर्वक लिया गया और तत्पश्चात् उसमें रकम लिखी गई – यह विवाद्यक साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है और अपराध का संज्ञान लिए जाते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा याची और मैसर्स नवीन ऑटोमोबाइल के विरुद्ध 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कारित अपराध के संज्ञान का आदेश पारित किया गया । इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रस्तुत याचिका फाइल की गई जिसके द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दी गई । उक्त याचिका को याची को यह स्वतंत्रता देते हुए निस्तारित कर दिया गया कि वह निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा । इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई उक्त स्वतंत्रता के अनुसरण में संज्ञान के आदेश को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक आवेदन फाइल किया गया, तथापि, इस आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत दांडिक प्रकीर्ण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – चैक बलपूर्वक लिया गया था और तत्पश्चात् रकम लिखी गई थी । पूर्वोक्त तथ्य दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है, फिर भी यह एक प्रतिरक्षा हो सकता है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा इसका अवलंब लिया जा सकता है । चैक बलपूर्वक लिया गया था, इस विवाद्यक को विचारण में निर्णीत किया जा सकता है । ऐसा नहीं है कि याची ने चैक जारी नहीं किया । एकमात्र अभिकथन यह है कि चैक को बलपूर्वक लिया गया और तत्पश्चात् उसमें रकम लिखी गई । यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्वोक्त विवाद्यक को साक्ष्य द्वारा निर्णीत किया जा सकता है और अपराध का संज्ञान लिए जाते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही निर्णीत किया जा सकता है । (पैरा 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 1 एस. सी. सी. 520 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 31 : **अनिता मल्होत्रा** बनाम **एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक अन्य** ।	4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 1350.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री संतोष कुमार जैन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विरेन्द्र गोदरा (लोक अभियोजक)

आदेश

इस दांडिक प्रकीर्ण याचिका द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2015 के आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया, के आदेश को चुनौती दी गई है ।

2. विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा याची और मैसर्स नवीन ऑटोमोबाइल के विरुद्ध 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में “अधिनियम”) की धारा 138 के अधीन कारित अपराध के संज्ञान का आदेश पारित किया गया था । इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की गई जिसके द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दी गई । उक्त याचिका को याची को यह

स्वतंत्रता देते हुए निस्तारित कर दिया गया कि वह निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा । न्यायालय द्वारा प्रदान की गई उक्त स्वतंत्रता के मतावलंबन में संज्ञान के आदेश को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक आवेदन फाइल किया गया, तथापि, इस आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया ।

3. यह अभिकथित किया गया है कि याची चैक जारी किए जाने की तारीख पर मैसर्स नवीन ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं था, अतः उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता था । यह दर्शित करने के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है कि सुसंगत समय बिन्दु पर इस फर्म का स्वत्वधारी कौन था । आगे यह अभिकथित किया गया कि मैसर्स नवीन ऑटोमोबाइल को अभियुक्त के रूप में पक्ष बनाया गया है, तथापि, इस फर्म का न तो पूर्ण पता दिया गया और न ही किसी ने इस फर्म का प्रतिनिधित्व किया । इन बातों को ध्यान में रखते हुए फर्म के विरुद्ध पारित किया गया अपराध के संज्ञान का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

4. **अनिता मल्होत्रा** बनाम **एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट किया गया ।

आगे यह अभिकथित किया गया कि याची से बलपूर्वक पचास हजार रुपए का चैक लिया गया था और तत्पश्चात् चैक में रकम लिखी गई थी, अतः इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए परिवाद पोषणीय नहीं है और इसलिए अपराध के संज्ञान का आदेश भी पोषणीय नहीं है ।

5. विद्वान् लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया ।

6. मैंने विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए परिवाद पर निचले न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका फाइल की गई थी । इस याचिका को याची को यह स्वतंत्रता देते हुए निस्तारित कर दिया गया कि वह निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल करे । यह अभिकथित किया जाना आवश्यक नहीं है कि निचले न्यायालय को

---

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 520 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 31.

अपने आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं होती और यह शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 द्वारा बाधित है । किसी भी स्थिति में, जब उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित कर दिया गया था, तो आवेदन पर विचार किया गया और उसमें कोई सार न पाते हुए उसको खारिज कर दिया गया ।

7. याची का पक्षकथन यह है कि उससे चैक बलपूर्वक लिया गया था और तत्पश्चात् रकम भरी गई थी । पूर्वोक्त तथ्य दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है, फिर भी यह एक प्रतिरक्षा हो सकता है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा इसका अवलंब लिया जा सकता है ।

8. दलीलें फर्म, जिसका स्वत्वधारी श्री अशोक कुमार को दर्शित किया गया है, के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संदर्भ में दी गई हैं । इस फर्म का रजिस्ट्रीकरण मार्च, 2006 में और श्री नवीन कुमार की मृत्यु के पश्चात् हुआ था । यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि याचिका याची पदम कुमार जैन द्वारा फाइल की गई है न कि फर्म द्वारा जिससे कि पूर्वोक्त दस्तावेजों को निर्दिष्ट किया जा सके और किसी भी स्थिति में चैक तारीख 8 अक्तूबर, 2009 को याची को जारी किया गया था यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि चैक बलपूर्वक लिया गया था किन्तु इस विवाद्यक को विचारण में निर्णीत नहीं किया जा सकता है । ऐसा नहीं है कि याची ने चैक जारी नहीं की । एकमात्र अभिकथन यह है कि चैक को बलपूर्वक लिया गया था और तत्पश्चात् उसमें रकम लिखी गई थी । यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्वोक्त विवाद्यक को साक्ष्य द्वारा निर्णीत किया जा सकता है और अपराध का संज्ञान लिए जाते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता और न ही निर्णीत किया जा सकता ।

9. मैं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता । तद्नुसार, दांडिक प्रकीर्ण याचिका खारिज की जाती है ।

10. जहां तक फर्म से संबंधित विवाद्यक का संबंध है, निश्चित रूप से इस विवाद्यक पर उचित प्रक्रम पर विचार किया जाएगा, यदि इस फर्म का पता दर्शित किया जाता है और प्रतिनिधित्व किया जाता है ।

याचिका खारिज की जाती है ।

शु.

उम्मेद सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

तारीख 20 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 354 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – अभियुक्त द्वारा लज्जा भंग किया जाना, यात्रियों को बिना टिकट बस में यात्रा कराया जाना और साक्ष्य को साबित न किया जाना – याचिका अपास्त किया जाना यदि अभियुक्त की भूमिका संदेह पर आधारित हो तो अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

वर्तमान मामले में, पुलिस थाना, महिला थाना नागौर, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-41/2014 अपराध अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं उसके क्रम में प्रस्तुत अनुसंधान परिणाम को निरस्त किए जाने की प्रार्थना याची की ओर से धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस विविध फौजदारी याचिका के जरिए की गई है । अभियुक्त द्वारा व्यथित होकर, यह याचिका फाइल की गई है । याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से ससम्मान सहमत हैं । लेकिन वर्तमान प्रकरण में विरोधाभासी अनुसंधान की तथ्यात्मक स्थिति पत्रावली पर अवश्य है, लेकिन इस क्रम में विरोधाभासी प्रहार करने की तथ्यात्मक स्थिति भी प्रकरण में तीव्र प्रतिवाद के रूप में प्रकट हुई है । प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि घटना के समय तारीख 26 मई, 2014 को परिवादिया संबंधित बस नंबर 0705 में परिचालक के रूप में कार्यरत थी तथा याची का सहायक यातायात निरीक्षक के रूप में बस को चेक करना भी विवादित नहीं है तथा याची द्वारा परिवादिया से बिना टिकट की सवारियों के बाबत पूछे जाने एवं स्वचालित टेलर मशीन मांगे जाने का तथ्य भी विवादित नहीं है तथा याची की ओर से संबंधित बस में सात सवारियां बिना टिकट होने के क्रम में तारीख 26 मई, 2014 को जो मीमो बनाया गया है, वह भी पत्रावली पर है ।

इस क्रम में बस चालक पदमाराम ने तारीख 16 जून, 2014 को जो बयान प्रथम अनुसंधान अधिकारी को दिए हैं, उन बयानों में भी स्वचालित टेलर मशीन के क्रम में वर्तमान याची द्वारा परिवादिया परिचालक से मांगे जाने एवं इस क्रम में परिवादिया द्वारा सूचना उक्त चालक को देना भी अंकित है। परिवादिया के साथ याची द्वारा लज्जा भंग किए जाने के क्रम में चालक के बयानों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे याची की मंशा सवारियों की टिकट चेक करने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जहां याची ने बिना टिकट की सवारियों की शीट तैयार की हो व उस क्रम में परिवादिया के साथ लज्जा भंग का आशय प्रकट होता हो? प्रथम अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य प्रबंधक, बी. आर. बेड़ा के भी बयान लिए हैं, उक्त गवाह ने भी अपने बयानों में स्वयं के फोन पर तारीख 16 मई, 2014 को उम्मेद सिंह को फोन आना एवं बस नंबर 0705 में बिना टिकट की सवारियां होना तथा स्वचालित टेलर मशीन विमला द्वारा देने से मना करना बताया है तथा उक्त गवाह बेड़ा ने विमला कुमारी से बात करने पर उसे समझाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि परिवादिया ने उम्मेद सिंह द्वारा छेड़छाड़ की कोई बात नहीं बताई एवं परिवादिया द्वारा बिना टिकट का रिमार्क हटाने का तथ्य प्रकट किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुसंधान अधिकारी ने जो अनुसंधान परिणाम दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी प्रकार से याची द्वारा परिवादिया के साथ धारा 354 भारतीय दंड संहिता से संबंधित घटना प्रमाणित नहीं हुई है। उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति के क्रम में मूल रूप से जहां बस में चेकिंग के दौरान परिवादिया जिस बस में परिचालक के रूप में कार्य किया जाना बताया गया है, उसमें सात सवारियों का अवैध रूप से बिना टिकट के पाए जाने पर, रिमार्क दस्तावेज बनाया जाना व याची द्वारा परिवादिया से स्वचालित टेलर मशीन की मांग करने पर परिवादिया द्वारा इनकार करने एवं इस संबंध में चालक से वार्ता करने एवं तत्पश्चात् मुख्य प्रबंधक श्री बी. आर. बेड़ा द्वारा परिवादिया को स्वचालित टेलर मशीन के संबंध में उचित निर्देश दिए जाने के पश्चात् जिस सीट पर याची का बैठा होना बताया गया है, उसके पास परिवादिया का आना एवं तत्पश्चात् परिवादिया द्वारा याची के विरुद्ध लज्जा भंग करने के क्रम में जो आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से प्रकट किए गए हैं। परिणामतः याची उम्मेद सिंह की ओर से प्रस्तुत यह विविध फौजदारी याचिका अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-41/2014 पुलिस थाना, महिला थाना नागौर, जिला नागौर एवं उसके क्रम में प्रस्तुत अनुसंधान

परिणाम को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2094 : **धर्मात्मा सिंह** बनाम **हरमिन्दर सिंह और अन्य** ;	5
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 330 : **राजीव थापर और अन्य** बनाम **मदन लाल कपूर** ।	11

रिट (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका सं. 2522.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याचियों की ओर से श्री त्रिलोक जोशी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक

याची सं.2/परिवादियों की ओर से श्री विक्रम चौधरी, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी – पुलिस थाना, महिला थाना नागौर, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-41/2014 अपराध अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं उसके क्रम में प्रस्तुत अनुसंधान परिणाम को निरस्त किए जाने की प्रार्थना याची की ओर से धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस विविध फौजदारी याचिका के जरिए की गई है ।

2. याची संख्या-2/परिवादिया के विद्वान् अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की, जो संलग्न पत्रावली रहे ।

3. बहस सुनी गई । विद्वान् अधिवक्ता याची का कथन रहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र याची संख्या-2/परिवादिया, जो कि घटना के वक्त संबंधित बस में परिचालक के रूप में थी, उक्त बस की याची द्वारा चेकिंग करने पर उसमें सात सवारियां बिना टिकट पाए जाने पर याची संख्या-2/परिवादिया के विरुद्ध मीमो बनाया जाकर कार्यवाही की गई, जिससे नाराज होकर तीव्र

प्रतिवाद के रूप में याची संख्या-2/परिवादिया ने झूठे आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है । उनका कथन रहा कि घटना तारीख 26 मई, 2014 को घटित हुई है तथा उसकी रिपोर्ट तारीख 29 मई, 2014 को दर्ज करवाई गई है, जिससे प्रकट होता है कि परिवादिया ने मात्र अपने कृत्य को छिपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है । योग्य अधिवक्ता याची का यह भी कथन कि पूर्व में अनुसंधान होने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफ. आर. अदम वकू मानकर प्रस्तुत की गई तथा प्रथम अनुसंधान में संबंधित बस के चालक पदमाराम के बयान तारीख 16 जून, 2014 को लिए गए हैं, जिसमें याची के विरुद्ध धारा 345 भारतीय दंड संहिता से संबंधित किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, मात्र याची द्वारा बस चेक करने के पश्चात् परिचालक परिवादिया से स्वचालित टेलर मशीन, जो कि टिकट काटने के क्रम में बस परिचालक को प्रदान की जाती है, मांगने पर नहीं देने का हवाला है । उनका यह भी कथन रहा कि याची द्वारा बस में बिना टिकट सवारियां पाए जाने पर परिवादिया के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है, उस पर दबाव बनाने की नियत से झूठे आरोप लगाते हुए परिवादिया की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है । अतः विविध याचिका स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई ।

4. विद्वान् लोक अभियोजक का कथन कि प्रथम अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामला अदम वकू पाया गया है, लेकिन द्वितीय अनुसंधान के पश्चात् निकाले गए निष्कर्ष के क्रम में नियमानुसार आदेश पारित किए जाने का कथन किया ।

5. विद्वान् अधिवक्ता याची संख्या-2/परिवादिया का कथन कि याची द्वारा बिना यूनीफार्म परिचालक की सीट पर बैठकर परिवादिया की लज्जा भंग करने की बाबत कृत्य किया गया है, जिसके क्रम में परिवादिया के बयान पत्रावली पर हैं । अतः याची द्वारा प्रस्तुत विविध याचिका खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई । अपने तर्क के समर्थन में उनके द्वारा न्यायालय दृष्टांत **धर्मात्मा सिंह** बनाम **हरमिन्दर सिंह और अन्य**[1] वाले मामले को प्रस्तुत किया गया है ।

6. समस्त तथ्यों पर विचार किया गया । केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

7. विद्वान् अधिवक्ता परिवादिया की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्याय

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2094.

दृष्टांत का ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । उक्त न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि दो विरोधाभासी अनुसंधान परिणाम प्राप्त होते हैं तो मात्र उसी स्थिति में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है ।

8. हम उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से ससम्मान सहमत हैं । लेकिन वर्तमान प्रकरण में विरोधाभासी अनुसंधान की तथ्यात्मक स्थिति पत्रावली पर अवश्य है, लेकिन इस क्रम में विरोधाभासी प्रहार करने की तथ्यात्मक स्थिति भी प्रकरण में तीव्र प्रतिवाद के रूप में प्रकट हुई है ।

9. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि घटना के समय तारीख 26 मई, 2014 को परिवादिया संबंधित बस नंबर 0705 में परिचालक के रूप में कार्यरत थी तथा याची का सहायक यातायात निरीक्षक के रूप में बस को चेक करना भी विवादित नहीं है तथा याची द्वारा परिवादिया से बिना टिकट की सवारियों के बाबत पूछे जाने एवं स्वचालित टेलर मशीन मांगे जाने का तथ्य भी विवादित नहीं है तथा याची की ओर से संबंधित बस में सात सवारियां बिना टिकट होने के क्रम में तारीख 26 मई, 2014 को जो मीमो बनाया गया है, वह भी पत्रावली पर है । इस क्रम में बस चालक पदमाराम ने तारीख 16 जून, 2014 को जो बयान प्रथम अनुसंधान अधिकारी को दिए हैं, उन बयानों में भी स्वचालित टेलर मशीन के क्रम में वर्तमान याची द्वारा परिवादिया परिचालक से मांगे जाने एवं इस क्रम में परिवादिया द्वारा सूचना उक्त चालक को देना भी अंकित है । परिवादिया के साथ याची द्वारा लज्जा भंग किए जाने के क्रम में चालक के बयानों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे याची की मंशा सवारियों की टिकट चेक करने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जहां याची ने बिना टिकट की सवारियों की शीट तैयार की हो व उस क्रम में परिवादिया के साथ लज्जा भंग का आशय प्रकट होता हो? प्रथम अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य प्रबंधक, बी. आर. बेड़ा के भी बयान लिए हैं, उक्त गवाह ने भी अपने बयानों में स्वयं के फोन पर तारीख 16 मई, 2014 को उम्मेद सिंह को फोन आना एवं बस नंबर 0705 में बिना टिकट की सवारियां होना तथा स्वचालित टेलर मशीन विमला द्वारा देने से मना करना बताया है तथा उक्त गवाह बेड़ा ने विमला कुमारी से बात करने पर उसे समझाने का कथन किया है । उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि परिवादिया ने उम्मेद सिंह द्वारा छेड़छाड़ की कोई बात नहीं बताई एवं परिवादिया द्वारा बिना टिकट का रिमार्क हटाने का तथ्य प्रकट किया गया ।

10. इसके अतिरिक्त प्रथम अनुसंधान अधिकारी ने जो अनुसंधान परिणाम दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी प्रकार से याची द्वारा परिवादिया के साथ धारा 354 भारतीय दंड संहिता से संबंधित घटना प्रमाणित नहीं हुई है ।

11. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति के क्रम में मूल रूप से जहां बस में चेकिंग के दौरान परिवादिया जिस बस में परिचालक के रूप में कार्य किया जाना बताया गया है, उसमें सात सवारियों का अवैध रूप से बिना टिकट के पाए जाने पर, रिमार्क दस्तावेज बनाया जाना व याची द्वारा परिवादिया से स्वचालित टेलर मशीन की मांग करने पर परिवादिया द्वारा इनकार करने एवं इस संबंध में चालक से वार्ता करने एवं तत्पश्चात् मुख्य प्रबंधक श्री बी. आर. बेड़ा द्वारा परिवादिया को स्वचालित टेलर मशीन के संबंध में उचित निर्देश दिए जाने के पश्चात् जिस सीट पर याची का बैठा होना बताया गया है, उसके पास परिवादिया का आना एवं तत्पश्चात् परिवादिया द्वारा याची के विरुद्ध लज्जा भंग करने के क्रम में जो आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से प्रकट किए गए हैं, उक्त तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **राजीव थापर और** बनाम **मदन लाल कपूर**[1] वाले मामलें में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य उक्त निर्णय से आवरित होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । अतः प्रस्तुत विविध फौजदारी याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है ।

12. परिणामतः याची उम्मेद सिंह की ओर से प्रस्तुत यह विविध फौजदारी याचिका अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-41/2014 पुलिस थाना, महिला थाना नागौर, जिला नागौर एवं उसके क्रम में प्रस्तुत अनुसंधान परिणाम को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है ।

याचिका का निपटारा किया गया ।

मही./आर्य

---

[1] (2003) 3 एस. सी. सी. 330.

देशराज

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 24 फरवरी, 2015

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पी. एस. राणा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 354, 376 और 201 – बलात्संग – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अप्राप्तवय अभियोक्त्री से बलात्संग किया जाना – यदि चिकित्सा अधिकारी के परिसाक्ष्य के अनुसार बलात्संग किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन संदेह का फायदा देकर उन्मुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 341, 511 और 376 – सदोष अवरोध – बलात्संग का प्रयत्न किया जाना जहां अप्राप्तवय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसका सदोष अवरोध करके उससे बलात्संग किए जाने का प्रयत्न किया वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 341, 511 और 376 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को लगभग 5.30 बजे ग्राम हरगातला, जी. पी. थेहार, तहसील और पुलिस थाना नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अभियुक्त ने अभियोक्त्री के घर जाने वाले रास्ते पर उसका सदोष परिरोध किया, जब वह घास लेने के पश्चात् वापस लौट रही थी । अभियोजन पक्ष ने यह भी अभिकथन किया है कि उसी दिन और स्थान पर अभियुक्त ने आपराधिक रूप से अभियोक्त्री का शील भंग करने के उद्‌देश्य से उस पर आपराधिक हमला किया था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उसी दिन उसी स्थान पर अभियोक्त्री के हाथ बांधकर उसकी बिना सहमति के उससे बलपूर्वक बलात्संग किया था और तत्पश्चात् अभियुक्त ने विधिक दंड से बचने के आशय से रस्सी जलाई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने शोरगुल किया और उसके शोरगुल को सुनकर मेहर चन्द घटनास्थल पर पहुंचा और जब अभियुक्त ने

मेहर चन्द को देखा जो अपनी पैंट लेकर घटनास्थल से भाग गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, अभियोक्त्री ने अपने सिर पर जो घास रखी हुई थी उसे उठाने में उसने मदद की और वह भी अभियोक्त्री के घर पर पहुंचा । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपनी माता को बताया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री के पिता अपनी नौकरी के संबंध में बंगलौर में थे और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शाम को दर्ज नहीं की जा सकी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 28 दिसम्बर, 2010 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क दर्ज की गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् अभियोक्त्री को सिविल अस्पताल ले जाया गया था और उसकी चिकित्सा परीक्षा के साथ-साथ एक्स-रे किया गया था इसके पश्चात् अभि. सा. 11, सहायक उपनिरीक्षक राम नाथ अभियोक्त्री के साथ घटनास्थल पर गया और घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11ख तैयार किया गया । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा भी की गई थी और आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू./घ देने के पश्चात् एम. एन. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ई प्राप्त किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी ने पार्सल प्रदर्श पी-3 से प्रदर्श पी-7 में अभियोक्त्री के कपड़े कब्जे में लिए गए थे और उन्हें मुहरबंद पार्सल में मुहरबंद किया गया था । उसके पश्चात्, उन्हें अन्वेषक अधिकारी को सौंप दिया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, अन्वेषक अधिकारी ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय हर-गातला के इंचार्ज अभि. सा. 6 अंचला देवी से अभियोक्त्री का विद्यालय प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क प्राप्त किया और डा. की राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख तथा गाइनोकोलोजिस्ट की राय भी प्राप्त की । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभि. सा. 1 डा. सुषमा ने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की थी तथा एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क जारी किया तथा अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख दी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् पी. डब्ल्यू. 4 डा. आमोद कुमार सिंह गाइनोकोलोजिस्ट ने अभियोक्त्री की

परीक्षा और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क प्रस्तुत की तथा अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 12 जनवरी, 2011 को मोहर्रिर हेड कांस्टेबल, हरनाम सिंह ने डाकेट के साथ 5 पार्सल अभि. सा. 10 हेड कांस्टेबल हरबंस सिंह को सौंपे थे जो पुलिस थाना नूरपुर में तैनात था । उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, धर्मशाला में इन पार्सलों को जमा करना था, उसने इन पार्सलों को जमा करने के पश्चात् प्राप्ति रसीद मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अभि. सा. 8 हरनाम को सौंपी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभि. सा. 12 डा. रमन शर्मा ने अभियोक्त्री की विकिरण आयु रिपोर्ट दी और उसकी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख के अनुसार, अभियोक्त्री की आयु 14 से 16 वर्ष के बीच थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की भी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी और यह पाया गया था कि अभियुक्त मैथुन करने में समर्थ था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, अभि. सा. 5 अजय कुमार, जो न्यायालयिक प्रयोगशाला, धर्मशाला में कार्य करता था, ने बायलोजिकल परीक्षा की थी और एच. एस. सी. हरनाम सिंह के मार्फत तारीख 3 जनवरी, 2001 को न्यायालयिक प्रयोगशाला धर्मशाला में प्राप्त किए गए 5 मुहरबंद पार्सलों का सर्जिकल विश्लेषण भी किया था और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स दी । विचारण न्यायालय ने तारीख 19 जनवरी, 2011 को दंड संहिता की धारा 354, 376 और 201 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में रतन चन्द की परीक्षा की । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 341 और 376 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन गंभीर अपराध में मिला दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा

376 का अपराध वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों में कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री घास लेने के लिए अभियुक्त के पिता के मकान पर गई थी और जब घास लेकर लगभग 5.45 बजे अपराह्न वह रास्ते पर थी तब अभियुक्त देशराज रास्ते पर अभियोक्त्री से मिला और अभियुक्त ने अभियोक्त्री के हाथ पकड़ लिए और अभियोक्त्री को आम के बगीचे की ओर ले गया । अभिलेख पर यह भी साबित है कि अभियोक्त्री की घास जमीन पर गिर गई । अभिलेख पर यह भी साबित है कि इसके पश्चात्, अभियुक्त ने जंगली बेल से अभियोक्त्री के हाथ बांध दिए और इसके पश्चात्, अभियुक्त ने अभियोक्त्री के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इसके पश्चात् अभियोक्त्री को जमीन पर गिरा दिया । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री के सलवार को खोला परन्तु अभियुक्त अभियोक्त्री से बलात्संग का अपराध नहीं कर सका क्योंकि उस स्थान पर मेहरचंद पहुंच गया था । विधि में यह भी सुस्थापित है कि अपराध के किए जाने में चार प्रक्रम सम्मिलित हैं (1) अपराध किए जाने के लिए आशय का विनिश्चय किया जाना (2) अपराध किए जाने के लिए तैयारी किया जाना (3) अपराध किए जाने का प्रयत्न किया जाना (4) अपराध वास्तविक रूप से किया जाना । यह भी सुस्थापित विधि है कि आशय में प्रयत्न विवक्षित है । अभिलेख पर यह भी साबित हुआ है कि घटना के पश्चात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने तत्काल अपनी सौतेली माता को घटना के बारे में बताया और रात्रि की वजह से यह तथ्य भी प्रकट है कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पिता बंगलौर में थे, इसलिए, अगले दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स के अनुसार भी आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला द्वारा मानव रक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सलवार पर उसके लगे होने का पता चला । बलात्संग के प्रयास के संबंध में अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वास योग्य है और जो बात न्यायालय को विश्वास दिलाती है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का उसकी सौतेली माता अभि. सा. 7 श्रीमती मीना देवी द्वारा भी संपुष्टि की गई है । अभि. सा. 7 श्रीमती मीना देवी ने खासतौर पर सकारात्मक रीति में कथन किया है कि जब अप्राप्तवय अभियोक्त्री उसके पास पहुंची तब वह शिथिल अवस्था में थी और रो रही थी । जब उसने अप्राप्तवय अभियोक्त्री से इस बारे में पूछताछ

की कि वह क्यों रो रही है तब अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने यह बताया कि अभियुक्त देशराज जो न्यायालय में मौजूद है, उसने अभियोक्त्री के हाथ पकड़े थे और बलपूर्वक बगीचे की ओर उसे ले गया था । अभि. सा. 7 ने सकारात्मक रीति में विशेष रूप से यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के हाथ जंगली बेल से बांधे थे और अभियुक्त ने अपने हाथ से अभियोक्त्री के मुंह को बंद किया था । अभि. सा. 7 मीना देवी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने यह बताया कि अभियुक्त ने उसके सलवार को खोला । अभि. सा. 7 का परिसाक्ष्य इस प्रभाव का है कि जिससे सत्यता और न्यायालय को विश्वास दिलाने वाला प्रतीत होता है और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभि. सा. 7 मेहरचंद ने अभियोजन पक्षकथन का आंशिक रूप से समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री की घास उसके बगल पर पड़ी हुई थी और वह अपने सिर पर घास रखने के लिए मदद मांग रही थी । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का सम्पूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को इसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और मैथुन से संबंधित छेड़छाड़ के मामलों में विचार करते हुए संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए । उपरोक्त कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयत्न किया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन इस बात को अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 340 के अधीन अपराध अभियुक्त के विरुद्ध साबित भी नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त द्वारा सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया गया था जब वह अभियुक्त के पिता के मकान से घास लेकर लौट रही थी । हमने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.11/ख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हुआ है कि अभियुक्त ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.11/ख में उल्लिखित स्थान पर अप्राप्तवय अभियोक्त्री को सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया था ।

अभिलेख पर यह भी साबित है कि घास अभियोक्त्री की बगल पर पड़ी हुई थी और अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के सलवार पर रक्त का धब्बा लगा हुआ था । अभिलेख पर यह भी साबित है कि मेहरचंद ने अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सिर पर घास उठाकर रखी थी और इसके पश्चात् अभियोक्त्री तत्काल अपने आवासीय मकान पर पहुंची तथा वह शिथिल अवस्था में थी और रो रही थी और उसने मैथुन हमले की सम्पूर्ण घटना के बारे में अपनी सौतेली माता को बताया था । अप्राप्तवय अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य इस प्रभाव का है जिससे विश्वसनीयता प्राप्त होती है और न्यायालय को विश्वास दिलाती है । अप्राप्तवय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की आयु घटना के समय पर 16 वर्ष से अधिक थी और इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाए, इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । हमने अभिलेख पर प्रकट विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । अभिलेख पर प्रकट प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क के अनुसार अप्राप्तवय अभियोक्त्री की जन्म की तारीख 11 मार्च, 1996 है । यह घटना तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटी थी । हमारी यह राय है कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र लोक पदधारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत है । अभियुक्त ने प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क में उल्लिखित जन्म की तारीख का खंडन नहीं किया गया है । यद्यपि अभि. सा. 12 डा. रमन शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट ने यह कथन किया है कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की आयु लगभग 14 वर्ष से 16 वर्ष के बीच थी । अभि. सा. 12 डा. रमन शर्मा ने अभियोक्त्री के कंधा, कोहनी, कलाई, श्रोणि, घुटना और टखने का एक्स-रे किया था । उस बारे में यह कथन कि एक्स-रे फिल्म प्रदर्श एक्स-1 से प्रदर्श एक्स-6 उसके पर्यवेक्षण के अधीन किए गए थे और यह राय व्यक्त की गई है कि दाहिने कंधे की संधि-ए. पी. व्यू का एक्स-रे जिसमें प्रगंडिका के शीर्ष को दिखाया गया है साफ्ट पर उसमें गलन नहीं थी । उन्होंने यह भी कथन किया है कि दाहिनी कोहनी के संधि-ए. पी. और पार्श्व व्यूज का एक्स-रे तथा पार्श्व अधिस्यूलक अस्थि पर गलन हुआ था, मध्य अधिस्यूलक साफ्ट पर गली हुई थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने कलाई की संधि-ए. पी. पार्श्विक व्यूज और हेड आफ रेडियस का साफ्ट पर गलन

हुआ था तथा डेसिटल एंड आफ रेडियस का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कथन किया है कि श्रोणि ए. पी. का व्यूज फेमूर का डेसिटल एंड का आंशिक रूप से साफ्ट का गलन हुआ था तथा ग्रेटर ट्राउचेनिटर का आंशिक रूप से गलन हुआ था। उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने घुटने की संधि-ए. पी. और पार्श्व व्यूज का एक्स-रे लेने पर फेम्युर का डेसिटल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था और टिबिया के प्रोक्सिमल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था और फेबुला का प्रोक्सिमल एंड का भी साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने टखने के संधि की ए. पी. और पार्श्विक व्यूज टिबिया का डेसिटल एंड का भी एक्स-रे से भी यह पता चलता है कि साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था तथा फिबिला का डेसिटल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था। अभि. सा. 12 के परिसाक्ष्य के उपरोक्त कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विश्वसनीय पाई जाते हैं और इनसे न्यायालय को विश्वास मिलता है। अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक यह भी निवेदन किया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा के समय पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई क्षति नहीं पाई गई थी और इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने की वजह से भी अस्वीकार किया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधि में संपुष्टि अपेक्षित नहीं है यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तब अभियुक्त अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर दोषसिद्ध किया जा सकता है। यह भी सुस्थापित विधि है कि बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होना दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य नहीं है। अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह भी निवेदन किया है कि चिकित्सा साक्ष्य संपूर्ण अभियोजन पक्ष को झुठलाता है और इस आधार पर अपील स्वीकार की जाए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने से इसे अस्वीकार किया जाता है। विधि में यह भी सुस्थापित है कि चिकित्सा अधिकारी की राय प्रकृति में सलाह देना जैसा है और चिकित्सा अधिकारी घटना अर्थात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने के प्रयत्न का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री ने दांत काटने का विरोध नहीं किया और अभियुक्त के चेहरे पर कोई खरौंच नहीं लगाए और इसलिए इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल

न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियुक्त ने जमीन पर घास फेंक दी जो अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सिर पर रखी हुई थी और इसके पश्चात् अभियुक्त ने हाथ जंगली रस्सी से बांध दिए थे तथा इसके पश्चात् अभियुक्त ने अप्राप्तवय अभियोक्त्री के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था तथा अप्राप्तवय अभियोक्त्री को जमीन पर गिरा दिया था और उसके पश्चात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री का सलवार खोला । अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह अभियुक्त के चेहरे को दांतों से काटती या अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर खरौंच लगाती । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह भी निवेदन किया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में बड़े विभेद प्रकट हुए हैं जो वर्तमान मामले के गहराई तक जाते हैं तथा इस आधार पर अपील स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण इसे अस्वीकार किया जाता है । हमने संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपर्वूक परिशीलन किया । हमारी यह राय है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों में कोई बड़े विभेद नहीं हैं जो मामले के तह तक जाते हों । विधि में यह भी सुस्थिर है कि अल्प विभेद आते रहते हैं जब अभियोजन साक्षियों के कथन पर्याप्त समय के अंतराल के पश्चात् लेखबद्ध किए जाते हैं । वर्तमान मामले में तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटना घटी थी और अभियोजन साक्षियों के कथन पर्याप्त समय के अंतराल के पश्चात् तारीख 7 मई, 2012, 8 मई, 2012, 9 मई, 2012 और 10 मई, 2012 को अभिलिखित किया गया था । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है और इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से भी इसे अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि घटना तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटी और अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पिता अपने मकान पर उपस्थित नहीं थे और वह बंगलौर में थे और रात्रि की वजह से अप्राप्तवय अभियोक्त्री पुलिस थाने पर नहीं जा सकी जो 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । अगले दिन तत्काल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और हमारी यह राय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब का अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य निवेदन यह किया है कि अभियोजन

साक्षी अत्यन्त हितबद्ध साक्षी है और इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने के कारण इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमारी यह राय है कि सामान्यतः मैथुन मामलों में हमले के अभियोक्त्री अपनी माता और नातेदारों को घटना के बारे में बताया करती है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नातेदार साक्षी हितबद्ध साक्षी के समतुल्य नहीं है । यह भी सुस्थापित विधि है कि दांडिक मामले में एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी उसके विश्वसनीय साक्ष्य होने के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । यह भी सुस्थापित विधि है कि एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या की अवधारणा दांडिक मामलों में लागू नहीं होती है । यह भी सुस्थापित विधि है कि दांडिक न्यायालय इस बात के लिए विधिक बाध्यता के अधीन हैं कि वे निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए और उन्हें केवल अनाज से भूसा नहीं निकालना चाहिए । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं दी गई है और उसे अग्राह्य किया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात्, उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । आर. एफ. एस. एल. धर्मशाला द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन ग्राह्य है । श्री अजय कुमार, अभि. साक्षी 5 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़े हुए और यह कहते हुए उन्होंने रिपोर्ट साबित की कि मानव रक्त अभियोक्त्री की सलवार पर लगा था । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक दूसरा यह निवेदन किया कि अपीलार्थी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न नहीं रखा गया था और इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण उस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमने, विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के समक्ष अपराध में फंसाने वाले सभी प्रश्न रखे गए थे और हमारी यह भी राय है कि अपीलार्थी के विरुद्ध न्याय की कोई अपहानि नहीं हुई है जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया है । क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को यह निदेश दिया था कि उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले सभी सुसंगत साक्ष्य के बारे में

स्पष्टीकरण दें । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया कि अभियुक्त और अप्राप्तवय अभियोक्त्री के माता-पिता के बीच रंजिश थी क्योंकि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के माता-पिता 30 हजार रुपए की राशि का अभियुक्त को संदाय करना था और वर्तमान मामला रंजिश की अवधारणा से फाइल किया गया था, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने से इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमारी यह राय है कि अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष पैसे की वसूली के लिए कोई शिकायत फाइल नहीं की थी या रकम की वसूली के लिए कोई सिविल वाद फाइल किया था । अभिलेख पर यह साबित है कि अभियुक्त के पिता ने घटना के दिन अप्राप्तवय अभियोक्त्री को घास दी थी । हमारी यह राय है कि यदि उनके बीच कोई रंजिश थी तो तब अप्राप्तवय अभियोक्त्री को घास देना अभियुक्त के पिता के लिए संभव नहीं था । जिस घास को वह अभियुक्त के घर से ला रही थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री वयस्क थी और वर्तमान अपील सहमति की कहानी के आधार पर स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । अपीलार्थी ने यह बात साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई अकाट्य सकारात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियोक्त्री घटना के समय पर वयस्क थी और अप्राप्तवय अभियोक्त्री तथा अन्य अभियोजन साक्षियों को सहमति की कहानी के आधार पर कोई सुझाव नहीं दिया गया है । हमारी यह राय है कि अभियुक्त अपील प्रक्रम पर किसी नए मामले को वर्णित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत अपीलार्थी ने अन्यत्र रहने का अभिवाक् किया और यह कथन किया कि वह घटना के स्थान पर मौजूद नहीं था । अन्यत्र रहने का अभिवाक् वर्तमान मामले में, विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया गया है । राज्य की ओर से हाजिर होने वाले अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन युक्तियुक्त संदेह के परे अपराध को साबित किया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । क्योंकि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था और अल्प भगोष्ठ और बृहत भगोष्ठ पर कोई खरौंच या क्षति नहीं थी तथा रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री के कपड़ों पर कोई शुक्राणु और वीर्य नहीं पाया गया था तथा अप्राप्तवय अभियोक्त्री की योनि

में अंगुली की नोक प्रविष्ट कर सकती है । उपरोक्त कथित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपील भागतः मंजूर की जाती है । हम दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय और दंडादेश को अपास्त करते हैं । तथापि, हम दंड संहिता की धारा 341 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दंडादेश की पुष्टि करते हैं और इसके अतिरिक्त, हम दंड संहिता की धारा 511 में साथ पठित धारा 376 में अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हैं और हम अपीलार्थी को 5 वर्ष तक कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने के संदाय करने का दंडादेश देते हैं । हम यह भी निदेश देते हैं कि जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अपीलार्थी एक वर्ष का साधारण कारावास भोगेगा । (पैरा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2007]	(2007) क्रिमिनल ला जर्नल 2302 : **रामकृपाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	12
[2001]	(2001) एस. सी. सी. 247 : **अभियुक्त, राज्य** बनाम **लेखराज और एक अन्य** ;	12
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 30 : **राजस्थान राज्य** बनाम **एन.के.** ;	12
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 384 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य** ;	12
[1992]	(1992) 3 एस. सी. सी. 204 : **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दुबे और एक अन्य** ;	12
[1983]	ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 753 : **भड़वाड़ा भोजनीय भाई हर्जी भाई** बनाम **गुजरात राज्य** ;	15
[1981]	ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1390 : **राजस्थान राज्य** बनाम **श्रीमती कालकी और एक अन्य** ;	20
[1980]	ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 957 : **भीराम** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	20
[1973]	ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 944 : **जोशे** बनाम **केरल राज्य** ;	20

[1971]	ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2505 : **राय सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	20
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 : **मसालती और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	20
[1961]	ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1698 : **अभ्यानंद मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य** ;	12
[1957]	ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614 : **वेदू थेवर** बनाम **मद्रास राज्य** ।	20

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 148.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — श्री चमन नेगी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री बी. एस. परमार, अपर महाधिवक्ता, अशोक चौधरी, अपर महाधिवक्ता, बी. एस. चौहान, अपर महाधिवक्ता और विक्रम ठाकुर, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. एस. राणा ने दिया ।

न्या. राणा – वर्तमान अपील 2011 के सेशन विचारण सं. 12-एन, राज्य बनाम देश राज में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 1, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 14 जनवरी, 2013 को पारित किए गए विनिश्चय में निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है, इस प्रकार है :–

2. यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को लगभग 5.30 बजे ग्राम हरगातला, जी. पी. थेहार, तहसील और पुलिस थाना नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अभियुक्त ने अभियोक्त्री के घर जाने वाले रास्ते पर उसका सदोष परिरोध किया, जब वह घास लेने के पश्चात् वापस लौट रही थी । अभियोजन पक्ष ने यह भी अभिकथन किया है कि उसी दिन और स्थान पर अभियुक्त ने अपराधिक रूप से अभियोक्त्री का शील भंग करने के उद्देश्य से उस पर अपराधिक हमला किया था

तथा अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उसी दिन उसी स्थान पर अभियोक्त्री के हाथ बांधकर उसकी बिना सहमति के उससे बलपूर्वक बलात्संग किया था और तत्पश्चात् अभियुक्त ने विधिक दंड से बचने के आशय से रस्सी जलाई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने शोरगुल किया और उसके शोरगुल को सुनकर मेहर चन्द घटनास्थल पर पहुंचा और जब अभियुक्त ने मेहर चन्द को देखा जो अपनी पैंट लेकर घटनास्थल से भाग गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, अभियोक्त्री ने अपने सिर पर जो घास रखी हुई थी उसे उठाने में उसने मदद की और वह ही अभियोक्त्री के घर पर पहुंचा । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपनी माता को बताया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री के पिता अपनी नौकरी के संबंध में बंगलौर में थे और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शाम को दर्ज नहीं की जा सकी । अभियोजन पक्ष ने यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 28 दिसम्बर, 2010 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क दर्ज की गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् अभियोक्त्री को सिविल अस्पताल ले जाया गया था और उसकी चिकित्सा परीक्षा के साथ-साथ एक्स-रे किया गया था इसके पश्चात् अभि. सा. 11, सहायक उपनिरीक्षक राम नाथ अभियोक्त्री के साथ घटनास्थल पर गया और घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख तैयार किया गया । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा भी की गई थी और आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू./घ देने के पश्चात् एम. एन. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ई प्राप्त किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी ने पार्सल प्रदर्श पी-3 से प्रदर्श पी-7 में अभियोक्त्री के कपड़े कब्जे में लिए गए थे और उन्हें मुहरबंद पार्सल में मुहरबंद किया गया था । उसके पश्चात्, उन्हें अन्वेषक अधिकारी को सौंप दिया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय हरगातला के इंचार्ज अभि. सा. 6 अंचला देवी से अभियोक्त्री का विद्यालय प्रमाणपत्र

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क प्राप्त किया और डा. की राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख तथा गाइनोकोलोजिस्ट की राय भी प्राप्त की । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभि. सा. 1 डा. सुषमा ने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की थी तथा एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क जारी किया तथा अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख दी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् पी. डब्ल्यू. 4 डा. आमोद कुमार सिंह गाइनोकोलोजिस्ट ने अभियोक्त्री की परीक्षा और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क प्रस्तुत की तथा अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 12 जनवरी, 2011 को मोहर्रिर हेड कांस्टेबल, हरनाम सिंह ने डाकेट के साथ 5 पार्सल अभि. सा. 10 हेड कांस्टेबल हरबंस सिंह को सौंपे थे जो पुलिस थाना नूरपुर में तैनात था । उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, धर्मशाला में इन पार्सलों को जमा करना था, उसने इन पार्सलों को जमा करने के पश्चात् प्राप्ति रसीद मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अभि. सा. 8 हरनाम को सौंपी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभि. सा. 12 डा. रमन शर्मा ने अभियोक्त्री की विकिरण आयु रिपोर्ट दी और उसकी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख के अनुसार, अभियोक्त्री की आयु 14 से 16 वर्ष के बीच थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की भी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी और यह पाया गया था कि अभियुक्त मैथुन करने में समर्थ था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात्, अभि. सा. 5 अजय कुमार, जो न्यायालयिक प्रयोगशाला, धर्मशाला में कार्य करता था, ने बायलोजिकल परीक्षा की थी और एच. एस. सी. हरनाम सिंह के मार्फत तारीख 3 जनवरी, 2001 को न्यायालयिक प्रयोगशाला धर्मशाला में प्राप्त किए गए 5 मुहरबंद पार्सलों का सर्जिकल विश्लेषण भी किया था और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स दी ।

3. विचारण न्यायालय ने तारीख 19 जनवरी, 2011 को दंड संहिता की धारा 354, 376 और 201 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में रतन चन्द की परीक्षा की ।

क्रम सं.	**साक्षियों के नाम**
अभि. सा. 1	डा. सुषमा शर्मा
अभि. सा. 2	अभियोक्त्री
अभि. सा. 3	मेहरचंद
अभि. सा. 4	डा. आमोद कुमार
अभि. सा. 5	अजय कुमार
अभि. सा. 6	अर्चना देवी
अभि. सा. 7	वीना देवी
अभि. सा. 8	हरनाम सिंह
अभि. सा. 9	उप अधीक्षक राजीव अत्री
अभि. सा. 10	एच. एस. सी. हरबंश सिंह
अभि. सा. 11	सहायक उपनिरीक्षक रामनाथ
अभि. सा. 12	डा. रमन शर्मा
प्रतिरक्षा सा. 1	रतन चंद

4.1 अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य के भाग को भी पेश किया है ।

क्रम सं.	**विवरण**
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क	अभियोक्त्री की एम. एल. सी.
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख	एम. एल. सी. पर राय
प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/ग	चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क	डाक्टर की राय
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख	घटनास्थल का नक्शा
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ ग	मेहरचंद का कथन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ घ	चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ङ	एम. एल. सी.
प्रदर्श पी. 1	सलवार
प्रदर्श पी. 2	कमीज
प्रदर्श पी. 3 से पी. 7	पार्सल
प्रदर्श पी. एक्स	न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट

5. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 341 और 376 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन गंभीर अपराध में मिला दिया गया । विचारण न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त की दंड की मात्रा पर सुनवाई करने के पश्चात् निम्नलिखित दंडादेश अधिरोपित किया है :–

क्रम सं.	**अपराध**	**अधिरोपित दंड**
I	दंड संहिता की धारा 376	दस वर्ष की अवधि के कठोर कारावास से अभियुक्त व्यक्ति को दंडादिष्ट किया गया था और पचास हजार रुपए (50,000/- रुपए मात्र) के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
II	दंड संहिता की धारा 341	दोषसिद्ध अभियुक्त को एक मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया था तथा पांच

		सौ रुपए (500/- रुपए मात्र) के जुर्माने का संदाय करने के लिए और दोषसिद्ध व्यक्ति को जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 15 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता को सुना और सम्पूर्ण अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

7. वर्तमान अपील में यह प्रश्न उद्‌भूत हुआ है कि क्या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और क्या विचारण न्यायालय ने न्याय की अपहानि की है जैसा कि अपील के आधारों के ज्ञापन में उल्लिखित है ।

अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया मौखिक साक्ष्य :

8.1 अभि. सा. 1 डा. सुषमा शर्मा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जस्सर ने यह कथन किया है कि तारीख 28 दिसंबर, 2010 को वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जस्सर पर तैनात थी और महिला कांस्टेबल अनीता कुमारी अभियोक्त्री को लाई थी जिसकी चिकित्सा परीक्षा में चौदह वर्ष आयु लिखी हुई थी । उसने यह कथन किया कि परीक्षा करने पर उसने यह पाया कि उसकी चाल-ढाल सामान्य थी और होशो-हवास में थी । उसने यह भी कथन किया कि पल्स रेट प्रति मिनट 72 थे और ब्लड प्रेशर 110/80 था । उसने यह भी कथन किया है कि जघनास्थि और उसके सहायक बाल मौजूद थे तथा स्तन बढ़े हुए थे और गाल, गर्दन, स्तन, उदर तथा जांघ के आंतरिक भाग पर कोई संवेदनशील क्षति का कोई चिह्न नहीं देखा गया । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री अपने तीनों भाई और बहन में सबसे बड़ी थी और उसने पांचवीं कक्षा तक अध्ययन किया था तथा एक वर्ष पूर्व विद्यालय छोड़ दिया था । उसने यह भी कथन किया कि कोई रजोधर्म प्रारंभ नहीं हुआ था जब उसके द्वारा अभियोक्त्री की परीक्षा की गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री के अनुसार वह घास एकत्रित करने के पश्चात् घर वापस आ रही थी जब वह वापस अपने रास्ते पर आ

रही थी तब तारीख 27 दिसंबर, 2010 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न अभियुक्त जो विवाहित व्यक्ति था, ने उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने जननांग के बाहरी ओर कोई क्षति नहीं देखी थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री की योनि में एक उंगली प्रविष्ट हो सकती थी और किसी तरह का रक्त मौजूद नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री को गाइनोकोलोजिकल परीक्षा तथा योनिच्छद की प्रास्थिति के बारे में विशेषज्ञ की राय लेने के लिए गाइनोकोलोजिस्ट, सिविल अस्पताल, नूरपुर भेजा गया । उसने यह कथन किया है कि एनल स्राव और योनिक स्राव एकत्रित किए गए थे और उनकी स्लाइड भी तैयार की गई थी । जघनास्थि के बाल भी एकत्रित किए गए और उन्हें आरक्षित रखा गया था और उन्हें मोहरबंद करके पुलिस को सौंपा गया था जो विश्लेषक, न्यायालयिक प्रयोगशाला, धर्मशाला के पास रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । उसने यह कथन किया कि पीड़िता की माता के अनुसार अभियोक्त्री द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे, वे फटे हुए थे और जिन्हें उसकी माता द्वारा धोया गया था । उसने यह कथन किया है कि शायद उपनिरीक्षक रामलाल ने कपड़ों को एकत्रित करने की सलाह दी तथा अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण करने के लिए एक्स-रे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया था । उसने यह कथन किया कि धब्बे सलवार के सामने और पीछे मौजूद पाए गए थे । उसने यह कथन किया कि उसने एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क) जारी की और उस पर उसके हस्ताक्षर कराए । उसने यह भी कथन किया कि रेडियोलाजिकल राय के अनुसार अभियोक्त्री की आयु लगभग 14 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से नीचे थी । उसने यह कथन किया कि रसायन परीक्षक की राय के अनुसार वीर्य का पता लगा था और जिन दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए थे । उसने यह कथन किया कि गाइनोकोलोजिस्ट की राय को तथा रसायन विश्लेषक की राय को ध्यान में रखते हुए बलात्संग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और यह भी कथन किया कि उसकी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख है । उसने यह कथन किया कि चिकित्सा परीक्षा के लिए अनुरोध किया जाने वाला आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग है और उसने न्यायालय में मौजूद अभियोक्त्री की पहचान की । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियोक्त्री की परीक्षा पी./वी. के अनुसार भी उसे मैथुन का अभ्यस्त पाया गया था । उसने यह कथन किया है कि परीक्षा के समय पर अभियोक्त्री की कलाई पर रस्सी बांधे जाने का कोई चिह्न नहीं था । उसने यह कथन किया कि शिश्न के स्पर्श होने से ही बलात्संग किया जाना गठित होता है । उसने यह कथन किया कि बलपूर्वक

मैथुन के मामले में शरीर पर क्षति के चिह्नों की संभावना होती है ।

8.2 अभि. सा. 2 अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि उसके तीन भाई और बहनें हैं और उसने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी । उसने यह कथन किया कि तारीख 27 दिसंबर, 2010 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह घास एकत्रित करने के लिए रतन चंद के मकान पर गई थी और लगभग 5.45 बजे अपराह्न वह घास के साथ वापस आई और तब अभियुक्त उसे रास्ते में मिला था । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे आम के बगीचे की ओर ले गया और उसने उस जगह की घास पर उसे गिरा दिया । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त ने जंगली वल्लरी से उसके हाथ बांध दिए और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया तथा उसे जमीन पर गिरा दिया । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया । उसने यह कथन किया है कि जब वह चिल्लाई तब अभियुक्त ने पुनः उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसके गले को दबाया और इस वजह से वह पुनः चिल्लाई थी । उसने यह कथन किया है कि उसकी चीख-पुकार को सुनकर मेहरचंद उसके पास पहुंचा और मेहरचंद को देखकर अभियुक्त अपनी पेंट पहनकर घटनास्थल से भाग गया । उसने यह कथन किया कि उसके पश्चात् मेहरचंद ने उसके सिर पर घास को रखा और उसके मकान पर पहुंचा । घर पहुंचने पर उसने अपनी माता को घटना के बारे में बताया । उसने यह कथन किया है कि उसके पिता बंगलौर में नौकरी करते हैं इसलिए वह शाम को रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 28 दिसंबर, 2010 को वह मामले की रिपोर्ट करने के लिए अपनी माता के साथ पुलिस थाने पर गई । उसने यह भी कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर चिह्न "क" डाला गया है । उसने आगे यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् पुलिस पदधारी उसे नजदीक के अस्पताल ले गए थे और उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई और एक्स-रे भी लिया गया । उसने आगे यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर चली गई और उसने अन्वेषण अभिकरण को घटना के स्थान के बारे में बताया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उसी के गांव का है और अभियुक्त का मकान उसके मकान से कुछ दूरी पर स्थित है । उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरा विवाह किया है । उसने यह भी कथन किया है कि पिता बंगलौर में काम करते हैं और उसके पिता और अभियुक्त एक साथ बंगलौर में रहा करते हैं । उसने आगे यह भी कथन

किया कि बंगलौर पर अभियुक्त जो कुछ भी कमाता है वह उसके पिता को दिया करता है । उसने स्वयं यह कथन किया कि उसके पिता द्वारा घर लौटने पर उक्त पैसा दिया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने अभियुक्त से यह कहा था कि उसकी माता से पैसा ले लें । उसने स्वयं यह भी कथन किया है कि उसकी माता ने अभियुक्त को उक्त राशि दे दी थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी माता ने अभियुक्त को प्रत्यक्ष रूप से उक्त रकम नहीं दी थी क्योंकि अभियुक्त के माता-पिता ने अभियुक्त को पैसा देने से इनकार किया था क्योंकि अभियुक्त शराब पीने में उक्त पैसे को खर्च कर देता था । इसके पश्चात्, उक्त पैसा अभियुक्त के माता-पिता को दिया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि जब कभी अभियुक्त उसकी माता के पास पैसे लेने के लिए आया करता तब उसकी माता उसे मिथ्या मामले में फंसाने के लिए धमकाती थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अपनी माता के सभी आदेशों को मानने से इनकार किया करती थी । उसने स्वयं यह कथन किया कि वह अपनी माता के गलत आदेशों का पालन नहीं करती थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त देशराज ने उसे उसकी भुजाओं से पकड़ा नहीं था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने न्यायालय में जो कुछ भी अभिसाक्ष्य दिया है वह उसकी माता के दिए गए निदेशों के अनुसार है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियुक्त देशराज ने उसके साथ बलात्संग नहीं किया है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि घटना के स्थान पर लगभग 5.45 बजे अपराह्न अंधेरा था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रही है ।

8.3 अभि. सा. 3 मेहरचंद ने यह कथन किया है कि उसका मकान थेहर पर स्थित है और अभियुक्त उसके गांव का है । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री उसे भी जानती थी क्योंकि वह उसके गांव का निवासी है । उसने यह कथन किया कि तारीख 27 दिसंबर, 2010 को पंचायत चुनाव रखे गए थे और लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह अपना मजदूरी का कार्य करने के पश्चात् अपने घर वापस लौट रहा था । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री पार्क की ओर खड़ी थी तथा उसके बगल घास पड़ी हुई थी । उसने यह कथन किया कि उसने अभियोक्त्री के सिर पर घास रखने में उसकी मदद की थी और इसके पश्चात् अभियोक्त्री चली गई थी । उसने यह कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर किसी व्यक्ति को नहीं देखा । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके अभियुक्त के पिता के साथ अच्छे संबंध रहे

हैं । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अभियुक्त के मकान में लकड़ी का काम किया था । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त विवाहित व्यक्ति है और उसका एक पुत्र है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त के माता-पिता और पत्नी उसके पास आए और उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में अभिसाक्ष्य देने के लिए उससे अनुरोध किया । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जब वह घटनास्थल से गुजर रहा था तब उसने उद्यान से कुछ शोर-गुल सुना था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसने अभियुक्त देशराज को अपनी पेंट पहनने के पश्चात् घटनास्थल से भागते हुए देखा था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने सम्पूर्ण घटना के बारे में अभियोक्त्री को अपनी माता को बताने की सलाह दी थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसने अभियुक्त को बचाने के लिए मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जब उसने अभियोक्त्री से पूछताछ की तब अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर उससे बलात्संग किया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त भिन्न जाति का है और वह भिन्न जाति से संबंधित है तथा यह भी कथन किया कि अभियुक्त का मकान उसके मकान से दो किलोमीटर पर स्थित है । उसने यह कथन किया कि सुयाली और थेहर के बीच नाला है ।

8.4 अभि. सा. 4 डा. आमोद कुमार सिंह ने यह कथन किया है कि वह सितंबर, 2009 से सिविल अस्पताल, नूरपुर पर गाइनोकोलोजिस्ट के पद पर तैनात है और उसने डा. सुषमा शर्मा की सिफारिश पर योनिच्छद की प्रास्थिति के बारे में तारीख 28 दिसंबर, 2010 को चार बजे अपराह्न अभियोक्त्री की परीक्षा की और उसकी आयु 14 वर्ष पाई । उसने यह कथन किया है कि परीक्षा करने पर उसने निम्नलिखित मत व्यक्त किया । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री अविवाहित थी और अब तक उसका रजोदर्शन नहीं हुआ है । उसने यह कथन किया है कि उसके सहायक बाल जघनास्थि बाल बढ़ रहे थे और स्तन बढ़े हुए थे । उसने यह कथन किया कि उसके जननांग पर कोई ताजी बाहरी क्षति नहीं देखी गई । उसने यह कथन किया कि योनिच्छद फटा हुआ नहीं था और उसने यह भी कथन किया कि योनिच्छद में उंगली की नोक प्रविष्ट होती है । उसने यह कथन किया कि उसने योनिच्छद या भंगाजलि पर कोई नील या खरौंच नहीं देखी गई है । उसने यह कथन किया कि हल्का स्खलन मौजूद था । उसने यह भी कथन किया कि गर्भधारण के परीक्षण के लिए पेशाब ली गई थी, वह नकारात्मक

थी । उसने यह कथन किया कि योनिच्छद में कोई क्षति नहीं देखी गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क पर दी है जो उसके हाथ में और जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं । उसने यह कथन किया कि हाइमन पर मैथुन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । उसने यह कथन किया कि उसकी रिपोर्ट से यह इंगित होता है कि शिश्न योनिच्छद पर नहीं गया था । उसने यह कथन किया कि शरीर पर मात्र शिश्न के स्पर्श का कोई चिह्न मौजूद नहीं हो सकता है और इसलिए उसने ऐसा कोई चिह्न नहीं देखा था ।

8.5 अभि. सा. 5 अजय कुमार सहगल ने यह कथन किया है कि वह अक्तूबर, 2010 से आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला पर कार्य कर रहा था और उसने एक हजार से अधिक मामलों की परीक्षा की थी और अपनी राय दी थी । उसने यह कथन किया है कि तारीख 3 जनवरी, 2011 को पांच मोहरबंद पार्सल एच. एस. सी. हरबंस सिंह की मार्फत, जो मोहर "एन" की छाप से मोहरबंध थे, आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला पर प्राप्त की गई थी । उसने यह कथन किया है कि मोहरें यथावत थीं और मोहर की तुलना करने पर वह एक ही पाई गई थी । उसने यह कथन किया है कि जैविक और सेरोलोजिकल विश्लेषण के आधार पर उसने रिपोर्ट पेश की । उसने यह कथन किया है कि मानव रक्त प्रदर्श 1(क) का अभियोक्त्री के सलवार पर पता चला था और इस प्रदर्श पर वीर्य का पता नहीं लग पाया था । उसने यह भी कथन किया है कि वीर्य प्रदर्श 1(ख) (अभियोक्त्री की कमीज), प्रदर्श 2(क) (अभियोक्त्री के जघनास्थि के बाल), प्रदर्श 2(ख) (अभियोक्त्री की योनिक स्लाइड), प्रदर्श 3(क) (अभियोक्त्री के गुदा स्राव), प्रदर्श 3(ख) (अभियोक्त्री का योनिक स्राव), प्रदर्श 4 (अभियुक्त का जांघिया) और प्रदर्श 5 (अभियुक्त के जघनास्थि के बाल) पर पता नहीं लगा था । उन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स तैयार की जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । उन्होंने यह भी कथन किया है कि रक्त का बेंजेड्रिन टेस्ट करने पर क्रोच एरिया में रक्त का पता लगा था और मानव रक्त का पता चला था परन्तु वे यह नहीं कह सकते हैं कि किसका रक्त था ।

8.6 अभि. सा. 6 अंचला देवी ने यह कथन किया है कि वह तारीख 19 अप्रैल, 2010 से जे. बी. टी. अध्यापक के पद पर सरकारी प्राइमरी स्कूल हार गाटला पर तैनात थी और वह मूल विद्यालय दाखिला और छोड़ने का रजिस्टर लाई है । उसने यह भी कथन किया है कि मूल प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क को देखा है जो मूल दस्तावेजों के अनुसार

सही है और इस प्रमाणपत्र के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म की तारीख दिनांक 11 मार्च, 1996 है । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री ने सरकारी प्राइमरी स्कूल, मनाली, जिला कुल्लू द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर तीसरी कक्षा में दाखिला लिया था ।

8.7 अभि. सा. 7 मीना देवी ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री है और उसका पति बंगलौर में कार्य कर रहा है । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री ने पांचवीं कक्षा तक अध्ययन किया है । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 27 दिसंबर, 2010 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न उसने अभियोक्त्री को घास लाने के लिए रतन चंद के मकान पर भेजा था । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री लगभग 6 बजे अपराह्न घास लेकर वापस लौटी । उसने यह भी कथन किया है कि उस समय अभियोक्त्री शिथिल पड़ी हुई थी और रो रही थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने इस बारे में अपनी पुत्री से पूछा कि वह क्यों रो रही है । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके हाथ पकड़े थे और उसे उद्यान की ओर ले गया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया कि अभियुक्त ने जंगली रस्सी से उसके हाथों को बांधा था और उसके गले को दबाया भी था तथा अपना हाथ अभियोक्त्री के मुंह पर रख दिया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री ने यह भी बताया कि अभियुक्त ने उसका सलवार खोला था और उसने उसके योनि में अपना शिश्न रखा था । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री ने यह भी बताया कि वह चीखी-चिल्लाई थी और उसी समय मेहरचंद उस रास्ते से गुजर रहा था । इसके साथ ही साथ उसने यह भी कथन किया कि जब अभियुक्त ने मेहरचंद को देखा तो अभियुक्त अपनी पेंट पहनकर घटनास्थल से चला गया । उसने यह भी कथन किया कि घटना की रिपोर्ट उसी दिन दर्ज नहीं की गई थी क्योंकि उसका पति वहां पर नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि उसने अगले दिन तारीख 28 दिसंबर, 2010 को पुलिस थाना नूरपुर पर घटना की रिपोर्ट दर्ज की । उसने यह भी कहा कि उसकी बहन और अभियोक्त्री उसके साथ पुलिस थाने गए थे । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अभियोक्त्री का चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी और उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसके पश्चात् अभियोक्त्री ने घटना के स्थान के बारे में बताया था और अन्वेषण अभिकरण को अपनी सलवार और कमीज सौंपी थी जिसे मुहरबंद किया गया था । इसके अतिरिक्त, उसने यह

भी कथन किया कि सलवार प्रदर्श पी. 1 और कमीज प्रदर्श पी. 2 एक ही हैं जो घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहनी हुई थीं । उसके द्वारा आगे यह भी कथन किया गया कि उस समय सलवार पर रक्त का धब्बा लगा हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि घटना के समय पर उसकी पुत्री की आयु 14 वर्ष थी । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि लोकिन्द्र सिंह अभियोक्त्री का पिता है और वह पिछले 2-3 वर्षों से बंगलौर में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त देशराज उसे भी जानता है । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त बंगलौर में श्रमिक के रूप में कार्य किया करता था और उस समय यह कथन किया कि अभियुक्त के माता-पिता ने उसके पिता से यह अनुरोध किया था कि वह अभियुक्त को बंगलौर ले जाएं क्योंकि अभियुक्त यहां रहकर शराब पिया करता है । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उसके पति के साथ बंगलौर रहा । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके पति को पैसा भी दिया करता था जिसे उसके पति द्वारा रखा गया है । इसके अतिरिक्त उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति ने देशराज अभियुक्त को कुछ पैसे भी दिए जो लगभग 12,000/- रुपए थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह रकम लगभग 30,000/- रुपए थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त पैसा लेने के लिए उसके मकान पर पहुंचा परन्तु उसने वह रकम उसे नहीं दी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त द्वारा कमाई गई रकम उसके कब्जे में थी । उसने स्वयं यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त के पिता को उक्त पैसे को दे दिया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त उसके मकान में उक्त पैसे को लेने पहुंचा तो अभियुक्त ने उससे कहा कि वह पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा और इस सुझाव से भी इनकार किया गया कि इसके पश्चात् उसने अभियुक्त से कहा कि वह अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाने पर मिथ्या रिपोर्ट पेश करेगी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अप्राप्तवय पुत्री उसकी सौतेली पुत्री है और अभियोक्त्री के पिता से विवाह होने के समय पर उसकी आयु 7 वर्ष थी । इसके अतिरिक्त उसने यह कथन किया है कि उस समय अभियोक्त्री कक्षा पांच में पढ़ रही थी । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि उसका विवाह वर्ष 2009 में हुआ था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियोक्त्री की आयु आज लगभग 18 वर्ष है । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने कोर्ट मैरिज की थी । इसके अतिरिक्त,

उसने यह भी कथन किया कि वर्तमान विवाह से उसका एक पुत्र हुआ था जो पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि कोई घटना नहीं घटी । इसके अतिरिक्त, उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है ।

8.8 अभि. सा. 8 हैड कांस्टेबल हरनाम सिंह ने यह कथन किया है कि वह जून, 2009 से जून, 2011 तक पुलिस थाना नूरपुर में मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पद पर रहा और वह मूल मालखाना रजिस्टर सं. 19 को लाया है । इसके अतिरिक्त उसने यह भी कथन किया कि तारीख 10 दिसंबर, 2010 को अन्वेषक अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक रामनाथ ने अभियोक्त्री के कपड़ों का एक पार्सल, अभियुक्त की जांघिया का एक दूसरा पार्सल, अभियोक्त्री के जघनास्थि के बाल तथा अभियुक्त के जघनास्थि के बाल की एक छोटी बोतल जमा की थी । उसने यह भी कथन किया कि अन्वेषक अधिकारी ने एक लिफाफा भी जमा किया था जिसमें आर. एफ. एस. एल. को संबोधित किया गया था और तारीख 2 जनवरी, 2011 को उपरोक्त उक्त नमूने डाकेट और एच. एस. सी. हरबंस सिंह के माध्यम से नमूना मोहर आर. सी. सं. 1/2011 भी आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला भेजे गए । उसने यह कथन किया कि उसकी अभिरक्षा में वाद संपत्ति यथावत रही और इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि वापसी पर एच. एस. सी. ने उसके पास रसीद जमा की थी और वह मूल आर. सी. लाया है । उसने यह भी कथन किया कि प्रदर्श पी. 3 से प्रदर्श पी. 7 पार्सल हैं । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को उसके पास पार्सल जमा किए गए थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 28 दिसंबर, 2010 को उसके पास पार्सल जमा किए थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अन्वेषक अधिकारी ने उसी दिन कथन अभिलिखित किए थे जब पार्सल उसके पास जमा किए गए थे ।

8.9 अभि. सा. 9 उप पुलिस अधीक्षक राजीव अत्री ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2010-2011 में पुलिस थाना नूरपुर में थाना भारसाधक अधिकारी के पद पर रहा था और उसने इस मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् चालान तैयार किया जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था ।

8.10 अभि. सा. 10 एच. एस. सी. हरबंस सिंह ने यह कथन किया है कि वह सामान्य ड्यूटी पर वर्ष 2006 से 2011 तक पुलिस थाना नूरपुर पर एच. एस. सी. के पद पर तैनात रहा और तारीख 2 जनवरी, 2011 को मुहर्रिर हैड कांस्टेबल हरनाम सिंह ने आर. सी. सं. 1/2011 के माध्यम से

आर. एफ. एस. एल. धर्मशाला में डाकेट के साथ पांच पार्सल तथा नमूना मुहर जमा करने के लिए उसे सौंपे थे जिन्हें उसने उसी दिन वहां पर जमा कर दिया था । उसने यह कथन किया है कि वापसी पर उसने मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास प्राप्ति रसीद जमा कर दी और वाद संपत्ति उसकी अभिरक्षा में यथावत रही ।

8.11 अभि. सा. 11 सहायक उपनिरीक्षक रामनाथ ने यह कथन किया है कि वह 2009 से फरवरी, 2012 तक पुलिस थाना नूरपुर में सहायक उपनिरीक्षक/अन्वेषक अधिकारी के पद पर तैनात रहा है और तारीख 28 दिसम्बर, 2010 को अभियोक्त्री अपनी माता और चाची के साथ पुलिस थाने पर आई । उसने यह भी कथन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित किया गया था । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी अभिकथन किया है कि कथन पर प्रदर्श 11/क डाला गया है । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षा की गई थी । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि वे घटनास्थल पर गए और अभियोक्त्री ने उन्हें घटना का स्थान दिखाया था और उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख तैयार किया तथा इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया कि टिप्पणों के किनारे पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है । उसने यह कथन किया कि उसने साक्षियों के अभिकथन अभिलिखित किए । इसके अतिरिक्त उसने यह भी कथन किया कि मेहर चंद का कथन उसके वृत्तांत के अनुसार अभिलिखित किया गया था और उसने अपनी ओर से कोई उसमें जुड़ाव या विलोपन नहीं किया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे अन्वेषण में सहबद्ध किया गया । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षा भी की गई थी और उसने आवेदन भी प्रस्तुत किया था तथा अभियुक्त की एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/घ प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि उसने अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ग भी प्रस्तुत किया था । उसने यह भी कथन किया कि चिकित्सा अधिकारी ने अभियोक्त्री के कपड़ों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें पार्सल और मुहरबंद किया तथा उसके पास उन्हें सौंप दिया गया । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि पार्सल प्रदर्श पी. 3 से प्रदर्श पी. 7 एक ही है । उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि लिपिकीय गलती के वजह से पार्सलों पर 28

दिसम्बर, 2010 के बजाय तारीख 31 दिसम्बर, 2010 का उल्लेख किया गया है । उसने आगे यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री का विद्यालय प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क प्राप्त किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि रसायनिक रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी की राय प्रदर्श पी. एक्स प्राप्त की गई थी । आगे उसने यह कथन किया कि उसने गायनोकोलोजिस्ट की राय भी प्राप्त की और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् थाना भारसाधक अधिकारी राजीव अत्री को फाइल सौंपी गई थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि कपड़े प्रदर्श पी. 1 और प्रदर्श पी. 2 चिकित्सा परीक्षा के समय अभियोक्त्री द्वारा नहीं पहने गए थे । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क अभियोक्त्री से संबंधित नहीं है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने तारीख 28 दिसम्बर, 2010 को मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास उक्त पार्सल सौंप दिए थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अभियोजन साक्षियों के कथन उनके वृत्तांत के अनुसार अभिलिखित किए हैं । आगे उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसने अभियोक्त्री के माता के कहने पर अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला तैयार किया है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त निर्दोष है ।

8.12 अभि. सा. 12 डा. रमण शर्मा रेडियोलॉजिस्ट ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2001 से सिविल अस्पताल नूरपुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात है । उसने आगे यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री का कंधा, कोहनी, कलाई, कोख, घुटने और टखने ए. पी. का एक्स-रे करने के लिए डा. शर्मा से एक्स-रे फार्म प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क प्राप्त किया था और आगे यह भी कथन किया है कि एक्स-रे फिल्म प्रदर्श एक्स-1 से प्रदर्श एक्स-6 अपने पर्यवेक्षण के अधीन लिए थे और यह राय व्यक्त की है कि एक्स-रे में दाहिने कंधे की संधि-ए. पी. दिखाई गई है । प्रगंडिका का सिरा साफ्ट पर गली हुई नहीं थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने कोहनी संधि-ए. पी. और पार्श्विक दृश्य और पार्श्विक अधिस्थुलक कुंडक अस्थि पर गली हुई थी, मध्य अधिस्थुलक साफ्ट पर गली हुई थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने कलाई संधि-ए. पी. पार्श्विक दृश्य, रेडियस ऑफ हेड साफ्ट पर गली हुई थी और रेडियस का डिसिटल एंड साफ्ट पर गला हुआ नहीं था । उन्होंने यह भी कथन किया कि फिबुला का डिसिटल एंड का एक्स-रे श्रोणि ए. पी. दृश्य साफ्ट पर

आंशिक रूप से गली हुई थी और वृहत्तर शिखरक आंशिक रूप से गला हुआ था । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने घुटने की संधि-ए. पी. और पार्श्विक दृश्य, फिबुला का डिसिटल एंड साफ्ट पर गला हुआ नहीं था और टिबिया का प्रोक्सिमल एंड साफ्ट पर गला हुआ नहीं था और फिबुला का प्रोक्सिमल एंड साफ्ट पर गला हुआ नहीं था । उन्होंने यह कथन किया कि दाहिना टखना संधि-ए. पी. और टिबिया का डिसिटल एंड का पार्श्विक दृश्य साफ्ट पर गला हुआ नहीं था और फिबुला का डिसिटल एंड साफ्ट पर गला हुआ नहीं था । उन्होंने यह भी कथन किया कि उनकी राय यह है कि अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल आयु लगभग 14 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से नीचे है और इस बारे में उनकी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख है । उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने न्यायालय में मौजूद अभियुक्त की परीक्षा की । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त होशो-हवाश में था और उसकी नब्ज 82 प्रति मिनट थी और ब्लड प्रेशर 124/80 एमएम/जी था । उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त शारीरिक रूप से पुष्ट था और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का था और उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियुक्त पिछले पांच वर्ष से विवाहित व्यक्ति था और उसका पुत्र था । उन्होंने यह भी कथन किया कि उसके जघनास्थि के बाल मौजूद थे शिश्न पूर्ण विकसित था और जघनास्थि के बाल उलटे थे तथा उसे रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । आगे उन्होंने यह भी कथन किया कि जघनास्थि के बाल और शिश्न में कोई धब्बा मौजूद नहीं था और शिश्न में शिश्नमल नहीं था । आगे उन्होंने यह भी कथन किया कि जांघिया पर भी कोई धब्बे मौजूद नहीं थे तथा अभियुक्त की शरीर पर या जननांग क्षेत्र पर कोई क्षति नहीं देखी गई थी । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियुक्त मैथुन करने में समर्थ था । उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि कोई मैथुन नहीं किया गया था क्योंकि अभियुक्त के शरीर के शिश्न या जननांग क्षेत्र पर कोई क्षति नहीं थी । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यदि बलपूर्वक मैथुन किया गया होता तो अभियुक्त तथा अभियोक्त्री के शरीर पर क्षति की संभावना होती । उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि एम. एल. सी. के अनुसार अभियुक्त के शिश्न या जननांग क्षेत्र पर कोई क्षति नहीं थी । उन्होंने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उन्होंने गलत सिद्धांत के आधार पर अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किया था ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन

अभिलिखित किया गया था । उसने यह कथन किया कि उसने और अभियोक्त्री के पिता ने बंगलौर में एक साथ कार्य किया था और उसने तीस हजार रुपए अभियोक्त्री के पिता को दिए थे । आगे उसने यह भी कथन किया कि जब उसने उक्त पैसे की मांग की तब अभियोक्त्री के पिता ने उसे देने से इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त उसने यह भी कथन किया है कि उक्त रकम को मांगने पर उसके विरुद्ध मिथ्या आपराधिक मामला फाइल कर दिया गया । उसने यह भी कथन किया है कि वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी को पेश किया है ।

अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पेश किया गया प्रतिरक्षा साक्षी :

10. प्रतिरक्षा साक्षी 1 रतन चंद ने यह कथन किया है कि वह श्रमिक के रूप में कार्य करता है और अभियुक्त उसका पुत्र है । उसने यह भी कथन किया है कि उसके दो पुत्रों का विवाह हुआ है और अभियुक्त भी श्रमिक के रूप में कार्यरत है । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया कि अभियुक्त जो न्यायालय में उपस्थित है, वर्ष 2009 में अभियोक्त्री के पिता लोकिन्द्र के साथ अपने रोजगार के लिए बंगलौर गया था । आगे उसने यह कथन किया कि उसके पुत्र ने लगभग छह मास तक बंगलौर में श्रमिक के रूप में कार्य किया और लगभग तीस हजार रुपए कमाए थे । आगे उसने यह कथन किया कि उसके पुत्र ने सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उक्त रकम लोकिन्द्र को दे दी थी और वे दोनों अपने ग्राम में वापस लौट आए । आगे उसने यह कथन किया कि इसके पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने उक्त रकम उसके पुत्र को वापस नहीं लौटाई और अभियोक्त्री के पिता लोकिन्द्र पुनः बंगलौर चले गए और यह कहा कि उनकी पत्नी से वह उक्त रकम को ले ले जो उसी ग्राम में रहती थी । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपने पुत्र को ग्राम गाटला पर लोकिन्द्र के मकान पर भेजा था । आगे उसने यह कथन किया है कि लोकिन्द्र की पत्नी ने उससे यह कहा कि उसको बार-बार उसके मकान पर नहीं आना चाहिए अन्यथा अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल करेगी । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कथन किया कि अभी तक लोकिन्द्र और उसकी पत्नी ने अभियुक्त को तीस हजार रुपए नहीं लौटाए और आगे यह कथन किया कि उपरोक्त उक्त कारणों से परिवादी दल ने उसके पुत्र के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को उसका

पुत्र ग्राम गाटला में मौजूद था । आगे उसने यह कथन किया कि वह इस बात को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका कि अभियुक्त ने बंगलौर में तीस हजार रुपए कमाए थे । उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह इस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि उसने लोकिन्द्र सिंह को उक्त रकम सौंपी थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि घटना के पश्चात् उसका पुत्र गायब हो गया था । आगे उसने यह कथन किया कि उसने लिखित में कोई शिकायत पेश नहीं की । आगे उसने यह कथन किया कि उसने पंचायत थेहर के पंचायत सदस्य देव सिंह को सूचित किया था । आगे उसने यह भी कथन किया कि उसके पुत्र ने पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की और तीस हजार रुपए बरामदगी के लिए पंचायत में भी कोई शिकायत फाइल नहीं की थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अपने पुत्र को बचाने के लिए मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है । आगे उसने यह कथन किया कि अभि. सा. 3 मेहरचंद उसकी पंचायत से है ।

11. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर साबित नहीं हुआ है और जिस बात को इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर स्वीकार किया गया है । अभि. सा. 4 डा. आमोद कुमार के परिसाक्ष्य के अनुसार अभियोक्त्री के जननांग क्षेत्र पर कोई बाहरी क्षति नहीं पाई गई थी तथा योनिच्छद में कोई फटाव नहीं हुआ था और योनिच्छद में उंगली का नोक प्रविष्ट हो सकता है । अभि. सा. 4 ने सकारात्मक रीति में यह भी कथन किया है कि योनिच्छद पर कोई नील या खरौंच नहीं देखी गई थी । अभि. सा. 1 डा. सुषमा शर्मा के परिसाक्ष्य के अनुसार अभियोक्त्री के जननांग पर कोई बाहरी क्षति नहीं देखी गई थी । उसने सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि कोई रक्त या रक्त का बहाव उसके शरीर पर मौजूद नहीं था । अभि. सा. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री के योनि में कोई वीर्य नहीं पाया गया था । यह बात सही है कि बलात्संग की परिभाषा जैसाकि दंड संहिता की धारा 375 के अधीन परिभाषित है, उसे 3 फरवरी, 2013 से परिवर्तित किया गया है । हमारी यह राय है कि तारीख 3 फरवरी, 2013 से बलात्संग की परिभाषा में संशोधन किया गया है जो प्रकृति में प्रत्याशित है न कि प्रकृति में भूतलक्षी । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपराध हिमाचल प्रदेश के ग्राम गाटला, जी. पी. थेहर, तहसील और पुलिस थाना नूरपुर, जिला कांगड़ा में तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को 5.30

बजे अपराह्न हुआ था । हमारी यह राय है कि बलात्संग की नवीनतम परिभाषा वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में बलात्संग की परिभाषा में संशोधन के पूर्व यह घटना घटी है । चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार वृहत् भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी और अभियोक्त्री के योनि में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था । उपरोक्त कथित तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हम अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त करते हैं ।

12. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 का अपराध वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों में कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री घास लेने के लिए अभियुक्त के पिता के मकान पर गई थी और जब घास लेकर लगभग 5.45 बजे अपराह्न वह रास्ते पर थी तब अभियुक्त देशराज रास्ते पर अभियोक्त्री से मिला और अभियुक्त ने अभियोक्त्री के हाथ पकड़ लिए और अभियोक्त्री को आम के बगीचे की ओर ले गया । अभिलेख पर यह भी साबित है कि अभियोक्त्री की घास जमीन पर गिर गई । अभिलेख पर यह भी साबित है कि इसके पश्चात्, अभियुक्त ने जंगली बेल से अभियोक्त्री के हाथ बांध दिए और इसके पश्चात्, अभियुक्त ने अभियोक्त्री के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इसके पश्चात् अभियोक्त्री को जमीन पर गिरा दिया । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री के सलवार को खोला परन्तु अभियुक्त अभियोक्त्री से बलात्संग का अपराध नहीं कर सका क्योंकि उस स्थान पर मेहरचंद पहुंच गया था । विधि में यह भी सुस्थापित है कि अपराध के किए जाने में चार प्रक्रम सम्मिलित हैं (1) अपराध किए जाने के लिए आशय का विनिश्चय किया जाना (2) अपराध किए जाने के लिए तैयारी किया जाना (3) अपराध किए जाने का प्रयत्न किया जाना (4) अपराध वास्तविक रूप से किया जाना । **अभ्यानंद मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[1] और **रामकृपाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले देखिए । यह भी सुस्थापित विधि है कि आशय में प्रयत्न विवक्षित है ।

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1698.

[2] (2007) क्रिमिनल ला जर्नल 2302.

अभिलेख पर यह भी साबित हुआ है कि घटना के पश्चात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने तत्काल अपनी सौतेली माता को घटना के बारे में बताया और रात्रि की वजह से यह तथ्य भी प्रकट है कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पिता बंगलौर पर थे, इसलिए, अगले दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स के अनुसार भी आर. एफ. एस. एल., धर्मशाला द्वारा मानव रक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सलवार पर उसके लगे होने का पता चला । बलात्संग के प्रयास के संबंध में अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वास योग्य है और जो बात न्यायालय को विश्वास दिलाती है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का उसकी सौतेली माता अभि. सा. 7 श्रीमती मीना देवी द्वारा भी संपुष्टि की गई है । अभि. सा. 7 श्रीमती मीना देवी ने खासतौर पर सकारात्मक रीति में कथन किया है कि जब अप्राप्तवय अभियोक्त्री उसके पास पहुंची तब वह शिथिल अवस्था में थी और रो रही थी । जब उसने अप्राप्तवय अभियोक्त्री से इस बारे में पूछताछ की कि वह क्यों रो रही है तब अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने यह बताया कि अभियुक्त देशराज जो न्यायालय में मौजूद है, उसने अभियोक्त्री के हाथ पकड़े थे और बलपूर्वक बगीचे की ओर उसे ले गया था । अभि. सा. 7 ने सकारात्मक रीति में विशेष रूप से यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के हाथ जंगली बेल से बांधे थे और अभियुक्त ने अपने हाथ से अभियोक्त्री के मुंह को बंद किया था । अभि. सा. 7 मीना देवी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने यह बताया कि अभियुक्त ने उसके सलवार को खोला । अभि. सा. 7 का परिसाक्ष्य इस प्रभाव का है कि जिससे सत्यता और न्यायालय को विश्वास दिलाने वाला प्रतीत होता है और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभि. सा. 7 मेहरचंद ने अभियोजन पक्षकथन का आंशिक रूप से समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री की घास उसके बगल पर पड़ी हुई थी और वह अपने सिर पर घास रखने के लिए मदद मांग रही थी । **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का सम्पूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को इसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384.

और मैथुन से संबंधित छेड़छाड़ के मामलों में विचार करते हुए संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए । **राजस्थान राज्य** बनाम **एन. के.**[1], **अभियुक्त, राज्य** बनाम **लेखराज और एक अन्य**[2] और **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दुबे और एक अन्य**[3] वाले मामले देखिए । उपरोक्त कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयत्न किया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन इस बात को अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है ।

13. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 340 के अधीन अपराध अभियुक्त के विरुद्ध साबित भी नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । अप्राप्तवय अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त द्वारा सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया गया था जब वह अभियुक्त के पिता के मकान से घास लेकर लौट रही थी । हमने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हुआ है कि अभियुक्त ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख में उल्लिखित स्थान पर अप्राप्तवय अभियोक्त्री को सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया था । अभिलेख पर यह भी साबित है कि घास अभियोक्त्री की बगल पर पड़ी हुई थी और अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के सलवार पर रक्त का धब्बा लगा हुआ था । अभिलेख पर यह भी साबित है कि मेहरचंद ने अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सिर पर घास उठाकर रखी थी और इसके पश्चात् अभियोक्त्री तत्काल अपने आवासीय मकान पर पहुंची तथा वह शिथिल अवस्था में थी और रो रही थी और उसने मैथुन हमले की सम्पूर्ण घटना के बारे में अपनी सौतेली माता को बताया था । अप्राप्तवय अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य इस प्रभाव का है जिससे विश्वसनीयता प्राप्त होती है और न्यायालय को विश्वास दिलाती

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 30.

[2] (2001) एस. सी. सी. 247.

[3] (1992) 3 एस. सी. सी. 204.

है । अप्राप्तवय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

14. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की आयु घटना के समय पर 16 वर्ष से अधिक थी और इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाए, इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । हमने अभिलेख पर प्रकट विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । अभिलेख पर प्रकट प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क के अनुसार अप्राप्तवय अभियोक्त्री की जन्म की तारीख 11 मार्च, 1996 है । यह घटना तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटी थी । हमारी यह राय है कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र लोक पदधारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत है । अभियुक्त ने प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क में उल्लिखित जन्म की तारीख का खंडन नहीं किया है । यद्यपि अभि. सा. 12 डा. रमण शर्मा रेडियोलॉजिस्ट ने यह कथन किया है कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की आयु लगभग 14 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम थी । अभि. सा. 12 डा. रमण शर्मा ने अभियोक्त्री के कंधा, कोहनी, कलाई, श्रोणि, घुटना और टखने का एक्स-रे किया था । उस बारे में यह कथन कि एक्स-रे फिल्म प्रदर्श एक्स-1 से प्रदर्श एक्स-6 उसके पर्यवेक्षण के अधीन किए गए थे और यह राय व्यक्त की गई है कि दाहिने कंधे की संधि-ए. पी. व्यू का एक्स-रे जिसमें प्रगंडिका के शीर्ष को दिखाया गया है साफ्ट पर उसमें गलन नहीं थी । उन्होंने यह भी कथन किया है कि दाहिनी कोहनी के संधि-ए. पी. और पार्श्व व्यूज का एक्स-रे तथा पार्श्व अधिस्थूलिक अस्थि पर गलन हुआ था, मध्य अधिस्थूलिक साफ्ट पर गली हुई थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने कलाई की संधि-ए. पी. पार्श्विक व्यूज और हेड आफ रेडियस का साफ्ट पर गलन हुआ था तथा डेसिटल एंड आफ रेडियस का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि श्रोणि ए. पी. का व्यूज फेमूर का डेसिटल एंड का आंशिक रूप से साफ्ट का गनल हुआ था तथा ग्रेटर ट्राउचेनिटर का आंशिक रूप से गलन हुआ था । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने घुटने की संधि-ए. पी. और पार्श्व व्यूज का एक्स-रे लेने पर फेम्युर का डेसिटल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था और टिबिया के प्रोक्सिमल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था और फेबुला का प्रोक्सिमल एंड का भी साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था ।

उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने टखने के संधि की ए. पी. और पार्श्विक व्यूज टिबिया का डेसिटल एंड का भी एक्स-रे से भी यह पता चलता है कि साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था तथा फिबिला का डेसिटल एंड का साफ्ट पर गलन नहीं हुआ था । अभि. सा. 12 के परिसाक्ष्य के उपरोक्त कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विश्वसनीय पाई जाते हैं और इनसे न्यायालय को विश्वास मिलता है ।

15. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक यह भी निवेदन किया कि अप्राप्तवय अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा के समय पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई क्षति नहीं पाई गई थी और इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने की वजह से भी अस्वीकार किया जाता है । **भड़वाड़ा भोजनीय भाई हर्जी भाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधि में संपुष्टि अपेक्षित नहीं है यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तब अभियुक्त अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर दोषसिद्ध किया जा सकता है । यह भी सुस्थापित विधि है कि बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होना दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य नहीं है ।

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह भी निवेदन किया है कि चिकित्सा साक्ष्य संपूर्ण अभियोजन पक्ष को झुठलाता है और इस आधार पर अपील स्वीकार की जाए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने से इसे अस्वीकार किया जाता है । विधि में यह भी सुस्थापित है कि चिकित्सा अधिकारी की राय प्रकृति में सलाह देना जैसा है और चिकित्साधिकारी घटना अर्थात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयत्न का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

17. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री ने दांत काटने का विरोध नहीं किया और अभियुक्त के चेहरे पर कोई खरौंच नहीं लगाए और इसलिए इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियुक्त ने जमीन पर घास फेंक दी जो अप्राप्तवय अभियोक्त्री के सिर पर रखी हुई थी और

---

[1] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 753.

इसके पश्चात् अभियुक्त ने हाथ जंगली रस्सी से बांध दिए थे तथा इसके पश्चात् अभियुक्त ने अप्राप्तवय अभियोक्त्री के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था तथा अप्राप्तवय अभियोक्त्री को जमीन पर गिरा दिया था और उसके पश्चात् अप्राप्तवय अभियोक्त्री का सलवार खोला । अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह अभियुक्त के चेहरे को दांतों से काटती या अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर खरौंच लगाती ।

18. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह भी निवेदन किया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में बड़े विभेद प्रकट हुए हैं जो वर्तमान मामले के गहराई तक जाते हैं तथा इस आधार पर अपील स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण इसे अस्वीकार किया जाता है । हमने संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपर्वूक परिशीलन किया । हमारी यह राय है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों में कोई बड़े विभेद नहीं हैं जो मामले के तह तक जाते हों । विधि में यह भी सुस्थिर है कि अल्प विभेद आते रहते हैं जब अभियोजन साक्षियों के कथन पर्याप्त समय के अंतराल के पश्चात् लेखबद्ध किए जाते हैं । वर्तमान मामले में तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटना घटी थी और अभियोजन साक्षियों के कथन पर्याप्त समय के अंतराल के पश्चात् तारीख 7 मई, 2012, 8 मई, 2012, 9 मई, 2012 और 10 मई, 2012 को अभिलिखित किया गया था ।

19. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है और इस आधार पर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के वजह से भी इसे अस्वीकार किया जाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि घटना तारीख 27 दिसम्बर, 2010 को घटी और अप्राप्तवय अभियोक्त्री के पिता अपने मकान पर उपस्थित नहीं थे और वह बंगलौर में थे और रात्रि की वजह से अप्राप्तवय अभियोक्त्री पुलिस थाने पर नहीं जा सकी जो 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । अगले दिन तत्काल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और हमारी यह राय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब का अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है ।

20. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य निवेदन यह किया है कि अभियोजन साक्षी अत्यन्त हितबद्ध साक्षी है और इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील स्वीकार की

जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने के कारण इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमारी यह राय है कि सामान्यतः मैथुन मामलों में हमले के अभियोक्त्री अपनी माता और नातेदारों को घटना के बारे में बताया करती है । **राजस्थान राज्य** बनाम **श्रीमती कालकी और एक अन्य**[1] वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नातेदार साक्षी हितबद्ध साक्षी के समतुल्य नहीं है । यह भी सुस्थापित विधि है कि दांडिक मामले में एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी उसके विश्वसनीय साक्ष्य होने के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । **जोशे** बनाम **केरल राज्य**[2], **वेदू थेवर** बनाम **मद्रास राज्य**[3] तथा **मसालती और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4] वाले मामले देखें । यह भी सुस्थापित विधि है कि एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या की अवधारणा दांडिक मामलों में लागू नहीं होती है । **भीराम** बनाम **हरियाणा राज्य**[5], **राय सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[6] वाले मामले देखें । यह भी सुस्थापित विधि है कि दांडिक न्यायालय इस बात के लिए विधिक बाध्यता के अधीन हैं कि वे निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए और उन्हें केवल अनाज से भूसा नहीं निकालना चाहिए ।

21. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं दी गई है और उसे अग्राह्य किया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात्, उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । आर. एफ. एस. एल. धर्मशाला द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन ग्राह्य है । श्री अजय कुमार, अभि. सा. 5 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़े हुए और यह कहते हुए उन्होंने रिपोर्ट साबित की कि मानव रक्त अभियोक्त्री की सलवार पर लगा था ।

22. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक दूसरा यह निवेदन किया कि अपीलार्थी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न नहीं रखा गया था और इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात्

---

[1] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1390.
[2] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 944.
[3] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614.
[4] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202.
[5] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 957.
[6] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2505.

उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने के कारण उस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमने, विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के समक्ष अपराध में फंसाने वाले सभी प्रश्न रखे गए थे और हमारी यह भी राय है कि अपीलार्थी के विरुद्ध न्याय की कोई अपहानि नहीं हुई है जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया है । क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को यह निदेश दिया था कि उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले सभी सुसंगत साक्ष्य के बारे में स्पष्टीकरण दें ।

23. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया कि अभियुक्त और अप्राप्तवय अभियोक्त्री के माता-पिता के बीच रंजिश थी क्योंकि अप्राप्तवय अभियोक्त्री के माता-पिता को तीस हजार रुपए की राशि का अभियुक्त को संदाय करना था और वर्तमान मामला रंजिश की अवधारणा से फाइल किया गया था, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल नहीं होने से इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । हमारी यह राय है कि अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष पैसे की वसूली के लिए कोई शिकायत फाइल नहीं की थी या रकम की वसूली के लिए कोई सिविल वाद फाइल नहीं किया था । अभिलेख पर यह साबित है कि अभियुक्त के पिता ने घटना के दिन अप्राप्तवय अभियोक्त्री को घास दी थी । हमारी यह राय है कि यदि उनके बीच कोई रंजिश थी तो तब अप्राप्तवय अभियोक्त्री को घास देना अभियुक्त के पिता के लिए संभव नहीं था । जिस घास को वह अभियुक्त के घर से ला रही थी ।

24. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री वयस्क थी और वर्तमान अपील सहमति की कहानी के आधार पर स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इस निवेदन को अस्वीकार किया जाता है । अपीलार्थी ने यह बात साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई अकाट्य सकारात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियोक्त्री घटना के समय पर वयस्क थी और अप्राप्तवय अभियोक्त्री तथा अन्य अभियोजन साक्षियों को सहमति की कहानी के आधार पर कोई सुझाव नहीं दिया गया है । हमारी यह राय है कि अभियुक्त अपील

प्रक्रम पर किसी नए मामले को वर्णित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत अपीलार्थी ने अन्यंत्र रहने का अभिवाक् किया और यह कथन किया कि वह घटना के स्थान पर मौजूद नहीं था । अन्यंत्र रहने का अभिवाक् वर्तमान मामले में, विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया गया है ।

25. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन युक्तियुक्त संदेह के परे अपराध को साबित किया है, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार किया जाता है । क्योंकि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत था और अल्प भगोष्ठ और बृहत भगोष्ठ पर कोई खरौंच या क्षति नहीं थी तथा रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री के कपड़ों पर कोई शुक्राणु और वीर्य नहीं पाया गया था तथा अप्राप्तवय अभियोक्त्री की योनि में अंगुली की नोक प्रविष्ट कर सकती है ।

26. उपरोक्त कथित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपील भागतः मंजूर की जाती है । हम दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय और दंडादेश को अपास्त करते हैं । तथापि, हम दंड संहिता की धारा 341 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दंडादेश की पुष्टि करते हैं और इसके अतिरिक्त, हम दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 में अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हैं और हम अपीलार्थी को 5 वर्ष तक कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने के संदाय करने का दंडादेश देते हैं । हम यह भी निदेश देते हैं कि जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अपीलार्थी एक वर्ष का साधारण कारावास भोगेगा । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और दंडादेश को केवल उस सीमा तक उपांतरित करते हैं । विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के साथ फाइल को तत्काल वापस भेजते हैं । अपील का निपटारा किया जाता है । यदि कोई भी लम्बित प्रकीर्ण आवेदन है तो सभी का निपटारा किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

लेक राम और अन्य

तारीख 1 दिसम्बर, 2015

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति पी. एस. राणा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 378(3) – अपील की इजाजत की मंजूरी – दोषमुक्ति के विरुद्ध याचिका – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 29 के अधीन अभियुक्तों को आरोपित किया जाना – दो दृष्टिकोण के सिद्धांत की उपधारणा पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इस स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में नहीं फंसाया गया है, इसलिए अपील की इजाजत की मंजूरी से इनकार किया जाना न्यायसंगत है ।

वर्तमान याचिका हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेक राम और अन्य के शीर्षक में 2010 की सेशन विचारण संख्या 15एस/7 में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 और 29 के अधीन विद्वान् विशेष न्यायाधीश-1 शिमला, जिला शिमला द्वारा तारीख 31 मार्च, 2015 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन फाइल की है । राज्य ने व्यथित होकर, उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला द्वारा पारित निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि 500 ग्राम चरस अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से मिली थी । चरस का अभिग्रहण ज्ञापन स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् नारायण सिंह और तेजिन्दर सिंह के उपस्थिति में तैयार किया था । हमारी यह राय है कि विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण ज्ञापन स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामलों में साक्ष्य का पर्याप्त दस्तावेज है । वर्तमान मामले में स्वतंत्र साक्षी अर्थात् अभि. सा. 15 नारायण सिंह अभियोजन द्वारा

अभिकथित अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है । अभि. सा. 15 स्वतंत्र साक्षी ने सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि अपराध में फंसाने वाला पदार्थ अर्थात् चरस उसकी उपस्थिति में अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं की गई थी । इसके प्रतिकूल पुलिस पदाधिकारियों ने यह कथन किया है कि चरस उनकी उपस्थिति में अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से बरामद की थी । विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला ने दो दृष्टिकोण सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया है । यह बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है कि जब दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार संभव हैं तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को अंगीकृत किया जाना चाहिए । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विशिष्ट रूप से निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि इसमें भौतिक सुधार और पुलिस पदाधिकारियों के परिसाक्ष्य में परस्पर-विरोध है । यह बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है कि यदि दो दृष्टिकोण अभियोजन में प्रकट हुए हैं तो अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को विचार में लिया जाता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश, शिमला ने दो दृष्टिकोण के सिद्धांत की उपधारणा पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया है और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिग्रहण ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. 15 नारायण सिंह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया था और अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में नहीं फंसाया था । दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(3) के अधीन फाइल याचिका विवाद्यक सं. 1 पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इसे खारिज किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसमें दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत की मंजूरी देने के कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं । (पैरा 9, 10 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय पैरा

[2014] (2014) 3 हिम. एल. आर. 1391 (डी. बी.) :
मोहम्मद रफीक बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य ;** 10

[2013] (2013) 2 शिमला एल. सी. 1043 = 2013
क्रिमिनल ला जर्नल 4954 (हि. प्र.) :
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **संगत राम और अन्य ;** 10

[2010]	एच. एल. जे. 2010 (हि. प्र.) 705 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मनोहर लाल ;**	10
[2010]	एच. एल. जे. 2010 (हि. प्र.) 1386 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **दीन मोहम्मद ;**	10
[2009]	एच. एल. जे. 2009 (हि. प्र.) 774 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह ;**	10
[2009]	एच. एल. जे. 2009 (हि. प्र.) 835 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 1166 (हिमाचल प्रदेश) : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **भांगीराम ;**	10
[2006]	एच. एल. जे. 2006 (हि. प्र.) 256 : **शोनू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य ;**	10
[2004]	एच. एल. जे. 2004 हिमाचल प्रदेश 642 (डी. बी.) **हरियाणा राज्य** बनाम **हैंको** उर्फ **स्टवार्ट ;**	9
[1998]	(1998) 2 एस. एल. जे. 1408 : **शशिपाल और अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य ;**	9
[1996]	एस. एल. जे. 1996 (2) 890 : **मुलक राज** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	9
[1993]	1993 (1) एस. एल. जे. 405 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **सुदर्शन सिंह ।**	

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 1170.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(3) के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

राज्य की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. एस. राणा ने दिया ।

न्या. राणा – वर्तमान याचिका हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेक राम और अन्य के शीर्षक में 2010 की सेशन विचारण संख्या 15एस/7 में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 और

29 के अधीन विद्वान् विशेष न्यायाधीश-1 शिमला, जिला शिमला द्वारा तारीख 31 मार्च, 2015 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन फाइल की गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

2. अभियोजन द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि तारीख 14 फरवरी, 2009 को सायं लगभग 5.15 बजे पुलिस स्टेशन ढल्ली जिला शिमला के अधिकारक्षेत्र के भीतर शिमला सुन्नी पब्लिक सड़क पर सनदोहा स्थान पर पुलिस टीम जिसका मुखिया अध्यक्ष उपनिरीक्षक केशव सिंह था उनके साथ सहायक उपनिरीक्षक चेतराम, सहायक उपनिरीक्षक मोहिन्दर, हेड कांस्टेबल हेमन्त, कांस्टेबल दलीप कुमार, कांस्टेबल राजिन्दर, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल सुशील कुमार और कांस्टेबल गोविन्द राम थे जो सभी सरकारी यान में गश्त ड्यूटी पर थे । अभियोजन ने यह अभिकथित किया है कि मैक्स-पिकअप जीप नं. हि. प्र.09 ए1315 घटनास्थल पर पहुंची जिसको अभियुक्त अर्थात् अमर चंद चला रहा था और दूसरे अभियुक्त अर्थात् लेक राम, अमर सिंह और प्रताप सिंह जीप के अन्दर बैठे थे । अभिजयोन ने यह भी अभिकथित किया है कि अभियुक्तों ने यान के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और अभियुक्त व्यक्ति हैरान हो गए । अभियोजन ने अभिकथित किया है कि यान के बारे में संदेह होने पर उसकी तलाशी ली गई थी और सहमति ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क तैयार किया था । अभियोजन द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि एक थैले की तलाशी लेने के बाद यान में तेंदुए की आठ चमड़ी (खाल) मिली थीं और एक दूसरे पोलीथीन थैले में 500 ग्राम चरस मिली थी । यह अभिकथित है कि चरस के पृथक्-पृथक् दो नमूने प्रति 25 ग्राम के लिए गए थे और तत्पश्चात् बरामद की गई चरस और चरस के नमूने दो पृथक् पार्सल प्रदर्श पी. 1 और प्रदर्श पी. 3 मुहरबंद किए गए थे जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई द्वारा कब्जे में लिए गए थे और उक्त ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई पर स्वतंत्र साक्षी नारायण सिंह और तेजिन्दर सिंह के साथ अभियुक्तों ने हस्ताक्षर किए थे । यह भी अभिकथित है कि तेंदुए की बरामद की गई चमड़ी (खाल) को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई द्वारा वन सुरक्षाकर्मी हीरालाल को सौंपा था । अभियोजन द्वारा यह भी अभिकथित है कि अन्वेषक अधिकारी ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11डी के फोटो खींचे और अभियुक्त व्यक्तियों की वैयक्तिक तलाशी

ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/बी से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/ई द्वारा संचालित की गई और घटनास्थल रुक्का प्रदर्श अभि. सा. 17/एफ पुलिस स्टेशन ढल्ली को भेजे गए थे और उसके बाद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियोजन ने यह अभिकथित किया है कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/के सम्यक् रूप से भरी थी और मुहर की छाप "सी" का नमूना प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/ए कपड़े के पृथक् टुकड़े पर लिया था । अभियोजन पक्ष ने यह भी अभिकथन किया है कि इसके पश्चात् तारीख 17 जुलाई, 2009 को हेड कांस्टेबल शिव कुमार (अभि. सा. 10) ने एक मुहरबंद पार्सल (पी. डब्ल्यू. 10/बी) 2009 की आर. सी. सं. 36 के अनुसार न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा भेजे जाने के लिए कांस्टेबल परमा नंद को सौंपा था और तत्पश्चात् तारीख 24 अप्रैल, 2010 को मोहर्रिर हेड कांस्टेबल शिव कुमार (अभि. सा. 10) ने कांस्टेबल अनिल कुमार (पी. डब्ल्यू. 4) को दो पार्सल (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/बी) 2010 की आर. सी. सं. 70 द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला को ले जाने के लिए सौंपा था । अभियोजन ने अभिकथित किया है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/एल-1 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/एल-2) प्राप्त की गई थीं और तत्पश्चात् अभियोजन साक्षियों के कथन उनके बयान के अनुसार अभिलिखित किए गए थे । अभियोजन ने यह अभिकथित किया है कि तत्पश्चात् पुलिस ने तेंदुए की खालों को बरामद करने के संबंध में पृथक् रूप से चालान तैयार किया था और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।

3. आरोप अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 और 29 के अधीन तारीख 10 मई, 2012 के आदेश द्वारा आरोप विरचित किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किए जाने का दावा किया था ।

4. अभियोजन पक्ष ने निर्णय के साथ उपाबंध प्ररूप-4 में यथा-उल्लिखित सत्रह साक्षियों की परीक्षा कराई गई और निर्णय के साथ उपाबंध प्ररूप-बी में यथाउल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे । अभियुक्त के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए थे । अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा कराई थी ।

5. विद्वान् विशेष न्यायाधीश, शिमला ने उन्हें संदेह का लाभ देने के बाद स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 और 29 के अधीन अपराधों से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया ।

6. व्यथित होकर, हिमाचल प्रदेश राज्य ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध दोषमुक्ति के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की और अपील की इजाजत की मंजूरी के लिए अनुमति मांगी थी ।

7. हमने याची की ओर से उपस्थित हुए विद्वान् सहायक अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया है ।

8. वर्तमान याचिका में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

1. क्या इस याचिका को आधारों के ज्ञापन के रूप में अभिकथित हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेक राम और अन्य के शीर्षक 2010 की सेशन विचारण सं. 15एस/7 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला द्वारा तारीख 31 मार्च, 2015 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(3) के अधीन अपील की इजाजत की मंजूरी देने के लिए न्याय के उद्देश्य से समीचीन है ?

2. अंतिम आदेश ।

विवाद्यक सं. 1 के कारणों के साथ निष्कर्ष

9. हमने अभिलेख पर प्रस्तुत विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला द्वारा पारित निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि 500 ग्राम चरस अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से मिली थी । चरस का अभिग्रहण ज्ञापन स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् नारायण सिंह और तेजिन्दर सिंह के उपस्थिति में तैयार किया था । हमारी यह राय है कि विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण ज्ञापन स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामलों में साक्ष्य का पर्याप्त दस्तावेज है । वर्तमान मामले में स्वतंत्र साक्षी अर्थात् अभि. सा. 15 नारायण सिंह अभियोजन द्वारा अभिकथित अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है । अभि. सा. 15 स्वतंत्र साक्षी ने सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि अपराध में फंसाने वाला पदार्थ अर्थात् चरस उसकी उपस्थिति में अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं की गई थी । इसके प्रतिकूल पुलिस पदाधिकारियों ने यह कथन किया है कि चरस उनकी उपस्थिति में अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से बरामद की गई थी । विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला ने दो दृष्टिकोण सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया है । यह बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है कि जब दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार संभव हैं तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को अंगीकृत

किया जाना चाहिए । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विशिष्ट रूप से निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि इसमें भौतिक सुधार और पुलिस पदाधिकारियों के परिसाक्ष्य में परस्पर विरोध है । यह बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है कि यदि दो दृष्टिकोण अभियोजन में प्रकट हुए हैं तो अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को विचार में लिया जाना चाहिए । देखिए : **शशिपाल और अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1], **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **सुदर्शन सिंह**[2], उच्चतम न्यायालय वाला मामला **मुलक राज** बनाम **हरियाणा राज्य**[3], **हरियाणा राज्य** बनाम **हैंको** उर्फ **स्टवार्ट**[4] वाले संप्रकाशित नवीनतम मामले में यह अभिनिर्धारित किया था यदि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामले में स्वतंत्र साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं करता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए ।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश, शिमला ने दो दृष्टिकोण के सिद्धांत की उपधारणा पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया है और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिग्रहण ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. 15 नारायण सिंह ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में फंसाया नहीं गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने नवीनतम मामले **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मनोहर लाल**[5]; **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह**[6]; **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **भांगीराम**[7]; **मोहम्मद रफीक** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[8]; **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **दीन मोहम्मद**[9]; **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **संगत राम और अन्य**[10] और **शोनू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[11] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णयों का

[1] 1998 (2) एस. एल. जे. 1408.
[2] 1993 (1) एस. एल. जे. 405.
[3] एस. एल. जे. 1996 (2) 890.
[4] एच. एल. जे. 2004 (हि. प्र.) 642 (डी. बी.).
[5] एच. एल. जे. 2010 (हि. प्र.) 705.
[6] एच. एल. जे. 2009 (हि. प्र.) 774.
[7] एच. एल. जे. 2009 (हि. प्र.) 835 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 1166 (हिमाचल प्रदेश).
[8] 2014 (3) हिम. एल. आर. (डी. बी.) 1391.
[9] एच. एल. जे. 2010 (हि. प्र.) 1386.
[10] 2013 (2) शिमला एल. सी. 1043 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 4954 (हि. प्र.).
[11] एच. एल. जे. 2006 (हि. प्र.) 256.

अवलंब लिया है । हमारी राय यह है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश शिमला द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत की मंजूरी देना न्याय के उद्देश्य से समीचीन नहीं है । विवाद्यक सं. 1 का उत्तर नकारात्मक में है ।

विवाद्यक संख्या 2 (अंतिम आदेश)

11. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (3) के अधीन फाइल याचिका में विवाद्यक सं. 1 पर हमारा निष्कर्ष यह है कि इसे खारिज किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसमें दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत की मंजूरी देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है । 2015 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 1170 का निपटारा किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

मही./आर्य

(2016) 2 दा. नि. प. 129 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

किशोरी लाल

तारीख 4 अप्रैल, 2016

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पी. एस. राणा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 342, 498 और 323 – बलात्संग – विवाहित स्त्री को निरुद्ध किया जाना – यदि अभियोजन पक्ष स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभियुक्त ने बिना अभियोक्त्री की सहमति से उसके साथ बलात्संग किया या उसे सदोषपूर्ण रूप से निरुद्ध किया तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के पाडियालाग चौक पर दर्जी की दुकान चला रहा था । शिकायतकर्ता मदनलाल (अभि. सा. 1) जो दर्जी के कार्य के लिए उसके

साथ नियोजित था और पैरों से शारीरिक निर्योग्यता से ग्रसित था और इस प्रकार वह बैसाखियों के सहारे ही चल सकता था । तारीख 23 जुलाई, 2009 को अभियुक्त मदनलाल के मकान पर पहुंचा जहां उन दोनों ने शराब पी थी । लगभग 10.30 बजे अपराह्न जब मदनलाल पेशाब करने के लिए गया तब अभियुक्त ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) को बलपूर्वक अपनी दुकान के अन्दर ले गया जहां उसने उससे बलात्संग किया । न तो अभियुक्त और न उसकी पत्नी अभियोक्त्री घर पर पाई गई थी । मदनलाल ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर उन्हें ढूंढा था और वह अभियुक्त की दुकान पर गया और खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि अभियुक्त और अभियोक्त्री नग्न दशा में थे । तब शिकायतकर्ता प्रकाशचंद (अभि. सा. 3) की दुकान पर गया और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा । घटनास्थल पर मदनलाल ने यह देखा कि अभियुक्त बाहर निकला और बैसाखियों से पीटा । इसके पश्चात् मदनलाल ने दूरभाष से पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी । विजय कुमार (अभि. सा. 5) ने रिपोर्ट तैयार की और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा जहां सहायक उपनिरीक्षक अनंतराम (अभि. सा. 15) ने मदनलाल के कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क) अभिलिखित किया जिस पर दंड संहिता की धारा 376, 342 और 323 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए तारीख 24 जून, 2009 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 103 पुलिस थाना बरारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । अभियोक्त्री और मदनलाल की डाक्टर भारती रनौत (अभि. सा. 9) और डा. भानू कंवर (अभि. सा. 12) द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई थी ।

अन्वेषण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा पहने गए कपड़े और यौनिक स्राव कब्जे में लिए गए थे और उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ग) अभिलेख पर ली गई थी । अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि अभियोक्त्री को 40 प्रतिशत मानसिक निर्योग्यता हुई थी । उसके उपचार/चिकित्सा का रिकार्ड अभिलेख पर दिया गया है । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् जिससे अभिकथित अपराध में अभियुक्त की प्रथम- दृष्ट्या सदोषिता प्रकट हुई है तथा विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था ।

अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376, 342, 498 और 323 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया

था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 21 साक्षियों की परीक्षा की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उपबंधों के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया था जिस पर उसने निर्दोषिता और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । साक्षियों के परिसाक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराधों से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, वर्तमान अपील राज्य द्वारा फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री का वृत्तांत कि वह अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक ले जाई गई थी, मिथ्या प्रतीत होता है । उसने इस प्रभाव की स्वीकृति दी है कि "यह सत्य है कि तीनों व्यक्तियों ने शराब पी और वे चलने-फिरने में समर्थ नहीं थे ।" उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पति ने अभियुक्त के साथ तर्क-वितर्क किया था । ऐसा तब हुआ था जब वह अपने मकान में थी । प्रतिरक्षा में संभवतः पूरी तरह मिथ्या फंसाने की बात प्रकट हुई है और तत्पश्चात् इसकी कहानी षड्यंत्रपूर्वक बनाई गई है । जिस तथ्य को विवेक कुमार (अभि. सा. 5) के अभिसाक्ष्य से बल मिलता है जिसने यह कथन किया है कि "पुलिस थाने में टेलीफोन से सूचना प्राप्त की गई थी कि पदियालाग चौक में झगड़े की घटना घटी थी इसलिए पुलिस दल जिसका मुखिया सहायक उपनिरीक्षक अनन्त कुमार था, घटनास्थल पर गया और वहां पर तीन बजे पूर्वाह्न पहुंचा ।" (पैरा 33 और 34)

न्यायालय इस प्रश्न पर भी विचार करता है कि बलात्संग की घटना के बारे में पहले ही पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई । इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है "कि मेरे शरीर पर कोई क्षति नहीं पहुंची और मेरे कपड़े भी फटे हुए नहीं हैं । दुकान का फर्श कच्चा था और मेरे कपड़ों में कोई वीर्य के निशान नहीं हैं । मैं अभियुक्त के दुकान पर पैदल चलकर आई थी" । इस अवधि के दौरान मैंने कोई झगड़ा नहीं किया । मैं उस दिन अभियुक्त की दुकान पर गई थी और मैथुन हमले के बारे में अभियोजन पक्षकथन को पूर्णतया उसको ढहाता है क्योंकि अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि "मैं किशोर के साथ कभी भी नहीं सोई । यह बात भी असत्य है कि मैंने डाक्टर को यह बताया कि इस घटना से पूर्व अभियुक्त के साथ पहले सोई थी । यह सही है कि मेरे पति ने दुकान के अन्दर अभियुक्त के साथ मुझे देखा था । ऐसा क्यों हुआ कि मैंने सभी

तथ्यों को बताया था" । इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि "झगड़े के पश्चात् मेरे पति बेहोश हो गए थे क्योंकि उन पर शराब का प्रभाव था और अगले दिन वह पुनः होश में आया । मैंने आपस में किसी को यह बात बताई कि मेरे पति बेहोश हुए थे" । इस प्रकार, साक्षी द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य सभी प्रकार अविश्वसनीय, असंभव और असंगत हैं । (पैरा 35, 36 और 37)

अभियोक्त्री न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहती थी कि शराब पीने के कारण तीनों व्यक्तियों में से कोई भी चल फिर नहीं सकता था, परिणामस्वरूप उसका पति चेतना शून्य हो गया । वह न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाना चाहती है कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक ले गया और उससे तीन बार बलात्संग किया और यह पूरी घटना आधे घंटे के अन्दर घटी । वह न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाना चाहती है कि अभियुक्त ने बैसाखियों से उसके पति की पिटाई की । उसका ऐसे वृत्तांत पर विश्वास भी किया जाए तो बड़ी कठिनाई होगी । इसके अतिरिक्त, पुलिस को मामले की तत्काल रिपोर्ट नहीं देने में विलंब और अभियोक्त्री का कथन घटनास्थल पर अभिलिखित नहीं किया जाना, ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् ही हुआ और उसके द्वारा दिए गए वृत्तांत संदेहपूर्ण, असंगत और असंभाव्य प्रतीत होता है । इस साक्ष्य के बारे में विश्वसनीय होना नहीं कहा जा सकता है । अभियोक्त्री ने अभियुक्त के नातेदारों के बारे में जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है या अभियुक्त ने उसे कोई पैसे देने का प्रस्ताव किया । इस प्रकार किन आधारों पर उसने ऐसा कथन किया है कि अभियुक्त के नातेदारों ने पैसा लेने के लिए उस पर दबाव डाला और कागजातों पर हस्ताक्षर कराए । वे कागजात कहां हैं ? और उनके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत दर्ज उनके द्वारा क्यों नहीं कराई गई जो अन्वेषण पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे, यह बात अभिलेख पर अनुत्तरित रही है । (पैरा 38, 39 और 40)

अब न्यायालय, प्रकाशचंद के परिसाक्ष्य की परीक्षा करता है । तब न्यायालय ने उसके बारे में यह पाया कि अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है । उसकी गहराई से प्रतिपरीक्षा की गई तो भी लोक अभियोजक द्वारा कुछ भी अभियोजन पक्षकथन के फायदे की बात सामने नहीं आ सकी । अभियोजन पक्ष ने उसके परिसाक्ष्य के माध्यम से मदनलाल और अभियोक्त्री के वृत्तांत की अभिपुष्टि चाही हो जो वृत्तांत हमने अविश्वसनीय पाया है । जब हम इस साक्षी के परिसाक्ष्य की परीक्षा करते हैं तब हम यह पाते हैं कि

अभियुक्त और मदनलाल के बीच कुछ झगड़ा हुआ था जो शराब के नशे में थे और उसने कहीं भी घटनास्थल पर अभियोक्त्री की मौजूदगी को अभिलिखित किया हो । परन्तु, उसके पुत्र की मौजूदगी का अभिलेख जिसका आकस्मिक रूप से न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई है । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18-क) न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अभिलिखित किया गया था परन्तु इससे अभियोजन पक्षकथन को कोई भी सहायता नहीं मिलती है । ऐसे कथन से केवल जिसे अभिलिखित किया गया है, श्री रंजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, घुमारविन (अभि. सा. 18) द्वारा साबित किया गया है, वास्तव में इससे अभियोजन पक्षकथन सिद्ध नहीं होता है जिस बात को अभिलेख पर साबित किया जाना पड़ता है । घटना के घटने के दस मास से भी अधिक समय व्यतीत होने पर तारीख 28 मई, 2010 को इसे अभिलिखित किया गया था । इस पर क्यों शीघ्रता से कार्रवाई नहीं की गई थी, अभिलेख पर इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । साक्षी (अभियोक्त्री) को सिखाने-पढ़ाने की संभावना को अस्वीकर नहीं किया जा सकता है और मदनलाल द्वारा दिया गया प्रारंभिक वृत्तांत और उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क के निबंधनों में विजय कुमार (अभि. सा. 5) द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं की गई है । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट, अकाट्य और साक्ष्य के विश्वसनीय भाग से अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो जिससे कि यह साबित होता हो कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की बिना सहमति और बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया था तथा दुकान में उसका सदोष परिरोध किया कि वह शिकायतकर्ता मदनलाल की पत्नी है और मदनलाल को मामूली आघात भी पहुंचा है । (पैरा 41, 42 और 43)

सभी पूर्वोक्त कारणों से न्यायालय, विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है । न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों का पूरी तरह मूल्यांकन किया है । अभियुक्त निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का फायदा पाने का हकदार है । मोहम्मद अंकुश और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया या अभियुक्त की दोषमुक्ति न्याय के विपरीत

है । मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है । वर्तमान अपील खारिज की जाती है । यदि कोई जमानत बंधपत्र अभियुक्त द्वारा दिए गए हैं तो उन्हें उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 44 और 45)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 791 : **राजेश पटेल** बनाम **झारखण्ड राज्य ;**	13
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 206 : **राजस्थान राज्य** बनाम **बाबू मीना ;**	13
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 94 : **मो. अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद ;**	45
[2003]	(2003) 4 एस. सी. सी. 46 : **तुकाराम और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	16
[1997]	(1997) 2 एस. सी. सी. 143 : **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य ;**	16
[1954]	ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 36 : **प्राणदास** बनाम **राज्य ।**	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 213.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. एस. चौहान, अपर महाधिवक्ता, कुश शर्मा, उप-महाधिवक्ता और जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अजय कुमार सूद, ज्येष्ठ अधिवक्ता और धीरज कुमार वशिष्ठ, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय करोल ने दिया ।

न्या. करोल – 2010 के सेशन विचारण सं. 21-7, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम किशोरीलाल वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, गुमारविन, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 3 दिसंबर, 2011 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध राज्य द्वारा अपील फाइल की गई है जिसमें प्रत्यर्थी किशोरीलाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है जिसे दंड संहिता की धारा 376, 342, 498 और 323 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के पाडियालाग चौक पर दर्जी की दुकान चला रहा था । शिकायतकर्ता मदनलाल (अभि. सा. 1) जो दर्जी के कार्य के लिए उसके साथ नियोजित था और पैरों से शारीरिक निर्योग्यता से ग्रसित था और इस प्रकार वह बैसाखियों के सहारे ही चल सकता था । तारीख 23 जुलाई, 2009 को अभियुक्त मदनलाल के मकान पर पहुंचा जहां उन दोनों ने शराब पी थी । लगभग 10.30 बजे अपराह्न जब मदनलाल पेशाब करने के लिए गया तब अभियुक्त ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) को बलपूर्वक अपनी दुकान के अन्दर ले गया जहां उसने उससे बलात्संग किया । न तो अभियुक्त और न उसकी पत्नी अभियोक्त्री घर पर पाई गई थी । मदनलाल ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर उन्हें ढूंढा था और वह अभियुक्त की दुकान पर गया और खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि अभियुक्त और अभियोक्त्री नग्न दशा में थे । तब शिकायतकर्ता प्रकाशचंद (अभि. सा. 3) की दुकान पर गया और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा । घटनास्थल पर मदनलाल ने यह देखा कि अभियुक्त बाहर निकला और बैसाखियों से पीटा । इसके पश्चात् मदनलाल ने दूरभाष से पुलिस को मामले की रिपोर्ट की । विजय कुमार (अभि. सा. 5) ने रिपोर्ट तैयार की और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा जहां सहायक उपनिरीक्षक अनंतराम (अभि. सा. 15) ने मदनलाल के कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क) अभिलिखित किया जिस पर दंड संहिता की धारा 376, 342 और 323 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए तारीख 24 जून, 2009 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 103 पुलिस थाना बरारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । अभियोक्त्री और मदनलाल की डाक्टर भारती रनौत (अभि. सा. 9) और डा. भानू कंवर (अभि. सा. 12) द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई थी ।

3. अन्वेषण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा पहने गए कपड़े और यौनिक स्राव कब्जे में लिए गए थे और उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-ग) अभिलेख पर ली गई थी ।

4. अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि अभियोक्त्री को 40 प्रतिशत मानसिक निर्योग्यता हुई थी । उसके उपचार/चिकित्सा का रिकार्ड अभिलेख पर दिया गया है ।

5. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् जिससे अभिकथित अपराध में अभियुक्त की प्रथमदृष्ट्या सदोषिता प्रकट हुई है तथा विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था ।

6. अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376, 342, 498 और 323 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 21 साक्षियों की परीक्षा की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उपबंधों के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया था जिस पर उसने निर्दोषिता और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

8. साक्षियों के परिसाक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराधों से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, वर्तमान अपील राज्य द्वारा फाइल की गई है ।

9. हमने राज्य की ओर से श्री वी. एस. चौहान, विद्वान् अपर महाधिवक्ता, श्री कुश शर्मा, विद्वान् उपमहाधिवक्ता और श्री जे. एस. गुलेरिया, विद्वान् सहायक महाधिवक्ता तथा अभियुक्त की ओर से श्री अजय कुमार सूद, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री धीरज वशिष्ठ, अधिवक्ता को सुना । हमने साक्षियों के परिसाक्ष्यों की तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की भी परीक्षा की । ऐसा करते हुए हमारा विचारित मत यह है कि मामले में तनिक भी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है । हमने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य (दस्तावेजी और मौखिक) की सत्यता और उचित मूल्यांकन पर आधारित है और निर्णय में न तो कोई अवैधानिकता,

दुर्बलता और न कोई प्रतिकूलता पाई गई है । जिससे न्याय की अपहानि हो सकती हो ।

10. विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषमुक्ति से अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा प्रकट होती है । इस बात को अस्वीकार करने का अभियोजन पक्ष पर पूर्ण भार होता है । अभिलेख पर प्रकट सामग्री पर विचार करते हुए हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष आवश्यक संघटकों को साबित करने में विफल हुआ है जिससे आरोपित अपराध गठित करना अपेक्षित है ।

11. **प्राणदास** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "(6) अति प्रारंभ में यह भी अवलोकन किया जाना चाहिए कि हम ऐसे मत का समर्थन नहीं ले सकते हैं जिसे कई मामलों में अभिव्यक्त किया गया है कि उच्च न्यायालय के पास तब तक दोषमुक्ति के निर्णय को उलटा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अधीन कोई शक्ति नहीं है जब तक कि निर्णय प्रतिकूल न हो या अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार या दूसरी प्रकार से स्वतः विफल होकर न्याय की अपहानि को प्रकट न किया हो । हमारी यह राय है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में सही स्थिति शिव स्वरूप **बनाम** एम्परर [ए. आई. आर. 1934 एस. सी. 227 (2) पृष्ठ 229, 230 (क)] वाले मामले में इन शब्दों में यह कथन किया गया है जो इस प्रकार है –
>
>> 'संहिता की धारा 417, 418 और 423 में साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की पूर्ण शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित था और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि दोषमुक्ति के आदेश का साक्ष्य को उलटा जाना चाहिए । इस पर कोई परिसीमा नहीं होनी चाहिए कि शक्ति जब तक संहिता में अभिव्यक्त रूप से कथित नहीं पाई जाती परन्तु संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तथ्य पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों को हमेशा उचित महत्व और उचित रूप से विचार किया

---

[1] ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 36.

जाना चाहिए जैसा कि (1) विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए मत जो साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में हो, (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा ऐसी उपधारणा पर किसी तथ्य द्वारा कतिपय रूप से दुर्बल होने की उपधारणा नहीं की जानी चाहिए कि वह विचारण पर दोषमुक्त किया गया है, (3) अभियुक्त का अधिकार जो संदेह का फायदा पाने का है और (4) ऐसे न्यायाधीश जिसने साक्षियों को देखकर फायदा देने की बात कही है, निकाले गए तथ्यों के निष्कर्ष गड़बड़ होने पर अपील न्यायालय की शिथिलता । तथापि, इस कथन पर केवल यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर अपनाया गया आचरण नियमों और सुपरिचित सिद्धांतों के अनुसरण में तथा न्याय के प्रशासन को दी गई मान्यताओं के अन्तर्गत होनी चाहिए या कार्य करना चाहिए ।''

12. अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए और प्रतिरक्षा के पक्षकथन की दुर्बलता से समर्थन नहीं ले सकता । अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभिलेख पर प्रकट सामग्री और उचित विधिक साक्ष्य होना चाहिए । अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है बशर्ते कि उसके परिसाक्ष्य से आश्वासन मिलता हो । तथापि, ऐसी दशा में न्यायालय को अभियोक्त्री का वृत्तांत और ऐसे वृत्तांत के मूल्य को स्वीकार न करने पर कारण देना चाहिए और ऐसे वृत्तांत की संपुष्टि की ओर ध्यान दिया जा सकता है । ऐसी दशा में जहां अभियोक्त्री द्वारा बताई गई कहानी और प्रकट साक्ष्य को उसकी पूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें असंभाव्य पाए जाने पर, और ऐसे में अभियोजन पक्षकथन अस्वीकार किया जाएगा ।

13. विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है यदि ऐसे साक्ष्य से विश्वास प्रेरित होता है । **राजेश पटेल** बनाम **झारखण्ड राज्य**[1] और **राजस्थान राज्य** बनाम **बाबू मीना**[2] वाले मामले देखिए ।

14. न्यायालय जब बलात्संग के आरोप पर अभियुक्त का विचारण करते हैं तब मामले को अत्यधिक संवेदनशील रूप से देखा जाना चाहिए,

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. 791.
[2] (2013) 4 एस. सी. सी. 206.

और मामले की व्यापक संभाव्यताओं की परीक्षा की जानी चाहिए तथा छोटे मोटे विभेदों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए या साक्षियों के साक्ष्य में अमहत्वपूर्ण विभेद का प्रभाव ऐसे नहीं आना चाहिए जो साबित प्रकृति के लक्षण के नहीं हैं ।

15. तथापि, बलात्संग के मामले में भी अभियोजन पक्ष पर हमेशा साबित करने का भार रहता है । सकारात्मक रूप से अपराध का प्रत्येक संघटक के साबित होने की ईप्सा की जाती है और ऐसे भार को कभी भी अन्तरित नहीं किया जाता है । प्रतिरक्षा पक्ष का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दे कि बलात्संग के मामले में कैसे और क्यों पीड़िता और अन्य साक्षियों ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया है । अभियोजन पक्षकथन को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और प्रतिरक्षा के पक्षकथन की दुर्बलता से समर्थन नहीं ले सकता । तथापि, अभियुक्त के विरुद्ध अत्यधिक संदेह और इसी प्रकार प्रबल नैतिक विश्वास और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि जब तक कि अभियुक्त का अपराध विधिक साक्ष्य और अभिलेख पर प्रकट सामग्री के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं कर दिया जाता, उसे अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । अभियुक्त की निर्दोषिता के बारे में प्रारंभिक उपधारणा बनती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को सिद्ध करना चाहिए । अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है । **तुकाराम और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले देखिए ।

16. अभिलेख पर यह सिद्ध किया गया है कि मदनलाल शारीरिक निर्योग्यता से ग्रसित है । वह बैसाखियों के सहारे ही चल सकता है और उसके शरीर के निचले भाग पर निर्योग्यता विद्यमान है । यह भी विवाद नहीं किया गया है कि मदनलाल का अभियोक्त्री से विवाह हुआ था जो ग्राम घनघोट, तहसील बारसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी । मदनलाल अभियुक्त के लिए कार्य करता था और दर्जी का कार्य करता था, इस बात पर भी विवाद नहीं किया गया । अभियुक्त पडियालाग चौक पर दर्जी की दुकान पर था, इस बात पर भी विवाद नहीं किया गया है ।

---

[1] (1997) 2 एस. सी. सी. 143.

[2] (2003) 4 एस. सी. सी. 46.

17. यह दलील दी गई कि घटना के समय पर अभियोक्त्री 42 प्रतिशत मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और जिसका फायदा लिया गया, अभियुक्त ने घृणित अपराध किया है । प्रारंभ में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की निर्योग्य मानसिक स्थिति के तथ्य को साबित नहीं किया है ।

18. अभियोजन पक्ष ने निर्योग्यता प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19-क) अभिलेख पर रखा है जिससे यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री 42 प्रतिशत तक मानसिक मंदता से ग्रसित थी । इसका कारण उसका प्रबल रूप से विकार में रहना है । मदनलाल ने सामाजिक सुरक्षा का फायदा प्राप्त करने के लिए जो आवेदन पेश किया था उस पर इस संबंध में प्रमाणपत्र लगाया गया था । डा. एस. के. सोनी, अभि. सा. 19 और डा. सुभाष शर्मा, जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे, ने प्रमाणपत्र जारी किया । न्यायालय में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि रोगी अर्थात् अभियोक्त्री की तारीख 3 अप्रैल, 2008 को परीक्षा की गई थी और यह रोगी असामान्य स्थिति से ग्रसित थी और ऐसा उसके साथ हमले की अवधि के दौरान हुआ था अन्यथा वह सामान्य जीवन जी रही थी और वह अपने कल्याण को समझने की स्थिति में थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि इन साक्षियों द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् अभियोक्त्री का कभी भी इलाज नहीं किया गया था ।

19. अभिलेख पर यह बात प्रकट हुई है कि अभियोक्त्री नवंबर, 2007 से डा. विजय कुमार (अभि. सा. 16) से अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी । तथापि, इस साक्षी के परिसाक्ष्य से अभियोक्त्री के बारे में तारीख 23 जुलाई, 2009 के पश्चात् या उससे पूर्व अर्थात् प्रश्नगत घटना की तारीख को ऐसा सुनिश्चित नहीं हो सका है कि अभियोक्त्री ऐसे मानसिक विकार से तारीख 23 जुलाई, 2009 से ग्रसित थी । वह मिरगी के प्रभाव से ग्रसित थी या नहीं । यह महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अभियोक्त्री का उसके पिछले इतिवृत्त के आधार पर ही इलाज कर रहा था जो उसको बताया गया था और वह उसके उपचार के अधीन रही थी । वह कभी भी जकड़न के हमले के प्रभाव में नहीं थी । उसने यह स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री को दिया गया उपचार ओ. पी. डी. पर्ची प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16(ख) से 16(जे) है जो पूर्व चिकित्सा इतिवृत्त पर ही आधारित था ।

20. अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 15) ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण के प्रारंभिक भाग में न तो शिकायतकर्ता और न अभियोक्त्री ने

मानसिक बीमारी के बारे में कोई बात प्रकट की । जब हम डा. भारती रनौत के परिसाक्ष्य का परिशीलन करते हैं जिन्होंने तारीख 24 जुलाई, 2009 को अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षा की थी, तो हम यह तथ्य पाते हैं कि उसने उसे इस बारे में नहीं बताया । एम. एल. सी. का तथ्य प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-ख अभियोक्त्री की मानसिक बीमारी के तथ्य को प्रकट नहीं करता है जिस बात को इसमें अभिलिखित किया जाना चाहिए था ।

21. अभियोक्त्री तथा उसके पति के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह मिडिल स्तर तक पढ़ी हुई थी और बाद में उसे केवल इस कारण उच्च शिक्षा नहीं दी गई कि वह अंकगणित के विषय में परीक्षा पास नहीं कर सकी । यह भी महत्वपूर्ण है कि मदनलाल ने अपनी पत्नी के बुद्धिमान होने को स्वीकार किया है । यद्यपि, उसने यह कथन किया है कि वह बचपन से मानसिक रोग से ग्रसित है लेकिन वह उसे मिरगी के दौरे के इलाज के लिए अस्पताल ले गया । उसने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे दौरे निश्चित तौर पर सोने के दौरान ही आते थे और शीघ्र ही वह सामान्य स्थिति में आ जाती थी ।

22. यह बात महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री या उसके पति के कथन से दूरस्थ रूप से भी यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता है कि घटना की तारीख को वह ऐसे मिरगी के दौरे से ग्रसित थी ।

23. इस प्रकार, अभिलेख पर यह बात सिद्ध हुई है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री के बारे में किसी मानसिक विकार की बीमारी या किसी मिरगी के दौरे से ग्रसित होना नहीं कहा जा सकता । वह अपने दैनिक कार्यों के दौरान सामान्य थी और सभी के लिए उसने खाना बनाया था ।

24. पुलिस द्वारा पेश किए गए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-क) पर डा. भारती रनौत ने अभियोक्त्री की परीक्षा की और एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-ख) जारी किया जो अभिलेख पर साबित समझा गया । डाक्टर की राय के अनुसार जैसा कि उसने अपने अभिसाक्ष्य में भी प्रकट किया है कि अभियोक्त्री का अभियुक्त के साथ मैथुन किया जाना हो सकता है परन्तु ऐसा प्रश्नगत घटना के पूर्व था । घटना के संदर्भ में अभियोक्त्री के शरीर पर किसी भाग पर न तो कोई क्षति का चिह्न, संघर्ष, गुमटा या खरोंच नहीं पाई गई थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि अभिकथित घटना तारीख 23 जुलाई, 2009 की रात्रि में विलंब से घटित हुई थी और उसका तारीख 24 जुलाई, 2009 को 4.30 बजे पूर्वाह्न अतिशीघ्र परीक्षा

की गई थी । रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-ग) के अनुसार कि अभियोक्त्री के यौनिक स्राव में कोई स्लाइडों पर कोई वीर्य नहीं पाया गया था । डाक्टर की यह राय है कि नवीनतम प्रवेशन का कोई चिह्न नहीं था । डाक्टर ने अभियोक्त्री के शरीर पर आपसी संघर्ष का कोई चिह्न या हिंसा का कोई चिह्न नहीं पाया था । डाक्टर ने पिछले चिकित्सा अभिलेख (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9-घ) के आधार पर ही तारीख 15 सितंबर, 2009 को अपनी राय व्यक्त की थी । कपड़े, जो अभियोक्त्री ने घटना के समय पर पहने हुए थे, उन्हें पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था और उन पर कोई चीड़-फाड़ के निशान नहीं पाए गए थे । संपुष्ट साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करता है ।

25. अब हम अन्य मौखिक साक्ष्य पर चर्चा करते हैं ।

26. शिकायतकर्ता मदनलाल ने यह कथन किया है कि तारीख 23 जुलाई, 2009 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न अभियुक्त शराब लेकर आया था जिसे उन्होंने अपने घर पर पी थी । वह शौच करने के लिए बाहर गया और वापस लौटने पर न तो उसने अभियुक्त और न अपनी पत्नी को पाया और यह सोचा कि उसकी पत्नी का बाहर जाना हो सकता है (जिस स्थान का उसने कथन नहीं किया है) और वह कुछ समय तक इंतजार करता रहा और जब वह वापस नहीं लौटी तब वह अभियुक्त की दुकान पर गया । यद्यपि दुकान बंद थी परन्तु शटर उठाकर जब उसने झांका तो अभियुक्त और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था । वे नग्न हालत में थे । उसने शटर को खटखटाया और अपनी पत्नी को पुकारा परन्तु कोई भी बाहर नहीं आया । कुछ समय इंतजार करने के पश्चात् उसने पुनः शटर को दोबारा खटखटाया परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला और वह शीघ्र ही प्रकाशचंद की दुकान पर गया और उसे जगाया । तथापि, उसने इस बात को कहा और घटनास्थल पर लौटा । तब अभियुक्त ने शटर को खोला और अपनी बैसाखियों से उसकी पिटाई की और उसी समय प्रकाशचंद भी वहां पहुंचा और उसने उसे बचाया । उसके अनुरोध करने पर प्रकाशचंद ने दूरभाष से पुलिस थाना, बहरादी पर रिपोर्ट दी परन्तु वहां पर पुलिस के पहुंचने से पूर्व अभियुक्त भाग गया । उसने अपना कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क) दिया जिसे अभिलिखित किया गया था । उसे अपनी पत्नी से यह बात पता चली थी कि अभियुक्त ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसने के पश्चात् उसे उसके मकान से बलपूर्वक ले गया था । तत्पश्चात्, अस्पताल में अभियुक्त के नातेदारों ने कतिपय कागजातों पर हस्ताक्षर किए और वह और उसकी पत्नी तहसील कार्यालय पर भी गए थे

और इन सभी बातों को उसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी कहा ।

27. परन्तु जब हम उसके परिसाक्ष्य के भाग की प्रतिपरीक्षा की जांच करते हैं तब हम उसके वृत्तांत में अत्यधिक अविश्वसनीयता और असंभाव्यता पाते हैं और उसके स्वयं के विभेदकारी वृत्तांतों से अलग जिन पर प्रकाशचंद द्वारा विभेद किया गया है जिसने किसी भी दशा में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । ऐसी कोई अनिश्चित शब्दावली नहीं है जिस पर उस साक्षी ने यह कथन किया हो कि वह सही है इस पर मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि मेरी पत्नी ने मुझे यह बताया था कि अभियुक्त द्वारा उसे बलपूर्वक ले जाया गया था । वह स्थान, जहां वह अपने मकान से शौच के लिए गया था, की दूरी 10 फीट है । उसकी पत्नी ने न तो कोई अभियुक्त के साथ संघर्ष किया या किसी प्रकार का शोरगुल । वह एक स्वस्थ महिला है । उसने अभिकथित खुल्लम-खुल्ला कार्रवाइयों को विरोध नहीं किया । अभियुक्त की दुकान का शटर बंद होने के बारे में उसका वृत्तांत और अपनी पत्नी और अभियुक्त को जोर से बुलाने का वृत्तांत जो तीन-चार घंटे से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् उसने यह कदम उठाए, विश्वास से परे हैं । उसके परिसाक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि ग्राम पडियालाग पर 40-50 दुकानें हैं और वहां के लोगों को उसके द्वारा बुलाने पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला । यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसा कि उसका वृत्तांत है, उसने प्रकाशचंद को यह बात नहीं बताई कि अभियुक्त ने बलपूर्वक मैथुन हमला उसकी पत्नी पर किया था या उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा था । उसने अतिशीघ्र प्रकाशचंद को बुलाया था और किस लिए बुलाया, उसने इस बात का कथन नहीं किया है और उसने यह भी कथन किया है कि वह प्रकाशचंद को बुलाने के लिए गया ।

28. इसके अतिरिक्त, उसने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि प्रकाशचंद मुझे बचाने के लिए आया था जब हम झगड़ रहे थे । जब प्रकाशचंद घटनास्थल पर पहुंचा, वह समय 2.30-2.45 बजे पूर्वाह्न का समय हो सकता है क्योंकि इस कारण मैं सही समय नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैंने उस समय घड़ी नहीं देखी थी । मैंने 2.45 बजे पूर्वाह्न पुलिस को फोन किया और उसने स्वयं यह कथन किया कि प्रकाशचंद ने भी पुलिस को फोन किया था । इसके पश्चात् उसने अभियुक्त से मुझे पीटते हुए देखा था । इस प्रकार, यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त और मदनलाल

के बीच झगड़ा हुआ था जिसका कारण निश्चित रूप से अभियोक्त्री नहीं थी । इसका वास्तविक कारण क्या रहा था, अभियोजन पक्ष इस बारे में व्याख्या करने में असफल रहा है । वास्तव में, पुलिस ने घटनास्थल पर तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी को स्वीकार किया है । ऐसा झगड़े के समय पर था । तीसरा व्यक्ति कौन था, अभियोजन पक्ष उसका स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है । अन्वेषक अधिकारी ने इस व्यक्ति की मौजूदगी को अभिलिखित किया है । परन्तु, उसके नाम के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है क्योंकि अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि तीसरे व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है ।

29. इसके अतिरिक्त, मदनलाल का यह वृत्तांत कि उसने शटर से झांककर देखा, यह बात सही होना प्रतीत नहीं होती है । उसने न्यायालय को यह विश्वास दिलाना चाहा कि यद्यपि शटर नीचे गिरा हुआ था परन्तु शटर के बीच की जगह से शटर के किनारे दिख रहे थे और अभियोक्त्री और अभियुक्त को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था । परन्तु घटनास्थल का नक्शा इस वृत्तांत को पूर्णतया झुठलाता है । यह भी प्रकट है कि दुकान के सामने वाले भाग में सिलाई मशीन से संबंधित सामग्री और मशीनें पड़ी हुई थीं । पुलिस के अनुसार अभिकथित अपराध दुकान के पीछे वाले भाग में घटा जिसे उस स्थान से नहीं देखा जा सकता जहां से अभियुक्त ने झांककर देखा था । इसके अतिरिक्त किसी ने यह भी सिद्ध नहीं किया है कि घटना के समय दुकान में बिजली जली हुई थी । यद्यपि, साक्षी ने इस तथ्य के बारे में न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहा है परन्तु ऐसा वृत्तांत उसका विभेदकारी कथन होने के कारण विश्वसनीय नहीं है । उसकी पत्नी दुकान के अन्दर 3-4 घंटे से भी अधिक समय तक रही थी । उसने किसी पड़ोसी को भी नहीं जगाया और उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया । इस साक्षी का पक्षकथन यह नहीं है कि उस समय अभियुक्त ने अभियोक्त्री के मुंह में कपड़ा ठूंसा था या उसके हाथ बांध दिए थे । उसने केवल यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उस समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा जब उसे मकान से बलपूर्वक ले जाया गया था । चिकित्सा साक्ष्य ऐसे तथ्य को झुठलाता है । इस साक्षी ने स्थानीय निवासियों को मामले के बारे में नहीं बताया, ऐसी क्यों अस्पष्टता की स्थिति रही । अभियोजन कहानी जिसे घटनास्थल पर इस साक्षी के कथन पर अभिलिखित किया गया है, विभेदकारी है । उसने यह कथन किया है कि "हमारे कथन पुलिस थाने पर छह बजे पूर्वाह्न अभिलिखित किए गए थे ।" उसने यह स्वीकार किया है

कि वह 3.30 बजे पूर्वाह्न पहले पुलिस थाने पर गया और उसके बाद 3.45 बजे पूर्वाह्न अस्पताल में पहुंचा । उसके वापस होने पर ही पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया । इस प्रकार, उसने पुलिस को सूचना दिए जाने पर दिया गया अपना वृत्तांत या घटनास्थल पर अपना कथन अभिलिखित किए जाने के वृत्तांत में विभेद प्रकट किया है । उसने यह स्वीकार किया है कि जब वह जोर-जोर से चीख-पुकार कर रहा था, उसकी पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया । जब अभियुक्त ने उसकी पिटाई की तब उसकी पत्नी ने मध्यक्षेप नहीं किया था ।

30. फिर भी न्यायालय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की परीक्षा करने के लिए बाध्य है और यदि उसका वृत्तांत सत्य और विश्वास से प्रेरित पाया जाता है और साक्षी विश्वसनीय पाया जाता है, न्यायालय आरोपित अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं केवल एकमात्र ऐसा वृत्तांत बल पर किया जा सकता है ।

31. अभियोक्त्री ने न्यायालय में यह कथन किया कि 23वें दिन जो मंगलवार था, अभियुक्त शराब के बोतल के साथ उनके मकान पर पहुंचा । जब वह खाना बना रही थी तो उसके पति और अभियुक्त ने शराब पी थी और जब उसका पति शौच करने के लिए बाहर गया तो अभियुक्त ने उसको पकड़ लिया और अपनी दुकान से उसे ले गया और जहां अन्दर से शटर बंद करने के पश्चात् और लाइट बुझाकर उसने बलपूर्वक उसके कपड़े उतार दिए और जमीन पर उसे लिटा दिया । उसका मुंह बंद करने पर अभियुक्त ने तीन बार उससे बलात्संग किया । उसका पति वहां पहुंचा और उसने उसे पुकारा । कुछ समय के पश्चात् अभियुक्त ने दुकान के शटर को खोल दिया तथा उसके पति की बैसाखियों को छीनकर उसने उसकी पिटाई की । प्रकाशचंद, जो घटनास्थल पर पहुंचा, उसने उसका पीछा किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया और प्रकाशचंद के सेल फोन से पुलिस को बुलाया था । घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के साथ ही उसे अस्पताल ले जाया गया था और उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उसने अपने पहने हुए कपड़ों को डाक्टर को सौंप दिया । कुछ दिनों के पश्चात् अभियुक्त के नातेदार ने उससे समावेदन किया और किसी तरह का कथन न देने के लिए 12,000/- रुपए देने का प्रस्ताव दिया और दबाव के कारण वह कतिपय कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया ।

32. अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य के प्रतिपरीक्षा भाग में यह स्वीकार किया है कि "कि किशोरीलाल के साथ एक से अधिक व्यक्ति थे और मेरे पति और किशोरीलाल तथा तीसरा व्यक्ति एक साथ शराब पी रहे थे"...... "यह सही है कि उन्होंने लगभग आधा घन्टे तक शराब पी थी ।" तीसरा व्यक्ति कौन था ? क्या वह उस समय मौजूद था जब मदनलाल शौच करने के लिए गया था या उस समय जब अभियुक्त अभियोक्त्री को बलपूर्वक ले गया था ? इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न कोई उस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आया । वह एक उत्तम अभिसाक्ष्य देने के लिए होता अगर वह उस घटना में घटनास्थल पर होता । अभियोक्त्री के वृत्तांत में कोई चीख-पुकार करने की बात नहीं आई है जब उसके मुंह पर कपड़ा ठूंसा गया था और यह बात विश्वास से प्रेरित नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि अभियुक्त ने उसे धमकाया था । उसका पति शौच करने के लिए गया था और यह स्थान उसके मकान से दस फीट की दूरी पर था । अभियोक्त्री ने अभियुक्त के प्रत्यक्ष कार्य का विरोध नहीं किया है । अभियोक्त्री के मुंह पर कपड़ा ठूंसना या उसके शरीर पर क्षति के कोई चिह्न नहीं पाया गया । ऐसा भी नहीं कि उसके हाथ बांध दिए गए थे । वह अभियुक्त के कार्य का विरोध कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने सभी घटनाओं में कोई चीख-पुकार नहीं की । जब अभियुक्त की दुकान से उसे ले जाया गया था । इसके पश्चात् उसने अभियुक्त को छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसने अपने दोनों हाथों से दुकान का शटर खोला था । अभियोक्त्री के पास चीख-पुकार करने या भागने का व्यापक अवसर था और अभियोक्त्री ने इस कार्य में विफल होने का कोई न्यायोचित कारण नहीं दिया है ।

33. यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री का वृत्तांत कि वह अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक ले जाई गई थी, मिथ्या प्रतीत होता है । उसने इस प्रभाव की स्वीकृति दी है कि "यह सत्य है कि तीनों व्यक्तियों ने शराब पी और वे चलने-फिरने में समर्थ नहीं थे" ।

34. उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पति ने अभियुक्त के साथ तर्क-वितर्क किया था । ऐसा तब हुआ था जब वह अपने मकान में थी । प्रतिरक्षा में संभवतः पूरी तरह मिथ्या फंसाने की बात प्रकट हुई है और तत्पश्चात् इसकी कहानी षड्यंत्रपूर्वक बनाई गई है । जिस तथ्य को विवेक कुमार (अभि. सा. 5) के अभिसाक्ष्य से बल मिलता है जिसने यह कथन किया है कि "पुलिस थाने में टेलीफोन से सूचना प्राप्त की गई थी कि

पडियालाग चौक में झगड़े की घटना घटी थी इसलिए पुलिस दल जिसका मुखिया सहायक उपनिरीक्षक अनन्त कुमार था, घटनास्थल पर गया और वहां पर तीन बजे पूर्वाह्न पहुंचा" ।

35. हम इस प्रश्न पर भी विचार करते हैं कि बलात्संग की घटना के बारे में पहले ही पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई ।

36. इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि "कि मेरे शरीर पर कोई क्षति नहीं पहुंची और मेरे कपड़े भी फटे हुए नहीं हैं । दुकान का फर्श कच्चा था और मेरे कपड़ों में कोई वीर्य के निशान नहीं हैं । मैं अभियुक्त के दुकान पर पैदल चलकर आई थी" । इस अवधि के दौरान मैंने कोई झगड़ा नहीं किया । मैं उस दिन अभियुक्त की दुकान पर गई थी, मैथुन हमले के बारे में अभियोजन के पक्षकथन को पूर्णतया आधारहीन साबित करता है क्योंकि अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि "मैं किशोर के साथ कभी भी नहीं सोई । यह बात भी असत्य है कि मैंने डाक्टर को यह बताया कि इस घटना से पूर्व अभियुक्त के साथ पहले सोई थी । यह सही है कि मेरे पति ने दुकान के अन्दर अभियुक्त के साथ मुझे देखा था । ऐसा क्यों हुआ कि मैंने सभी तथ्यों को बताया था" ।

37. इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि "झगड़े के पश्चात् मेरे पति बेहोश हो गए थे क्योंकि उन पर शराब का प्रभाव था और अगले दिन वह पुनः होश में आया । मैंने आपस में किसी को यह बात नहीं बताई कि मेरे पति बेहोश हुए थे" । इस प्रकार, साक्षी द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य सभी प्रकार अविश्वसनीय, असंभव और असंगत हैं ।

38. वह न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहती थी कि शराब पीने के कारण तीनों व्यक्तियों में से कोई भी चल फिर नहीं सकता था, परिणामस्वरूप उसका पति चेतना शून्य हो गया । वह न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाना चाहती है कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक ले गया और उससे तीन बार बलात्संग किया और यह पूरी घटना आधे घन्टे के अन्दर घटी । वह न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाना चाहती है कि अभियुक्त ने बैसाखियों से उसके पति की पिटाई की । उसका ऐसे वृत्तांत पर विश्वास भी किया जाए तो बड़ी कठिनाई होगी ।

39. इसके अतिरिक्त, पुलिस को मामले की तत्काल रिपोर्ट नहीं देने में विलंब और अभियोक्त्री का कथन घटनास्थल पर अभिलिखित नहीं किया जाना, ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् ही हुआ और उसके द्वारा दिए गए

वृत्तांत संदेहपूर्ण, असंगत और असंभाव्य प्रतीत होता है । इस साक्ष्य के बारे में विश्वसनीय होना नहीं कहा जा सकता है ।

40. अभियोक्त्री ने अभियुक्त के नातेदारों के बारे में जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है या अभियुक्त ने उसे कोई पैसे देने का प्रस्ताव किया । इस प्रकार किन आधारों पर उसने ऐसा कथन किया है कि अभियुक्त के नातेदारों ने पैसा लेने के लिए उस पर दबाव डाला और कागजातों पर हस्ताक्षर कराए । वे कागजात कहा हैं ? और उनके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत दर्ज उनके द्वारा क्यों नहीं कराई गई जो अन्वेषण पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे, यह बात अभिलेख पर अनुत्तरित रही है ।

41. अब हम प्रकाशचंद के परिसाक्ष्य की परीक्षा करते हैं । तब हमने उसके बारे में यह पाया कि अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है । उसकी गहराई से प्रतिपरीक्षा की गई तो भी लोक अभियोजक द्वारा कुछ भी अभियोजन पक्षकथन के फायदे की बात सामने नहीं आ सकी । अभियोजन पक्ष ने उसके परिसाक्ष्य के माध्यम मदनलाल और अभियोक्त्री के वृत्तांत की अभिपुष्टि चाही हो जो वृत्तांत हमने अविश्वसनीय पाया है । जब हम इस साक्षी के परिसाक्ष्य की परीक्षा करते हैं तब हम यह पाते हैं कि अभियुक्त और मदनलाल के बीच कुछ झगड़ा हुआ था जो शराब के नशे में थे और उसने कही भी घटनास्थल पर अभियोक्त्री की मौजूदगी को अभिलिखित किया हो । परन्तु, उसके पुत्र जिसकी आकस्मिक रूप से न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई है, की मौजूदगी का कोई अभिलेख नहीं है ।

42. हमने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18-क) न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अभिलिखित किया गया था परन्तु इससे अभियोजन पक्षकथन को कोई भी सहायता नहीं मिलती है । ऐसे कथन से केवल जिसे अभिलिखित किया गया है, श्री रंजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, घुमारविन (अभि. सा. 18) द्वारा साबित किया गया है, वास्तव में इससे अभियोजन पक्षकथन सिद्ध नहीं होता है जिस बात को अभिलेख पर साबित किया जाना पड़ता है । घटना के घटने के दस मास से भी अधिक समय व्यतीत होने पर तारीख 28 मई, 2010 को इसे अभिलिखित किया गया था । इस पर क्यों शीघ्रता से कार्रवाई नहीं की गई थी, अभिलेख पर इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

साक्षी (अभियोक्त्री) को सिखाने-पढ़ाने की संभावना को अस्वीकर नहीं किया जा सकता है और मदनलाल द्वारा दिया गया प्रारंभिक वृत्तांत और उसके कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क) के निबंधनों में विजय कुमार (अभि. सा. 5) द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं की गई है ।

43. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट, अकाट्य और साक्ष्य के विश्वसनीय भाग से अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो जिससे कि यह साबित होता हो कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की बिना सहमति और बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया था तथा दुकान में उसका सदोष परिरोध किया कि वह शिकायतकर्ता मदनलाल की पत्नी है और मदनलाल को मामूली आघात भी पहुंचा है ।

44. सभी पूर्वोक्त कारणों से हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों का पूरी तरह मूल्यांकन किया है ।

45. अभियुक्त निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का फायदा पाने का हकदार है । **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया या अभियुक्त की दोषमुक्ति न्याय के विपरीत है । मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है । वर्तमान अपील खारिज की जाती है । यदि कोई जमानत बंधपत्र अभियुक्त द्वारा दिए गए हैं तो उन्हें उन्मोचित किया जाता है ।

तद्नुसार, अपील तथा लंबित आवेदन, यदि कोई है, तो उसका निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94.

गतांक से आगे......

[1][अध्याय 7क

कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया

105क. परिभाषाएं — इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "संविदाकारी राज्य" से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) "पहचान करना" के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है ;

(ग) "अपराध के आगम" से आपराधिक क्रियाकलापों के (जिनके अंतर्गत मुद्रा अंतरणों को अंतर्वलित करने वाले अपराध हैं) परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है ;

(घ) "संपत्ति से भौतिक या अभौतिक", जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हर प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति या आस्ति में हक या हित को साक्ष्यित करने वाला विलेख और लिखत अभिप्रेत है जो किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न होती है या उसमें उपयोग की जाती है और इसके अंतर्गत अपराध के आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है ;

(ङ) "पता लगाना" से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसका स्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है ।

105ख. व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता — (1) जहां भारत का कोई न्यायालय, किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह

---

[1] 1993 के अधिनियम सं. 40 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का, जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए वहां वह ऐसे वारंट को दो प्रतियों में और ऐसे प्ररूप में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और, यथास्थिति, वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा ।

(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि, किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में है, ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में हाजिरी अपेक्षित है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी हाजिरी अपेक्षित है तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे समन या वारंट को तामील और निष्पादन कराने के लिए, दो प्रतियों में, ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप में जारी करेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) जहां भारत किसी न्यायालय को, किसी आपराधिक मामले के संबंध में, किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने अथवा हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है वहां वह उसका निष्पादन इस प्रकार कराएगा मानो यह ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है ।

(4) जहां उपधारा (3) के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है वहां भारत का न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में बंदी है वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का, जिनके अधीन बंदी भारत को अंतरित किया जाता है, अनुपालन किया जाए और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार लिखित रूप में निर्दिष्ट करे ।

105ग. संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता – (1) जहां भारत के किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या समपहरण का कोई आदेश दे सकेगा जो वह धारा 105घ से धारा 105ञ (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन ठीक समझे ।

(2) जहां न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या समपहरण का कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है वहां न्यायालय, संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध-पत्र जारी कर सकेगा ।

(3) जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध-पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या समपहरण करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है जो उस संविदाकारी राज्य में किया गया है वहां केंद्रीय सरकार, ऐसा अनुरोध-पत्र ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे वह ठीक समझे, यथास्थिति, धारा 105घ से धारा 105ञ (दोनों सहित) के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी ।

105घ. विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना – (1) न्यायालय, धारा 105ग की उपधारा (1) के अधीन या उसकी उपधारा (3) के अधीन अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति

के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

105ङ. सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की – (1) जहां धारा 105घ के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां वह कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।

105च. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध – (1) न्यायालय उस क्षेत्र के, जहां संपत्ति स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को, या अन्य किसी अधिकारी को, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, उस संपत्ति को, जिसके संबंध में धारा 105ङ की उपधारा (1) के अधीन या धारा 105ज के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।

(3) प्रशासक, केंद्रीय सरकार को समपहृत संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी करेगा, जो केंद्रीय सरकार निदिष्ट करे ।

105छ. संपत्ति के समपहरण की सूचना – (1) यदि, धारा 105घ के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति, अपराध का आगम है तो वह ऐसे व्यक्ति पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या आस्तियों के वे स्रोत, जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि, यथास्थिति, ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का आगम क्यों न घोषित किया जाए और उसे केंद्रीय सरकार को क्यों न समपहृत कर लिया जाए ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है वहां सूचना की एक प्रति की ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी ।

105ज. कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण – (1) न्यायालय, धारा 105छ के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत

सभी या कोई संपत्ति अपराध का आगम है या नहीं :

परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति (और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी) न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला अभ्यावेदित नहीं करता है तो न्यायालय, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध का आगम है किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है वहां ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(4) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाते हैं वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या कंपनी के संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी ।

105झ. समपहरण के बदले जुर्माना – (1) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105ज के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है वहां वह प्रभावित व्यक्ति को, समपहरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का ऐसे

समय के भीतर, जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए, संदाय कर देता है वहां न्यायालय, आदेश द्वारा, धारा 105ज के अधीन की गई समपहरण की घोषणा का प्रतिसंहरण कर सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।

105ञ. कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना – जहां धारा 105ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने या धारा 105छ के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात्, उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है वहां इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105ज के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

105ट. अनुरोध-पत्र की बाबत प्रक्रिया – इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा ।

105ठ. इस अध्याय का लागू होना – केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।]

अध्याय 8

परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

106. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति – (1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति

से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं :–

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153क या धारा 153ख या धारा 154 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है ;

(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है ;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध ;

(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है ।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र, जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा ।

107. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति – (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे [1][प्रतिभुओं सहित या

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

रहित] बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए ।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा ।

108. राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – (1) जब किसी [1][कार्यपालक मजिस्ट्रेट] को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर –

(i) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात् –

(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 295क के अधीन दंडनीय है ; अथवा

(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है ; अथवा

(ii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 के यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से

---

[1] 1980 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा "प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परिचालित करता है,

और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए ।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

109. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – जब किसी [1][कार्यपालक मजिस्ट्रेट] को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए ।

110. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – जब किसी [1][कार्यपालक मजिस्ट्रेट] को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो –

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है ; अथवा

---

[1] 1980 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा "प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है ; अथवा

(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है ; अथवा

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489घ के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है ; अथवा

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है ; अथवा

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो –

(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात् :–

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) ;

[1][(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) ;]

(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि [2][और कुटुंब पेंशन निधि] अधिनियम, 1952 (1952 का 19) ;

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) ;

---

[1] 1974 के अधिनियम सं. 56 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा मद ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] यथोक्त की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ;

(च) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22) ;

(छ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52),[1]* * *

[2][(ज) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) ; या]

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है ; या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए ।

111. आदेश का दिया जाना – जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की (यदि कोई हो) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा ।

112. न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया – यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में उपस्थित है

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 14 द्वारा "या" शब्द का लोप किया गया ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा ।

113. ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है – यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निदेश देते हुए वारंट, जारी करेगा :

परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर (जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा), यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा ।

114. समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी – धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है ।

115. वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति – यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।

116. इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच – (1) जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित है, धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट

उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन-मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात् विहित है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात् और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निदेश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है :

परंतु –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निदेश नहीं दिया जाएगा ;

(ख) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हों या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हों, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है ।

(5) जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक् जांचों में, जैसा वह न्यायसंगत समझे, उनके बारे में कार्यवाही कर सकता है ।

(6) इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से छह मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर, पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश नहीं करता है :

परंतु जहां कोई व्यक्ति, ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही, यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के छह मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी ।

(7) जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन निदेश किया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निदेश को रद्द कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था ।

117. प्रतिभूति देने का आदेश – यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में वह जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तद्नुसार आदेश देगा :

परंतु –

(क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है ;

(ख) प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रख कर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी ;

(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की जाती है, अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

118. उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है – यदि धारा 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की गई है, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा ।

119. जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडादिष्ट है या दंडादेश भुगत रहा है तो वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी ।

(2) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे ।

120. बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं – ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र उसे, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे, वह कहीं भी किया जाए, बंधपत्र का भंग है ।

121. प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति – (1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है :

परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा ।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को, जिसने वह प्रतिभू पेश किया है, उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर (यदि कोई हो), विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है तो वह उस प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इनकार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा :

परंतु किसी प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट, जिसे वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलवाएगा ।

122. प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास – (1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था ।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश

के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए [1][प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र] निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद-उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद-उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो ।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी ।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे :

परंतु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी ।

(4) यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, मामला शामिल किया जाएगा और उपधारा (2) और

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 15 द्वारा "प्रतिभुओं से रहित बंधपत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक न होगी, जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था ।

(5) सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ।

(6) यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने आदेश किया, तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा ।

(7) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा ।

(8) सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहां कार्यवाही धारा 108 के अधीन की गई है, वहां सादा होगा और, जहां कार्यवाही धारा 109 या धारा 110 के अधीन की गई है वहां, जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निदेश दे, कठिन या सादा होगा ।

123. प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति – (1) जब कभी [1][धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है तब वह ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है ।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 12 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है वहां [1][धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभुओं की संख्या को या उस समय को, जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, कम करते हुए आदेश दे सकता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, निदिष्ट कर सकता है :

परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर, प्रवृत्त न रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ।

(4) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिन पर सशर्त उन्मोचन किया जा सकता है ।

(5) यदि कोई शर्त, जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है, [1][धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] की राय में, जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई है, तो वह उस आदेश को रद्द कर सकता है ।

(6) जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा (5) के अधीन रद्द कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर [धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के समक्ष पेश किया जाएगा ।

(7) उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए, जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 12 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

था (और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा, जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच की है जिसको यह ऐसे सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता) प्रतिभूति दे देता है, [1][धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] उस व्यक्ति को ऐसा शेष भाग भुगतने के लिए कारागार भेज सकता है ।

(8) उपधारा (7) के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति, ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को, पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर, धारा 122 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी समय छोड़ा जा सकता है ।

(9) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंधपत्र को, जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है, पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी समय भी रद्द कर सकता है और जहां ऐसा बंधपत्र [1][धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकता है ।

(10) कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंधपत्र के निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है, ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंधपत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति, जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है, हाजिर हो या उसके समक्ष लाया जाए, समन या वारंट, जो भी वह ठीक समझे, जारी करेगा ।

124. बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति – (1) जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 12 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के (जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा ।

अध्याय 9

पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश

125. पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश – (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति –

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है,

भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए [1]* * * ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है ।

[1][परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है ;

(ख) "पत्नी" के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

[2][(2) भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय, आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेय होंगे ।]

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहीत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्गृहीत करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए [1][यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय] या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए, कारावास का दंडादेश दे सकता है :

परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है :

परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है ।

स्पष्टीकरण – यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा ।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन [2][यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय] प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा "पूरे भत्ते" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा "भत्ता" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

126. प्रक्रिया – (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है –

(क) जहां वह है, अथवा

(ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, अथवा

(ग) जहां उसने अंतिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है ।

(2) ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, अथवा जब उसकी वैयक्तिक हाजिरी से अभियुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन-मामलों के लिए विहित है :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझें, अपास्त किया जा सकता है ।

(3) धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्यायसंगत है ।

127. भत्ते में परिवर्तन – [1][(1) धारा 125 के अधीन भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या, यथास्थिति, अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे ।]

(2) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तद्नुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा ।

(3) जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि –

(क) उस स्त्री ने ऐसे विवाह-विच्छेद की तरीख के पश्चात् पुनः विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा ;

(ख) उस स्त्री के पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात् वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह-विच्छेद पर देय थी तो वह ऐसे आदेश को, –

(i) उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में उस अवधि की, यदि कोई हो, जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरणपोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा ;

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 3 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) उस स्त्री ने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह-विच्छेद के पश्चात् अपने [1][यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण] के आधारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा ।

(4) किसी भरणपोषण या दहेज की, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 125 के अधीन [2][भरणपोषण और अंतरिम भरणपोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है,] वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के [2][अनुसरण में, यथास्थिति भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में] उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है ।

128. भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन – [3][यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाहियों के व्ययों] के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, [4][जिसे, यथास्थिति, भरणपोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय दिया जाना है] निःशुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में, जहां वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और [5][यथास्थिति, देय भत्ते या व्ययों] के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है ।

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 3 द्वारा "भरणपोषण" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 4 द्वारा "भरणपोषण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 4 द्वारा "जिसे भत्ता दिया जाना है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2001 के अधिनियम सं. 50 की धारा 4 द्वारा "देय भत्ते" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अध्याय 10
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

क – विधिविरुद्ध जमाव

129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना – (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर-बितर हो जाएं ।

(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है ।

130. जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग – (1) यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाए तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है ।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत

मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे ।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है ।

131. जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति – जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा ।

132. पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण – (1) किसी कार्य के लिए, जो धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किया गया तात्पर्यित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में –

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य

करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में ;

(ख) धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ;

(ग) धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में ;

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में,

यह न समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है ।

(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में –

(क) "सशस्त्र बल" पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं ;

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में "अधिकारी" से सशस्त्र बल के आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर, पेटी आफिसर, अनायुक्त आफिसर तथा अराजपत्रित आफिसर भी हैं ;

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में "सदस्य" से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

ख – लोक न्यूसेन्स

133. न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश – (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि –

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए ; अथवा

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए ; अथवा

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए ; अथवा

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है ;

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके ; अथवा

(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह –

(i) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे ; अथवा

(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए अथवा ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से

विनियमित करे जैसी निदिष्ट की जाए ; अथवा

(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे ; अथवा

(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलंब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए ; अथवा

(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए ; अथवा

(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है,

अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए ।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – "लोक स्थान" के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं ।

134. आदेश की तामील या अधिसूचना – (1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है ।

(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निदिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं ।

135. जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा – वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया

गया है –

(क) उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा

(ख) उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा ।

136. उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम – यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा ।

137. जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया – (1) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा ।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है ; और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है या ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इनकार नहीं करने दिया जाएगा ।

138. जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया – (1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

139. स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति – मजिस्ट्रेट धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए, –

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है, अथवा

(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है ।

140. मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति – (1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश देता है वहां मजिस्ट्रेट –

(क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

(ख) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय, या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा ।

(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ।

(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहां मजिस्ट्रेट निदेश दे सकता है कि

ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे ।

141. आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम – (1) जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे, जितना सूचना में नियत किया जाएगा और उसे इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा ।

(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है ।

(3) इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा ।

142. जांच के लंबित रहने तक व्यादेश – (1) यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है ।

(2) यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे ।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा ।

143. मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है – कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथापरिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे ।

ग – न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले

144. न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति – (1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य-विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता

को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा :

परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा ; किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता ।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद-पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है ।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परंतुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है ।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी ; और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी ।

*[**144क. –** परिशिष्ट 1 देखिए ।]

घ – स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

145. जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया – (1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का,

---

* 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 16 द्वारा अतःस्थापित ।

पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भूमि या जल" पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं ।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी ।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो ; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की

तारीख को कब्जा रखता था ।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किंतु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और या निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा ; और जब वह उपधारा (4) के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है ।

(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा ।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा ।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे ।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे ।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

146. विवाद की विषयवस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति – (1) यदि धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है :

परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है ।

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है अथवा यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं :

परंतु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट –

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद

की विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा,

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हैं ।

147. भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद – (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा, विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें ।

स्पष्टीकरण – "भूमि या जल" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 145 की उपधारा (2) में दिया गया है ।

(2) मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जो वह आवश्यक समझे और, यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है ; और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 के उपबंध यावतशक्य लागू होंगे ।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है :

परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा (1) के अधीन पुलिस

अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला की, जिसके परिणामस्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले तीन मास के अंदर नहीं किया गया है अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ।

(4) जब धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो ;

और जब उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 145 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो ।

148. स्थानीय जांच – (1) जब कभी धारा 145 या धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो और घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा ।

(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ।

(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा

और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में ; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।

अध्याय 11
पुलिस का निवारक कार्य

149. पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना – प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा ।

150. संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला – प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है ।

151. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी – (1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है ।

152. लोक संपत्ति की हानि का निवारण – किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि-चिह्न या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए

जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अंतःक्षेप कर सकता है ।

153. बाटों और मापों का निरीक्षण – (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है ।

(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा ।

क्रमशः...... (आगामी अंक देखें)